लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation 6-7-92
Fumigated On 9.1.84
Parliament Library

[खंड 12 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XII contains Nos.1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/ CONTENTS

अंक 7, मंगलवार, 20 फरवरी, 1968/1 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 7, Tuesday, February 20, 1968/ Phalguna 1, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
152.	व्यापार गृहों द्वारा स्थापित ट्रस्ट — Trusts created by Business Houses	839—843
153.	बोकारो इस्पात संयंत्र — Bokaro Steel Plant	843—847
155.	कागज का मूल्य — Price of Paper	847—850
157.	अलाभप्रद रेलवे लाइनें — Uneconomic Railway Lines	850—853

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
151.	मैसर्स ओवल इंडस्ट्रीज के साथ गंधक का सौदा	Sulphur Deal with Messrs. Oval Industries	853—854
158.	उद्योगों के लिये लाइसेंस देने की नीति	Policy of Industrial Licensing	854
159.	विदेशी विशेषज्ञ	Foreign know how	854—855
160.	कोयला तथा खनन विकास कार्यक्रम	Coal and Mining Development Programmes	855

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
161. मिश्रित इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिये बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस	Licence to Birlas to set up two Alloy Steel Projects	856
162. पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन	Industrial output in West Bengal	856
163. राज्य व्यापार निगम के पास गन्धक	Sulphur with State Trading Corporation	856—857
164. स्कूटरों का निर्माण	Manufactures of Scooters and Motor Cycles	857
165. इस्पात विकास कार्यक्रम	Steel Development Programme	857—858
166. संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन	Algeria's Charter on UNCTAD	858
167. सीमेंट आवंटन तथा समन्वय संगठन	Cement Allocation and Cordinating Organisation	859
168. विदेशों में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय	Offices of State Trading Corporation in Foreign Countries	859
169. हरियाना में उद्योगों के सामने संकट	Crisis faced by Industries in Haryana	860
170. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा ईरान को रेलों की सप्लाई	Supply of Rails to Iran by H. S. L.	860—861
171. एल्यूमीनियम उद्योग	Aluminium Industry	861
172. भारतीय सामान के लिये विदेशों में प्रचार	Publicity for Indian Goods Abroad	862
173. पटसन का उत्पादन	Production of Jute	862—863
174. औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production	863
176. राजनीतिक दलों को दान	Donation to Political Parties	864
177. एक्सपो 67 पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Expo-67	864
178. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में लम्बर बूम का निर्माण	Production of Lumber Boom in H. M. T.	865
179. इंडिया युनाइटेड मिल्स लिमिटेड बम्बई	India United Mills, Ltd., Bombay	865—866

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
180. टेक्सटाइल कमिश्नर के विरुद्ध आरोप	Charges against Textile Commissioner	866

अता० प्रश्न संख्या

U.S.Q. Nos.

1193. विहार में खजिन पदार्थ	Minerals in Bihar	866—867
1195. रेलवे पर खर्च	Expenditure on Railways	867
1196. कोयले का उपयोग	Coal Utilisation	867
1197. नर्मदा घाटी में खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण	Survey of Minerals in Narmada Valley	867—868
1198. राज्य व्यापार निगम द्वारा नियुक्त माल छुड़ाने वाले तथा माल लादने उतारने और माल की ढुलाई करने वाले एजेन्ट	Clearing and Handling Agents appointed by S. T. C.	868
1199. राज्य व्यापार निगम द्वारा बीमा एजेन्टों को दिया गया कमीशन	Commission paid to Insurers by S.T.C.	868
1200. टायर बनाने वाली फर्में	Tyre Manufacturing companies	869
1201. टायरों के निर्माण में लगी कम्पनियां	Tyre Manufacturing Companies	869
1202. टायरों के निर्माण में लगी कम्पनियां	Tyre Manufacturing Companies	869
1203. महाराष्ट्र में खनिज पदार्थों का भी सर्वेक्षण	Survey of Minerals in Maharashtra	870
1204. अतिरिक्त बम्बई-हावड़ा जनता रेल गाड़ी	Additional Bombay Howrah Janata Train	870
1205. यवतमाल जिले में चंखा से रेलवे लाइन	Railway line from Chankha in Yeotmal District	870—881
1206. रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेलवे सम्पत्ति की चोरी	Theft of Railway property by Railway employees	871
1207. गया में रेलवे ड्राइवरों और फायरमैनों द्वारा हड़ताल	Strike by Railway drivers and firemen at Gaya	871

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1208.	कतरानियाघाट स्टेशन के माल गोदाम का लूटा जाना	Looting of goods shed at Katarnia Ghat Station	871—872
1209.	दक्षिण वियतनाम को पीतल की चादरों का निर्यात	Export of Brass sheets to South Vietnam	872
1210.	काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Coffee Board Employees	872
1211.	कृषि उद्योगों सम्बन्धी अध्ययन दल	Study Group on Agro industries	872—873
1212.	कटक पारादीप रेल लाइन	Cuttack Paradeep Rail link	873
1213.	एक्सपैलर केक के निर्यात के लिये प्रोत्साहन	Incentives on Export of Expeller Cake	873—874
1214.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	Bharat Heavy Eletricals Ltd.	874
1215.	सिराजुद्दीन सिराजुदीन एंड कम्पनी	Sirajuddin, Sirajuddin and Company	874
1216.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन	United Nations conference on Trade and Development	875
1217.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों की आवास व्यवस्था	Accomodation for delegates to UNCTAD	875
1218.	पूर्वी यूरोप के देशों को निर्यात	Exorts to East European Countries	875—876
1219.	खेत्री में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Khetri	876
1220.	पूंजी पर एकाधिकार की प्रवृत्ति	Monopoly Capital	876—877
1221.	ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें	Rural Industrial Projects	877
1222.	बिहार में खानें	Mines in Bihar	877
1223.	पश्चिम जर्मनी को इंजीनियरी सामान का निर्यात	Export of engineering goods to West Germany	878
1224.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को बांकी कोयला खान द्वारा भूमि का अर्जित किया जाना	Land acquired by Banki Cooliery of N.C.D.C.	878

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1225.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की बाकी कोयला खान	Banki Colliery of N.C.D.C.	878—879
1226.	बाकी कोयला खान के पास पड़ा हुआ स्लैक (घटिया) कोयला	Stack coal lying with Banki Colliery	879
1227.	आल्मोनियम का आयात	Import of Alluminium	879—880
1228.	हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory in Himachal Pradesh	880—881
1229.	प्रधान मंत्री कोसोगिन के साथ बातचीत	Talks with Premier Kosygin	881
1230.	यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति के साथ व्यापार वार्ता	Trade Talks with Yugosliava President	881—882
1231.	तेल तथा बिटूमन के ढोलों का निर्माण	Manufacture of oil barrels and bitumen drums	882
1232.	टायर बनाने के कारखाने	Tyre Manufacturing Units	882—883
1233.	भारत द्वारा निर्यात	Indian Exports	883—884
1234.	नांगल बांध उन रेलवे लाइन	Nangal Dam Una Railway Line.	884
1235.	इस्पात सौदों के बारे में जांच समिति	Committee of Enquiry into steel Transactions	884
1236.	राज्य व्यापार निगम	State Trading Corporation	884—885
1237.	इंजीनियरी उद्योग में मन्दी	Recession in Engineering Industry	886
1238.	व्यापार के सम्बन्ध में भारत जर्मन सम्मेलन	Indo-German Conference on Trade	886—887
1239.	मैसर्स बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड	M/s. Benet Coleman and Co. Ltd.	887—888
1240.	कोकिंग कोयले पर उपकर	Cess on Coking Coal	888
1241.	आपरेशन हार्ड राक कार्यक्रम के अन्तर्गत विमान द्वारा सर्वेक्षण	Aerial Survey under Operation Hard Rock Programme	889
1242.	मद्रास की नकली बाल बनाने की फैक्टरी	Wig Factory at Madras	889
1243.	शुष्क पत्तन के रूप में दिल्ली	Delhi as Dry Port	889—890

अता० प्रश्न सं०

U.S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1244.	चाय की बिक्री बढ़ाने का करार	Agreement on sale promotion of Tea	890
1245.	दिल्ली में टायरों के व्यापारी	Tyre Dealers in Delhi	890—891
1246.	व्यापार प्रशुल्कों में कटौती	Cuts in Trade Tariff	891
1247.	पटसन उद्योग में संकट	Crisis in Jute Industry	891—892
1248.	डीजलशंटिंग रेल इंजन	Diesel shunting locamotives	892
1249.	डेबरी (राजस्थान) में जस्ता पिघलाने का कारखाना	Zinc smelter at Debari (Rajasthan)	892—894
1250.	मद्रास में रेलवे लाइनों को बन्द किया जाना	Discontinuance of Railway lines in Madras State	894
1251.	भोजन यान रेस्टोरेंटों में भोजन व्यवस्था कर्मचारी	Catering staff in Dining Car	894—895
1252.	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित तेलों की बिक्री	Sale of imported oils by State Trading Corporation	895
1253.	चाय उद्योग	Tea Industry	895
1254.	रूस के प्रतिनिधिमण्डल	Delegations from USSR	895—896
1255.	भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग समूह	Heavy Electricals complex in Bhopal	896
1256.	औद्योगिक मूल्य आयोग	Industrial Price Commission	896—897
1257.	दक्षिण पूर्वी रेलवे के खुर्दा डिवीजन में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों की ट्यूशन फीस का वापस किया जाना	Reimbursement of Tuition fee for Children of Class IV Staff in Khurda Division (S.E. Rly.)	897
1258.	खनिज पदार्थों पर रायल्टी की दरें	Mineral Royalty Rates	897—898
1259.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा उड़ीसा में खान मालिकों को ऋण	Loan by M. M. T. C. to Mine Owners in Orissa	898
1260.	काजीकोड (केरल) में लोह अयस्क के निक्षेप	Iron ore Deposits in Kazhikode (Kerala)	899
1261.	मोटरगाड़ी निर्माण कारखाने	Automobile Units	899—900

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1262.	विदेशी कम्पनियां	Foreign Companies	900
1263.	राजस्थान में खनिज सम्पत्ति	Mineral Wealth in Rajasthan	900—901
1264.	निर्यात संवर्द्धन के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता	United Nations help for Export Promotion	901
1265.	लातीनी अमरीकी देशों को इस्पात का निर्यात	Export of Steel to Latin American countries	901—902
1266.	निर्यात संवर्द्धन के लिये प्रोत्साहन	Incentives for Eport Promotion	902—903
1267.	चाय और काफी का निर्यात	Exports of Coffee and Tea	903
1268.	इस्पात की आवश्यकता	Requirement of Steel	903—904
1269.	हसन-मंगलौर रेलवे लाइन	Hasan-Manglore Railway Line	904
1270.	बम्बई में एक चलचित्र अभिनेता को स्टेनलैस स्टील का आयात करने का लाइसेंस दिया जाना	Grant of Import Licence for Stainless Steel to a Bombay Film Star	904—905
1271.	स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफक्चुरिंग कम्पनी	Standard Drum and Barrel Mfg. Co.,	905—906
1272.	हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी(प्राइवेट) लिमिटेड	Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd.	906—907
1275.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	Durgapur Steel Plant	907
1276.	औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Industrial Licences	907—908
1277.	सदर्न एक्सप्रेस रेलगाड़ी के नाम में परिवर्तन	Change of Name of Southern Express	908
1278.	व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन	Resolution of the Board of Trade	908—909
1279.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार	Expenditure on UNCTAD	909
1280.	प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Tariff Commission	909
1281.	विदेशी सहयोग सम्बन्धी करार	Foreign Collaboration Agreements	909—910
1282.	केन्या में कागज बनाने का कारखाना	Paper Mill in Kenya	910

अता० प्रश्न संख्या

U.S.Q.Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1283. ओलावाकोट के कर्मचारियों का ज्ञापन-पत्र	Memorandum from Workers of Olavakkot	910
1284. दिल्ली में सरकारी कम्पनियां	Government owned Companies, Delhi	910
1285. पूर्वोत्तर रेलवे का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation on North-Eastern Railway	911
1286. सोनई स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) का निर्माण	Construction of Sonai Station (N.E. Rly.)	911
1287. औद्योगिक कारखानों को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Material to Industrial Units	911—912
1288. चमड़ा कमाने के सामान का उत्पादन	Manufacture of Leather Tanning Material	912
1289. भारत रूस औद्योगिक उपक्रम	Indo USSR Industrial Ventures	912—913
1290. टायर कॉर्ड बाजार	Tyre Cord Market	913
1291. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation	913—914
1292. बिहार में भारतीय अभ्रक कम्पनियां	Indian Mica Companies in Bihar	914
1293. बिड़ला सार्थ समूह	Birla Group of Firms	914—915
1294. निलम्बित रेलवे कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of Suspended Railway Employees	915
1295. अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड	Ashoka Paper Mills Ltd.	915
1296. रेलवे में प्रथम श्रेणी के ठेकेदार	Class I Contractors on Railways	915
1297. दानापुर डिवीजन के डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट को ज्ञापन-पत्र	Memorandum to Divisionl Superintendent, Danapur Division	915—916
1298. पूर्वोत्तर तथा पूर्वी रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labourers on N. E. and Eastern Railways	916
1299. रेलवे लेखा विभाग में ग्रेड 1 और ग्रेड दो क्लर्क	Grade I and Grade II Clerks in Railway Accounts Department	916
1300. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd.	916—917
1301. रेलवे बुकिंग एजेंटों को मान्यता	Recognition of Railway Booking Agents	917

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1302.	पशुओं की हड्डी के चूरों का निर्यात	Export of Animal Bone Powder	917—918
1303.	दिल्ली और अहमदाबाद के बीच रेल गाड़ियों के चलने के समय में कटौती	Curtailment of Running Time of Trains between Delhi and Ahmedabad	918
1304.	खड़गपुर तथा खुरदा रोड स्टेशनों के बीच यात्री-सुविधायें	Passengers Amenities between Kharagpur and Khurda Road Stations	918—919
1305.	रुपये में भुगतान का करार	Rupee Payment Agreements	919—920
1306.	छोटी लाइनों पर रेलगाड़ियों का बन्द किया जाना	Discontinuance of Train Service on Narrow Guage Lines	920
1307.	डीजल इंजन	Diesel Engines	920—921
1308.	रेलवे गार्ड	Railway Guards	921
1309.	राजस्थान में कारखाने	Factories in Rajasthan	921
1310	अजमेर डिवीजन में उच्च पदों पर काम कर रहे रेलवे अधिकारी	Railway Officers Working in Higher Posts in the Ajmer Division	921—922
1311.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	Cement Corporation of India Ltd.	922
1312.	एर्नाकुलम त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Ernakulam Trivandrum Railway Line	922
1313.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, कालमेसरी	Hindustan Machine Tools, Kalamassery	922—923
1314.	कोचीन में चाय बोर्ड के कर्मचारी	Tea Board Employees at Cochin	923—924
1315.	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी की अवधि बढ़ाना	Extension to class I Officers	925
1316.	भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड	Cement Corporation of India Ltd.	925
1317.	वाणिज्य मंत्रालय में सामान्य कलाकार और चार्ट-कक्ष	Common Art and Chart Room in the Commerce Ministry	925

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1318.	भारतीय माल का पुनः निर्यात	Re-Export of Indian Goods	924—925
1319.	उत्पादकता आन्दोलन	Productivity Movement	925
1320.	हाथ-करघा कपड़ा	Handloom Cloth	925
1321.	अरकोनम में रेलवे वर्कशाप	Railway Workersshop at Arkonam	926
1322.	खेत्री तांबा परियोजना	Copper Project at Khetri	926—927
1323.	जमालपुर रेलवे वर्कशाप	Jamalpur Railway Workshop	927
1324.	भारतीय चाय का निर्यात	Export of Indian Tea	927
1325.	भारतीय का निर्यात	India's Tea Export	927—928
1326.	भारत में विदेशी कम्पनियां	Foreign Companies in India	928
1327.	गैर-सरकारी क्षेत्र का इस्पात उद्योग	Private Sector Steel Industry	928
1328.	मैसूर राज्य में रेलवे लाइनें	Railway Lines in Mysore State	929
1329.	पटसन तथा रूई पर शुल्क का समाप्त किया जाना	Abolition of Duty on Jute and Cotton	929
1330.	झांसी तथा ग्वालियर और बीना तथा झांसी के बीच दोहरी रेलवे लाइन बिछाना	Doubling of Railway Line between Jhansi and Gwalior and Bina and Jhansi	929—930
1331.	छोटा लाइन के इंजनों तथा डिब्बों का निर्माण	Production of Narrow Guage locomotives and Carriages	930
1332.	उज्जैन में सहकारी रुई के मिल	Co-operative Cotton Mill in Ujjain	930
1333.	संयुक्त राष्ट्र विकास तथा व्यापार सम्मेलन के लिये नियुक्तियां	Appointments for UNCTAD Conference	930—931
1334.	दिल्ली और भटिण्डा के बीच रेलगाड़ी-सेवा	Train Service between Delhi and Bhatinda	931
1335.	रेलवे में विदेश निर्मित उपकरणों का प्रयोग	Use of Foreign made equipment on Railways	931—932
1336.	टेलीविजन सेटों का आयात	Import of Television Sets	932
1337.	टीन के डिब्बों का आयात	Import of Tin Cans	932
1338.	रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए उर्दू स्कूलों को अनुदान	Grants to Urdu Schools for Children of Railway Employees	932—933

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1339.	गुजरात में एल्यूमिनियम संयंत्र	Aluminium Plant in Gujarat	933
1340.	भारत द्वारा निर्यात	India's Exports	933—934
1341.	रेलवे के लकड़ी के स्लीपर	Wooden Railway Sleepers	934
1342.	प्याज का निर्यात	Export of Onions	934
1343.	थाना रेलवे स्टेशन	Thana Railway Station	935
1344.	पश्चिम रेलवे में बम्बई सेंट्रल तथा दहानू रोड के बीच शटल रेलगाड़ी का चलना	Running of Shuttle Train between Bombay Central and Dahanu Road on Western Railway.	935
1345.	नासिक और बम्बई के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी	Additional Train between Nasik and Bombay	935
1346.	बम्बई में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Bombay	935
1347.	चारबाग रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर रेलगाड़ियों में टक्कर	Collision near Charbagh Railway Station (N. E. Rly.)	935—936
1348.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	936
1349.	अडोनी स्टेशन पर विश्राम कक्ष	Retiring Rooms at Adoni	936—937
1350.	निर्यात की वृद्धि के लिए तकनीकी सहायता	Technical Assistance for Export Promotion	937—938
1351.	बल्लारपुर स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिये पुल	Foot Bridge on Ballarpur Station	938—939
1352.	महाराष्ट्र में कच्चे लोहे का कारखाना	Pig Iron Plant in Maharashtra	939
1353.	सूडान रुई का आयात करने के लिये लाइसेन्स	Licences for Import of Sudanese Cotton	939
1354.	प्रोत्साहनों के लिये दावे	Claim for Incentives	939—940
1355.	माल डिब्बों का निर्माण	Manufacture of Wagons	940
1356.	व्यापार सम्बन्धी सलाहकार परिषद्	Advisory Council on Traffic	941
1357.	बिजली के कम्प्यूटर	Electronic Comuters	941—942
1358.	कलकत्ता में रेलगाड़ियों से चावल की तस्करी	Smuggling of Rice through Trains to Calcutta.	942
1359.	कार्मिक संघों को मान्यता देना	Recognition of Trade Unions	942

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.

1360.	निजामुद्दीन स्टेशन के पास शवों का पाया जाना	Dead Bodies found near Nizamuddin Railway Station	942—943
1361.	विदेशी सहयोग से वाणिज्यिक समझौते	Foreign collaboration Deals	943
1362.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotions of staff in Khadi and village Industries Commission	943
1363.	उपदान का भुगतान	Payment of Gratuity	944
1364.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and Village Industries Commission	944
1365.	सोमपुर रेलवे स्टेशन पर क्वार्टर	Quarters at Sompur Railway Station	944—945
1366.	अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के लिये हुबली से सिकन्दराबाद तक विशेष रेलगाड़ी	Special train from Hubli to Secunderabad for All India Congress Session	945
1367.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	Hindustan Machine Tools Ltd.	945—946
1368.	रेलवे पर कम्पूटर	Computers on Railways	946
1369.	रेलवे में कार्ड टिकटों की छपाई	Prining of Card Tickets on Railways	946—947
1370.	सोनीपत से दिल्ली के लिये डीलक्स गाड़ियों का देरी से चलना	Late running of De-luxe trains from Sonepat to Delhi	947
1371.	बुधनी में पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ी का हाल्ट	Halt of Pathankot Express at Budni	947—948
1372.	मुरादाबाद से एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चलाया जाना	Running of an Express train from Moradabad	948
1373.	पंजीकृत बूचड़खाने	Mechanised Slaughter Houses	948
1374.	फ्रंटियर मेल के साथ लगाया गया द्वितीय श्रेणी का डिब्बा	Second Class Compartment Attached to Frontier Mail	948—949
1375.	रुई की कीमतें	Prices of Cotton	949
1376.	उत्तर रेलवे पर चलती गाड़ी से सैनिक हथियारों के की चोरी	Theft ol Boxes containing Military Arms from Running Train on Northern Railway	949—950

अता० प्र० संख्या U. S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1377. भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास बम का विस्फोट	Explosion of Bomb at Bhgalpur Railway Station	950
1378. व्यापार सम्बन्धी सलाहकार परिषद्	Advisory Council on Trade	950
1379. उत्तर रेलवे के यातायात प्रशिक्षु	Traffic Apprenticesof Northern Railways	950
1380. गुजरात में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना	Conversion of Metre Gauge Line into Broad Gauge in Gujarat	951
1381. चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Medical Expenses	951
1382. निर्यात प्रधान एल्यूमिना कारखाने	Export oriented Alumina plants	951—952
1383. पन्ना हीरा परियोजना	Panna Diamond Project.	952—95
1384. मलयेशिया में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in Malaysia	953
1385. चैकोस्लोवाकिया को निर्यात	Exports to Czechoslovakia	954
1386. माल डिब्बों से कपड़े के गट्ठों का गुम होना	Missing of cloth Bales from Wagons	954—955
1387. मनीपुर के लिए लोहे की नालीदार चादरों का नियतन	Allocation of C. I. Sheets to Manipur	955
1388. सागर और दमोह जिलों में खनिज सम्पत्ति	Mineral Wealth in Saugar and Damoh Districts	955—956
1389. सागर से गाड़ियों के साथ दो तीन टायर से डिब्बे लगाना	Attaching of Two-three tier Bogi to Trains from Sagar	956
1390. विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration	956
1391. सूती मिलों कपड़ों के में तकुए तथा करघे	Spindles of Looms in Textile Mills	956—957
1392. केरल सरकार द्वारा जापान से चावल का आयात	Import of Rice from Japan by Kerala Government	957
1393. भिवानी एण्ड कम्पनी के पास रुई का स्टाक	Cotton Stocks with Bhivani and Co.	957

अता० प्रश्न संख्या

U S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1394. वियतनाम को निर्यात	Exports to Vietnam	957—958
1395. कपड़ा निगम	Textile corporation	958
1396. लौह तथा मैंगनीज अयस्क के लिये रेल भाड़ा	Railway Freights for Iron and Manganese	958—959
1396-क निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम	Export Promotion programme	959
1396-ख संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन	UNCTAD	959—960
1396-ग छिद्रण करने वाले जरमों और मशीनों के निर्माण के लिये कारखाना	Plant to Manufacture Drilling Rngs and Machinery	960
1396-घ भारत रूस व्यापार	Indo-Soviet Trade	960—961
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	961—962
बनिहाल सुरंग के निकट हिमखण्ड के गिरने के कारण कई जवानों की मृत्यु तथा सैनिक वैगनों का नष्ट होना	Dealth of several Jawans and destruction of military Wagons due to avalanche near Banihal Tunnel	
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardyal Devgun	
श्री ल० ना० मिश्र	Shri L. N. Mishra	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	962—965
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	965
धान कुटाई उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक	Rice-milling Industry (Regulation) Amendment Bill	965
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha	
गुजरात पश्चिम पाकिस्तान क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णय के सम्बन्ध में वक्तव्य	Statement re. Award of International Tribunal on Indo-Paksistan border in Gujarat West Pakistan Area	965—967
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	
अध्यापकों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Teachers' strike	967—970
डा० त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वक्तव्य तथा मंत्री का उस पर उत्तर	Statement by Member under Direction 115 and Minister's reply thereto	970
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	971
मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव	Motion of No-confidence in Council of Ministers	
भारत पाकिस्तान सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णय के बारे में	Re: Award of International Tribunal on Indo-Pakistan Border	971—972
राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय दो सदस्यों के आचरण के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. conduct of two Members during President's Address	972—980
श्री वेंकटासुब्बया	Shri Venktatasubbiah	
श्री चं० चू० देसाई	Shri C. C. Desai	
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Sri Chand Goel	
श्री तिरुमल राव	Shri Thirumala Rao	
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kanadappan	
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	
श्री दत्तात्रय कुन्टे	Shri Dattatrya Kunte	
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghai Dar	
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	
पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Proclamation in relation to West Bengal	980—983
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	
राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय दो सदस्यों के आचरण के बारे में प्रस्ताव-जारी	Motion Re : Conduct of Two Members During President's Address-Contd.	983—990

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 20, फरवरी 1968/ 1 फाल्गुन, 1889 (शक)
Tuesday, 20 February, 1968/ Phalguna 1, 1889 (Saka)

———

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

व्यापार-गृहों द्वारः स्थापित ट्रस्ट

*152 श्री शशि रंजन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न व्यापार-गृहों के व्यापारियों द्वारा देश में कितने ट्रस्ट स्थापित किए गए हैं ;

(ख) इन ट्रस्टों द्वारा कुल कितनी राशि का लेन-देन किया गया है ; और

(ग) देश के आर्थिक विकास में इन ट्रस्टों की क्या उपयोगिता है ?

औद्योगिक विकास एवं कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) "ट्रस्ट एवं ट्रस्टी" का विषय भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। अतः ट्रस्टों से संबधित अनेक केन्द्रीय तथा राज्य कानून हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किसी ट्रस्ट का कोई नोटिस सदस्यों, अथवा ऋण–पत्रधारियों की पंजी पर नहीं लिखा जा सकता। ट्रस्टों द्वारा प्राप्त हिस्से तथा ऋण-पत्रों की घोषणा उन ट्रस्टों

के बारे में सरकारी ट्रस्टों को देनी होगी, जिन्होंने ये लिखित में संलेखों द्वारा प्राप्त किये हों, परन्तु हिस्सों तथा ऋण-पत्रों में नियोजन, कुछ विहित सीमाओं से अधिक हो। 17 फरवरी, 1968 तक 142 ट्रस्टों ने ऐसी घोषणा की है।

(ख) 17 फरवरी, 1968 तक, 142 ट्रस्टों द्वारा हिस्सों तथा ऋण-पत्रों में नियोजन, सरकारी ट्रस्टों के अभिलेखों में कुल 34·4 करोड़ रुपये हैं। इन ट्रस्टों द्वारा, हिस्सों तथा ऋण-पत्रों के अलावा अन्य जायदादों में किया गया नियोजन तथा अन्य ट्रस्टों द्वारा किया गया नियोजन, जिसमें कम्पनी अधिनियम की धारा 153-बी लागू नहीं होती, प्राप्य नहीं है।

(ग) 30-9-1967 तक गैर-सरकारी कम्पनियों में, निगम क्षेत्र में लगी हुई कुल प्रदत्त पूंजी 1957 करोड़ रुपये थी। 17-2-1968 तक सरकारी ट्रस्टों के अभिलेखों में, ट्रस्टों द्वारा हिस्सों में नियोजन 34·4 करोड़ रुपये था। अतः देश के आर्थिक विकास में, ट्रस्टों के भाग का अभी कोई निर्धारण नहीं है।

श्री शशि रंजन : मंत्री महोदय का कहना है कि इन ट्रस्टों का देश के आर्थिक विकास के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि यह बात सही है तो ट्रस्ट की आवश्यकता ही क्या है? अन्य देशों में ट्रस्ट जनसाधारण के लाभ के लिये होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि ट्रस्ट बनाने वालों में से ट्रस्ट में कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। परन्तु यहां पर ट्रस्ट शत-प्रतिशत उन्हीं के हाथों में होता है जो उसे बनाते हैं। फिर इन ट्रस्टों पर कर भी नहीं लगाया जाता। क्या सरकार ने इन ट्रस्टों पर, यदि वे लाभ कमायें, आय-कर लगाने पर विचार किया है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हमारे देश में कुछ ऐसे ट्रस्ट हैं जो धर्मार्थ ट्रस्टों अथवा उन संगठनों से बिल्कुल भिन्न हैं जो केवल कल्याण के उद्देश्य से स्थापित किये जाते हैं, वे देश के आर्थिक विकास तथा विभिन्न आर्थिक कार्यों में भाग लेते हैं। देश के आर्थिक-विकास तथा आर्थिक-शक्ति के संकेन्द्रण पर ट्रस्टों का कितना प्रभाव पड़ा है, उसका अभी निर्धारण नहीं हो सका है और अभी यह कार्य किया जा रहा है।

दूसरा प्रश्न यह था कि क्या भारत के ट्रस्टों और विदेशों के ट्रस्टों में कुछ अन्तर है। जहां तक ब्रिटेन के कानून का सम्बन्ध है, वहाँ यह भिन्न प्रकार का है, और अमरीका के कानून के अनुसार ट्रस्ट को एक आर्थिक संस्था माना जाता है। भारत में कई प्रकार के ट्रस्ट हैं। कुछ ट्रस्ट आर्थिक दृष्टि से बने हैं और कुछ धार्मिक ट्रस्ट हैं।

जहां तक ट्रस्टों पर आय-कर लगाने का सम्बन्ध है, मैं आय-कर कानून के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। परन्तु मैं यहां पर आय-कर अधिनियम की धारा 11,60 और 36 का उल्लेख करना चाहता हूँ। कुछ मामलों में ट्रस्टों पर आय-कर तथा अन्य सीधे कर आदि लगाये जाते हैं।

श्री शशि रंजन : इस देश में जो ट्रस्ट हैं क्या वे उन्हीं लोगों द्वारा चलाये जाते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया है और या तो उनमें बाहर का कोई सदस्य नही है या उनमें बाहर से केवल कुछ ही सदस्य सम्मिलित किये गये हैं। अन्य देशों में धर्मार्थ ट्रस्टों के बारे में यह स्थिति

नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे कि यहां पर धर्मार्थ ट्रस्टों पर उनके बनाने वालों का अधिक प्रभाव न पड़े ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक देश के अन्दर ट्रस्टों द्वारा व्यापारिक नियोजन का सम्बन्ध है, समवाय-विधि की धारा 153 (क) के अन्तर्गत एक सरकारी ट्रस्टी की नियुक्ति की जाती है और धारा 153-ख के अधीन सरकारी ट्रस्टी की शक्तियों की परिभाषा दी गयी है। और जहां 5 लाख से अधिक पूंजी लगी हुई होती है, उन मामलों में शेयरों और डिबेंचरों की सूचना सरकारी ट्रस्टी को देनी होती है और ट्रस्ट की सम्पत्ति की ओर से सरकारी ट्रस्टी कार्य करता है। सरकारी ट्रस्टी की शक्तियों की परिभाषा धारा 187 (ख) में दी गयी है और कुछ मामलों में सरकारी ट्रस्टी अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को भी भेज सकता है। समवाय-विधि के अनुसार सामान्यतः व्यापारिक संगठनों में लगाई गयी ट्रस्ट की सम्पत्ति की ओर से सरकारी ट्रस्टी कार्य करता है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : निगमित क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है, उसमें से धर्मार्थ ट्रस्टों में लगभग 40 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। क्या यह सच है कि निगमित क्षेत्र में जो पूंजी लगायी गयी है उस पर जो कर आदि लगाये जाते हैं, वह केवल लगभग 300 से 400 करोड़ रुपये है और वे निगमित क्षेत्र में लगायी गयी पूंजी से प्राप्त लाभ पर आय-कर से बचने के लिये अधिक से अधिक धन धर्मार्थ ट्रस्टों में लगाया जाता है और यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि बड़े-बड़े व्यापारियों में अधिक से अधिक ट्रस्ट बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह कराधान और व्यापार में लगायी गयी ट्रस्ट की पूंजी पर कानून लागू करने का प्रश्न है। मैंने आय-कर अधिनियम के उपबन्धों का पहले ही उल्लेख कर दिया है। धन-कर अधिनियम, उपहार-कर अधिनियम और सम्पदा-शुल्क अधिनियम में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनके अन्तर्गत ट्रस्ट-सम्पत्ति को कुछ मामलों में छूट है परन्तु यह छूट सभी मामलों में नहीं दी जाती। यदि न्यास की सम्पत्ति इन अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत आती है तो निश्चय ही उन पर कर लगेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि निगमित क्षेत्र में लगायी गयी पूंजी से कुल कितना कराधान सरकार को प्राप्त हो रहा है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह प्रश्न वित्त मन्त्रालय से पूछा जाना चाहिये।

Shri Maharaj Singh Bharati : I want to know that in view of crores of rupees having been invested in the trusts in our country, wheather Government have formulated any scheme to make any enquiry in the trust affairs and whether Government is contemplating to see the working of these trusts and then take necessary steps to look into their accounts ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि ट्रस्टों की समस्याओं और उनके कार्य-संचालन का ठीक प्रकार से अध्ययन करना चाहिये। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि हम पहले ही यह कार्य कर रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : हमारे देश में जो ट्रस्ट हैं वे किस प्रकार के हैं ? इनका मुख्य उद्देश्य क्या है और इनसे किन-किन लोगों को वास्तव में लाभ पहुंचता है, क्योंकि वे देश के आर्थिक-विकास में अपना कोई योगदान नहीं दे रहे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इन सब बातों का ब्यौरा मैं इस समय नहीं बता सकता। परन्तु मैं इतना बता सकता हूँ कि जो धर्मार्थ ट्रस्ट हैं उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का विकास या अन्य पुण्य कार्यों का विकास करना है। वे भिन्न प्रकार के ट्रस्ट होते हैं। फिर भी कुछ मामलों में ये ट्रस्ट व्यापार-संगठनों में भी धन लगाते हैं। इस प्रकार के संगठनों में वे जितना धन लगाते हैं उन पर उसी सीमा तक समवाय-विधि लागू हो जाती है। निश्चय ही धारा 153 (क) के अधीन नियुक्त किया गया सरकारी ट्रस्ट इस मामले की जाँच करेगा।

जहां तक हिताधिकारियों का सम्बन्ध है, वह ट्रस्ट विलेख पर निर्भर करता है। हिताधिकारियों का उल्लेख विलेख में होता है। प्रत्येक ट्रस्ट के अपने-अपने हिताधिकारी होते हैं।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या व्यापार संस्थानों की कराधान के कानूनों से बचने और अपनी सम्पत्ति सुरक्षित रखने और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये ट्रस्ट बनाने की कोई प्रत्यक्ष प्रवृत्ति दिखाई देती है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : देश में बहुत से व्यापारिक संस्थानों का उन ट्रस्टों में पूंजी नियोजन के कारण निगमित क्षेत्र पर नियंत्रण है जो ऐसे लोगों द्वारा बनाये गये हैं जो इन संस्थानों का समर्थन करते हैं। हाल ही में श्री चन्द्रशेखर, संसद् सदस्य ने एक आरोप लगाते हुए बिड़ला ग्रुप के ट्रस्टों की एक सूची प्रस्तुत की थी जिनसे बिड़ला बन्धुओं को लाभ पहुंचता है। इतना ही नहीं, बहुत कम ट्रस्ट ऐसे हैं जिन्होंने व्यापारिक संस्थानों में पूंजी लगाई हुई है। जहां तक कर अपवचन का सम्बन्ध है, यदि कोई व्यक्ति देश के कानून से लाभ उठा सकता है और उससे वह कर से बच सकता है तो निश्चय ही उसको ऐसा करने का अधिकार है।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : मेरा यह प्रश्न नहीं है। क्या सरकार ने ऐसी कोई प्रत्यक्ष प्रवृत्ति देखी है ? क्योंकि वर्तमान कानूनी ढांचे के कारण व्यापारिक संस्थान इन बातों का लाभ उठाते हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हम ट्रस्टों के समस्त कार्य-संचालन का अध्ययन कर रहे हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था और कर के कानूनों के सम्बन्ध में उसकी उपशाखाओं के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। यह अध्ययन जब पूरा हो जायेगा तो माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जायेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या यह सच है कि इन ट्रस्टों के कार्य के कारण जनसाधारण का उन ट्रस्टों में विश्वास समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो इस विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यदि माननीय सदस्य हमें किसी ऐसे ट्रस्ट की सूचना देंगे, जिसके कार्य में कुप्रबन्ध है, तो हम निश्चय ही उसकी जांच करेंगे।

श्री काशी नाथ पाण्डेय : धर्मार्थ ट्रस्टों के सम्बन्ध में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो यह देखे कि इस प्रकार के ट्रस्टों का मुख्य उद्देश्य पूरा किया जाये ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : ट्रस्टों के गठन के सम्बन्ध में कई अधिनियम हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया है ट्रस्टों का विषय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। इसलिये न केवल संसद्, बल्कि विधान मंडल भी, इस सम्बन्ध में कानून बना सकते हैं और राज्य विधान मंडलों तथा

संसद् द्वारा कई अधिनियम पास करने के फलस्वरूप यह ट्रस्ट चल रहे हैं । प्रत्येक विधान मंडल ने ट्रस्ट बनाने और उनके ठीक प्रकार से संचालन के सम्बन्ध में व्यवस्था की है और यदि किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिये कानून के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है ।

Shri Sheo Narain : May I know if this Government is ready to hand over all the business houses to a trust according to the Gandhism philosophy ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस प्रश्न के साथ इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं है । ट्रस्ट का आधार विश्वास है, और यदि ट्रस्ट ट्रस्ट-सम्बन्धी विधियों तथा शर्तों का उल्लंघन करता है तो यह स्वाभाविक है कि कानून के उपबन्धों के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाये ।

बोकारो इस्पात संयंत्र

+

*153. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** :
श्री वे० कु० दासचौधरी :
श्री श्रीधरन :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो में इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या उपकरण के आयात में विलम्ब के कारण परियोजना की लागत बढ़ गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

कारखाने के स्थल को समतल करने का काम लगभग पूरा हो चुका है, जो थोड़ा सा काम रहता है उसके 31 मार्च, 1968 तक पूरा हो जाने की संभावना है । कुल 31,210 एकड़ अपेक्षित भूमि में से 21,202 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है ।

2. कोल्ड रोलिंग मिल्स परिक्षेत्र के सिवाय सभी परिक्षेत्रों में सिविल इंजीनियरी का काम आरम्भ किया जा चुका है । जैसे ही वर्किंग ड्राइंग्स प्राप्त होंगी वैसे ही मार्च, 1968 में कोल्ड रोलिंग मिल्स के परिक्षेत्र में काम शुरू कर दिया जाएगा । मिट्टी के 13·62 मिलियन घन मीटर के कुल काम और कंक्रीट के 1·50 मिलियन घन मीटर के कुल काम की तुलना में जनवरी, 1968 तक क्रमशः 1·20 मिलियन घन मीटर और 9,216 घन मीटर काम हो चुका था।

3. ऐसी आशा है कि कारखाने के लिए लगभग 64 प्रतिशत उपकरण, 92 प्रतिशत इस्पात के ढांचे और 96 प्रतिशत उष्मसह देश से ही लिए जाएंगे, शेष सोवियत रूस से आयात किये जाएंगे । मई, 1966 में बोकारो स्टील लिमिटेड और सोवियत संगठन त्याजप्रोम एक्सपोर्ट के बीच 177.166 टन उपकरणों, इस्पात के ढांचों उष्मसह और पाइपों की सप्लाई के लिए करार किया गया था, जिसमें से जनवरी, 1968 के अन्त तक 17,626 टन उपकरण और दूसरा

सामान आ चुका है। ऐसी आशा है कि संयंत्र, उपकरण और सामान आदि निश्चित कार्यक्रम के अनुसार मिलता रहेगा और जैसी कि उपर्युक्त करार में व्यवस्था है सारा सामान जुलाई, 1970 तक आ जायेगा ।

4. बोकारो स्टील लिमिटेड ने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को 98,000 टन, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर को 13,860 टन और हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल, को 1,577 टन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद, को 1900 टन, भारत हैवी इलेक्ट्रिल्स लिमिटेड, त्रिचिरापल्ली, को 1900 टन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरद्वार को 218 टन, इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा, को 600 टन, इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगालौर, को 50 टन संयंत्र, उपकरण और संरचनात्मक सप्लाई करने और ढांचों के संविरचन और अधिष्ठापन के लिए हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को आर्डर दिये हैं जिसने 97,200 टन के लिए आगे ठेके दे दिये हैं और शेष 40,000 टन के लगभग के ठेके देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

5. तैयार होने पर इस्पात कारखाने की बस्ती में 10,000 के लगभग मकान होंगे। अब तक 1,772 स्थायी मकान बनाये जा चुके हैं और 2,520 मकान लगभग पूरे होने वाले हैं । गर्ग बांध जो बस्ती और कारखाने के निर्माण के लिए जल की पूर्ति करेगा बनकर तैयार हो चुका है । तुनुघाट बांध, जो कारखाने के परिचालन के लिए जल की पूर्ति करेगा, निर्माणाधीन है ।

6. सोवियत रूस से उपकरणों के आयात में कोई विलम्ब नहीं हुआ है । सामान देने की मूल अनुसूची के अनुसार सामान आ रहा है। अतः इस कारण से लागत में वृद्धि होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस परियोजना के लिये रूस से उपकरण आयात करने हेतु चार वर्ष का इतना लम्बा समय क्यों निश्चित किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : इस परियोजना का आकार बड़ा होने के कारण, कारखाने के चलाने के कार्य-क्रम की अवस्थायें निश्चित कर दी गयी हैं ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इस कारखाने की पूरी लागत में कितनी बार संशोधन किया गया है ? परियोजना की मूल लागत कितनी थी और अब अनुमानित लागत कितनी है ?

डा० चन्ना रेड्डी : इस सम्बन्ध में एक बार संशोध किया गया है और मूल परियोजना का, जहां तक प्रथम प्रक्रम का सम्बन्ध है, अनुमान 62,000 लाख रुपये था ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार। मूल अनुमान कितना था और पुनरीक्षित अनुमान कितना है ?

डा० चन्ना रेड्डी : केवल एक बार संशोधन किया गया था । रूस के साथ समझौता होने के बाद अनुमान की दृष्टि से कोई संशोधन नहीं किया गया।

श्री रंगा : अब अन्तिम अनुमान क्या लगाया गया है ?

डा० चन्ना रेड्डी : 17 लाख टन के लिये 62,000 लाख रुपये ।

श्री श्रीधरन : इस प्रश्न के उत्तर में जो विवरण दिया गया है इसमें कई परस्पर विरोधी बातें है । यह कहा गया है कि 10,000 मकान बनाये जायेंगे परन्तु अफसरों के लिये क्लब का कोई उल्लेख नहीं किया जो लाखों रुपये खर्च करके बनाया गया है जिसमें तैरने के लिये तालाब भी बनाया गया है मानो ये दफतरशाह तैरने के तालाब आदि के बिना रह ही नहीं सकते। इस प्रकार और भी कई परस्पर विरोधी बातें कही गयी हैं। इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूँ कि (एक) परियोजना कब पूरी होगी (दो) वर्ष 1968-69 के दौरान कितने टन आयात किया जायेगा और वर्ष 1969-70 में कितने टन का आयात किया जायेगा; और (तीन) जिन भारतीय कम्पनियों को उपकरण सप्लाई करने के ठेके दिये गये है, उन्हें ये उपकरण कब तक सप्लाई करने चाहियें ?

डा० चन्ना रेड्डी : दुर्भाग्य से माननीय सदस्य को यह भ्रम हो गया कि तथ्यों को छिपाया गया है। धमन भट्टी सितम्बर, 1970 तक तैयार हो जायेगी और प्रथम प्रक्रम दिसम्बर, 1971 के अन्त तक पूरा हो जायेगा । वर्ष 1968-69 में आयात की जाने वाली सामग्री लगभग 68,000 टन है। बाद के वर्षों के सम्बन्ध में हमें अभी ब्यौरा तैयार करना है परन्तु वह सारी सामग्री जुलाई, 1970 तक पहुँच जाने की आशा है । अब तक 1772 पक्के मकान बनाये गये हैं । 2520 मकान लगभग पूरे होने वाले हैं ।

श्री श्रीधरन : लाखों रुपये से बनाये गये अधिकारियों के क्लब की बात को उन्होंने छिपाया है ।

डा० चन्ना रेड्डी : इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। 200 व्यक्तियों के रहने के लिये एक होस्टल बनाया गया है और होस्टल में वे रूसी विशेषज्ञ रहेंगे जो वहां पर आते हैं।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : विवरण के अन्त में कहा गया है कि शेष 40,000 टन सामग्री सप्लाई करने का ठेका देने की बात अभी विचाराधीन है । बोकारो संयंत्र का कार्यक्रम क्या है और यह सामग्री कैसे सप्लाई की जायेगी ? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को 98,000 टन सामग्री सप्लाई करने के जो आदेश दिये गये थे, वे सप्लाई पूरी हो गयी है और यदि नहीं, तो क्या उसमें कुछ देर है और यदि हां, तो इस देर के लिये कौन उत्तरदायी है ?

डा० चन्ना रेड्डी : हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन और एम० ए० एम० सी० द्वारा सप्लाई की स्थिति पर पुनर्विचार किया जा रहा है। गत मास एक रूसी विशेषज्ञ और एक इन्जीनियर हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन में भेजे गये थे और एक अन्य इन्जीनियर एम० ए० एम० सी० में भेजे गये थे जिससे वह उत्पादन और प्रेषण के कार्य को देख सकें ।

Shri Raghubir Singh Shastri: I want to know whether it is a fact that most of the 1772 houses which have been constructed are meant for officers and no attention has been paid so far towards the construction of quarters for low-paid staff ? It it also a fact that there has been some bungling in awarding civil contract, and Central Bureau of Investigation are investigating the matter ? If so; when is the enquiry report expected ? Is there any dispute about the supervision of construction work between Hindustan Steel Construction Company and Bokaro Steel Limited ?

Dr. Channa Reddy : There are 520 hutments for labourers and out of 1772 houses, 1,000

houses are meant for clerks and other low-paid staff. 402 houses are ment for officers. Besides this 2,520 houses are being constructed for low-paid staff which include classIV and other employees. It is estimated to incur an expenditure of Rs.57 million. 80 per cent of the construction has been completed.

There is no doubt that there have been some malpractices in the construction work. I have not get details with me but enquiry is being conducted. There is no question of dispute between Hindustan Steel Works Constructon Company and Bokaro Steel Limited. We could not find suitable Chairman and Managing Director for Hindustan Steel Works Construction Limited and hence the delay in assigning the structurals and construction work to somebody.

Shri Achal Singh : As sufficient quantity of iron is being produced in the steel plants in the country and there is a major slump in regard to steel, whether it is proper to have Bakaro Steel Plant ?

Dr. Channa Reddy : A decision has been taken after looking into all these things because at present our production is 6·8 million tons but in future our requirements may rise to 15 to to 20 million ton.

श्री कन्डप्पन : दक्षिण के राज्यों में सलेम और विशाखापतनम में छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने की मांग इस आधार पर रद्द कर दी गई थी कि मार्केट में इस्पात की पहले ही भरमार है। इन परिस्थितियों में बोकारो संयंत्र स्थापित करने की क्या आवश्यकता है ?

डा० चन्ना रेड्डी : बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में कुछ वर्ष पहले निर्णय किया गया था और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इन दोनों का आपस में कोई सम्बन्ध है ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या बोकारो में कोई अस्पताल बनाया गया है और यदि हां, तो उसमें कितने पलंगों की व्यवस्था है ?

डा० चन्ना रेड्डी : वहाँ पहले से ही एक अस्पताल है जिसमें और स्थान की व्यवस्था कर दी जायेगी । उसमें 50 पलंगों की पहले ही व्यवस्था है ।

श्री चं० चु० देसाई : क्या रूस वालों ने 60 से 70 करोड़ रुपये की लागत पर बोकारो में एक प्रयोगशाला बनाने के लिये प्रस्ताव रखा है और क्या सरकार का विचार इस प्रकार के संयंत्र के लिये 60 से 70 करोड़ रुपये की लागत की प्रयोगशाला बनाने का है ?

डा० चन्ना रेड्डी : जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया है ।

श्री दामानी : जब बोकारो इस्पात संयंत्र की योजना बनायी गयी थी तो यह सोचा गया था कि अधिकतर मशीनों और संयंत्र का देश में ही निर्माण होगा । परन्तु अब पता चला है कि संयंत्र और मशीनों की बहुत सी सामग्री रूस से मंगवाई जायेगी । क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में इस सामग्री का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा और आयात क्यों किया जा रहा है ।

डा० चन्ना रेड्डी : अब भी हम जितनी सामग्री का निर्माण कर रहे है, उतनी ही सामग्री आयात कर रहे हैं । परन्तु सच बात यह है कि वास्तव में उपकरण की 64 प्रतिशत संरचना की 92 प्रतिशत और उष्म-सह (रिफ्रेक्टरी) की 96 प्रतिशत सामग्री का उत्पादन देश

में होता है । संयंत्र का बड़ा आकार होने के कारण आयात भी अधिक मात्रा में किया जा रहा है परन्तु फिर भी यह सामग्री काफी मात्रा में यहीं तैयार की जाती है ।

Shri Ramavtar Shastri : Soviet Union is giving assistance for the installation of Bokaro Plant. May I know whether Soviet Union have made any suggestions with regard to its management and whether Government is considering any proposal to include the labourers working in this plant in its management ?

Dr. Channa Reddy : The work of Bakaro Plant is still going on. The pattern of the management would be evolved in years to come.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : अभी निर्माण की अवस्था में ही काफी गम्भीर विवाद खड़ा हो गया है जिसके फलस्वरूप पिछले दिनों में 15 दिन तक निर्माण-कार्य स्थगित रहा है। क्या इसमें प्रबन्धक-कर्मचारियों का भी हाथ है और क्या इस विवाद के कारणों का पता लगाने के लिए प्रबन्धकों ने कोई जांच की है ? यह भी पता चला है कि उप-महा-प्रबन्धक श्री पाण्डेय ने कहा है कि निर्माण में देर होने के कारण हर महीने दो करोड़ रुपये की हानि होगी। क्या मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि इतनी हानि कैसे होगी ?

डा० चन्ना रेड्डी : इस महीने की 8 तारीख को 700 या 800 लोगों ने एक कर्मचारी के नेतृत्व में जलूस निकाला था और उन्होंने अधिकारियों का 'घेराव' करने का प्रयत्न किया था । परन्तु स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया था और इस समय वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक है और कार्य चल रहा है। कार्य में बहुत कम बाधा पड़ी थी और वह भी अब ठीक हो गया है। जहां तक उप-महा-प्रबन्धक के वक्तव्य का सम्बन्ध है, मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । परन्तु यह केवल अनुमान मात्र था। यदि कार्य में देर होती है तो हानि का अनुमान बताया गया था ।

श्री प० गोपालन : क्या यह सच है कि इस परियोजना में कार्य करने वाले रूसी विशेषज्ञों और भारतीय विशेषज्ञों में मतभेद होने के कारण बोकारो संयंत्र के कार्य में काफी रुकावट पड़ी है ।

डा० चन्ना रेड्डी : उनकी राय में कोइ मतभेद नहीं है । दोनों विशेषज्ञ आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और उनके कार्य में पूर्ण समन्वय है ।

कागज का मूल्य

+155. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के कागज निर्माताओं की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें कागज के मूल्य बढ़ाने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो मार्ग का आधार क्या है ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) कागज के मूल्य में वृद्धि करने के लिये कागज उद्योग की मांग उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाने पर आधारित है ।

(ग) विषय विचाराधीन है ।

Shri Prem Chand Verma : May I know whether it is a fact that target of production of paper is 12 lakh tons by 1970-71 and at present only 6 lakh ton paper is being produced; if so, the steps being taken to achieve the said target and whether Government think that the target would be achieved ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : At first the Planning Commission had fixed the target upto 1971-72 but now they are re-considering the question of quantity of paper required during the fourth plan period and the steps that can be taken to enhance paper production. We are contemplating to get this work done though Paper Corporation besides private industries and we feel that we should be able to get the work done through Paper Corporation in order to enhance the production of paper.

Shri Prem Chand Verma : May I know whether it is a fact that as a result of fixation of lower price of paper, good quality of paper is not being produced in India and consequently crores of rupees are being spent in the form of foreign exchange in order to import paper of food quality ? If so, whether Government is going to reconsider the price structure of paper and when the decision will be taken in this respect ?

I would also like to know as to why Government is not removing the price control on paper? I want to know whether Government would consider this matter or the present price of paper would be increased so that the production may also be increased ?

Shri F. A. Ahmed: It has already been stated that the cost of production of paper has been increased and Government is considering the question of the amount of increase in price. Government is also considering to decontrol paper keeping in view the fact that the quantum of production of paper is more than its demand. But there are two questions before us. One is that if we decontrol paper, whether children of poor people who need paper for their schools, will get the paper at proper price ? The second point is this, whether as a result of decontrol of paper and consequent increase in price the expenditure of Government for purchase of paper would increase or not ? The supply is much more as compared to demand.

Shri K. N. Tiwary : There was a scheme of producing paper by using baggase .What is the present position of this scheme ?

Besides this there was also a scheme of producing paper by using material available in Andaman and other places. I want to know whether it is in private sector or public sector and whether this scheme is being considered or not ? I would also like to know whether it is a fact that private sector and other people are not establishing paper industry and the people who have got licence are not producing paper on the plea that there is no profit left in this industry. I want to know whether Government is paying some attention towards this point ?

Shri F. A. Ahmed : It is true that as there is not much profit left in this business, this industry has been de-licensed.Even then many people have not established paper industry. The licence holders have also not started their work. One or two paper mills have been closed down.

The question of production of paper by using bagasse will be considered on receipt of report of Planning Commission.

Shri Hukam Chand Kachwai : The paper plant in the public sector situated at Napanagar in Madhya Pradesh is a big one.May I know its capacity and whether its production is below the installed capacity ?

Shri F. A. Ahmed : It is not a fact. It is producing according to its full capacity.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether the paper of low quality is being produced there ?

Shri F. A. Ahmed. We have received no such complaint.

Shri Sita Ram Kesari : Is it a fact that both the paper factories in Bihar are lying idle ? May I know whether there is any plan to work those factories, so that the production of paper may increase ?

Shri F. A. Ahmed : I do not know whether both the factories are in Bihar. But I know that some factories are being closed.Their demand for increase in the price of paper is being given due consideration.

श्री कु० मा० कौशिक : अनेक कागज के कारखाने कागज बनाने के लिये केवल बांस को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, परन्तु बांस की सप्लाई भी असीमित नहीं है । क्या सरकार किसी अन्य कच्चे माल की खोज कर रही है, जो बांस का स्थान ले सके और कागज बनाने के लिये कच्चे माल का अभाव उत्पन्न न होने पाये ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कागज के बनाने में न केवल बांस बल्कि घास, लुग्दी तथा अन्य वस्तुएं भी प्रयोग में लाई जाती हैं । फिर भी सरकार को विज्ञान अथवा प्राद्योगिकी के माध्यम से कोई ऐसी सामग्री तैयार करने का प्रयास अवश्य करना चाहिये जो कागज के उत्पादन में कच्चे माल का काम दे सके ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : May I know the difficulties on account of which the Ashoka Paper Mills is not being worked and the time by which these difficulties will be removed ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के पास तत्सम्बन्धी कोई ब्यौरा नहीं है ।

Shri O. P. Tyagi : The Minister has admitted just now that this industry is not a profitable one. In view of that whether Government propose to decontrol some percentage of paper, on the pattern of decontrol of sugar in order to revitalize the paper industry ?

Shri F. A. Ahmed: All these things are being considered.

श्री लीलाधर कटकी : आसाम में कागज के बनाने में काम आने वाला कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है । इसका सदुपयोग करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, जिससे कच्चे माल की आवश्यकता पूरी होती रहे और कागज का मूल्य कम हो जाये ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कच्चे माल का अभाव नहीं है। जहां तक आसाम में उपलब्ध कच्चे माल को प्रयोग में लाने का सम्बन्ध है, इसके लिये जांच-पड़ताल करवाई जा रही है तथा परियोजना-प्रतिवेदन के मिलने पर कागज निगम इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

Shri Shashibushan Bajpai : May I know the reasons of the paper manufactured by Birla's Oriental Paper Mill being costly in spite of thousands of crores of land having been given to it bambool forests leased at cheaper rates and a loan of 18 crores of rupees.

Shri F. A. Ahmed : I do not know the reason. We are examining all these questions in order to see where the price of paper is to be increased and by how much? We want to give equal treatment to new as well as old paper mills to enable them to run simultaneously.

श्री दी० चं० शर्मा : कागज की आवश्यकता अखबार छापने, पुस्तक छापने तथा अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिये होती है। क्या कागज के आयात के कारण हमारे देश में कागज की कुछ किस्मों के भाव बढ़ गये हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कागज के मूल्यों में वृद्धि का कारण आयात नहीं है, बल्कि देश में कच्चे माल का महंगा होना है।

अलाभप्रद रेलवे लाइनें

*157.+श्री रवि राय :
श्री मयावन :
श्री देवराव पाटिल :
श्री रामभद्रन :
श्री अंबचेजियान :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास, मध्य प्रदेश और पंजाब ने अपने-अपने क्षेत्रों में अलाभप्रद रेलवे लाइनों के बन्द करने के रेलवे बोर्ड के प्रस्ताव का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा प्रस्ताव का विरोध किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) संघ सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस निर्णय से कितने धन की बचत होने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं। इन राज्य सरकारों से अभी तक हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई पत्र नहीं आया है।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मद्रास में चार लाइनों, पंजाब में दो लाइनों तथा मध्य प्रदेश में एक लाइन के संचालन पर लगभग 40 लाख रुपये का प्रति वर्ष घाटा होता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिख दिया गया है।

Shri Rabi Ray : May I know whether the Transport Minister of Tamilnad has formally objected to this move? Government should not adopt a contractor-like attitude. If any railway line is running loss it does not mean that the same should be dismantled. I would like to know whether Government will make efforts to make uneconomic lines economic instead of dismantling them.

श्री परिमल घोष : लाइनों को उखाड़ने से पहले सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों की इसके लिये सहमति मांगी जायेगी । यदि आवश्यकता होगी तो केन्द्रीय सरकार ऐसी राज्य सरकारों को सड़क-यातायात बढ़ाने के लिये आर्थिक सहायता भी देगी । जब तक राज्य सरकारों से सहमति प्राप्त नहीं होती, तब तक इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी । दूसरे, मद्रास सरकार से अभी तक हमें इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं मिली है ।

Shri D. S. Patil : Is it not the duty of a Welfare State to provide transport facilities to the people of a particular area ? Which lines are uneconomic in M.P. ?

श्री परिमल घोष : मैंने अभी बताया है कि इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री ना० नि० पटेल : क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने गुजरात राज्य में स्थित छोटी लाइन को बन्द करने का निर्णय कर लिया है ?

श्री परिमल घोष : इस प्रकार की लगभग 70 लाइनें हैं जिनमें छोटी लाइनें भी सम्मिलित हैं । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से उत्तर मिलने पर ही अन्तिम रूप से कार्यवाही की जायेगी ।

श्री विश्वनाथन : रेलवे बोर्ड का यह निर्णय तर्कहीन है । एक ओर तो सरकार पर्यटन के विकास की दिन प्रति दिन बात करती है, दूसरी ओर रेलवे लाइनों को उखाड़ने का निर्णय करती है । यदि वे अलाभप्रद हैं तो उनकी गति आदि बढ़ाकर लाभप्रद बनाया जा सकता है । क्या सरकार अपने रेलवे लाइन उखाड़ने के निर्णय पर पुनः विचार करेगी ?

श्री परिमल घोष : इस प्रकार की लगभग 70 रेलवे लाइनें है जिनसे प्रति वर्ष 6.69 करोड़ रुपये का घाटा होता है । परन्तु यह एक प्रस्ताव मात्र है और राज्य सरकारों के इस सम्बन्ध में विचार जानने के बाद ही कोई अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

Shri Y. S. Kushwah : What is the definition of uneconomic lines according to the Government ? May I know whether those lines which earn less than 7½ per cent profit are considered uneconomic ?

अध्यक्ष महोदय : इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया जायेगा कि सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है । श्रीमती शारदा मुकर्जी !

श्रीमती शारदा मुकर्जी : सड़क-यातायात तथा रेलवे-यातायात में बहुत अधिक प्रतिस्पर्द्धा है, जो कई वर्षों से चली आ रही है । क्या सरकार ने दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है, ताकि स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि जब भी इन दोनों में वैरभावपूर्ण प्रतिस्पर्द्धा होती है तभी स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

श्री परिमल घोष : ऐसी व्यवस्था है। एक समन्वय प्राधिकारी है जो इन सब बातों

पर ध्यान देता है । यदि किसी मार्ग के साथ-साथ रेलवे लाइन है तो उस पर यातायात का परमिट जारी करते समय राज्य सरकार रेलवे प्रशासन से पूछती हैं । केवल कुछ विशेष मामलों में विशेष कारणों से राज्य सरकारें ऐसी स्थिति में बिना रेलवे को पूछे अपनी सुविधानुसार परमिट दे देती हैं । विचाराधीन रेलवे लाइनों के अलाभप्रद रहने के कुछ विशेष कारण हैं ।

Shri Shri Gopal Saboo : Is it a fact that forces have been doubled on Churu-Fatehpur line in Rajasthan ? May I know the names of other railway lines on which the fare charges have been doubled ?

श्री परिमल घोष : मैं माननीय सदस्य का प्रश्न समझ नहीं सका । यदि वह किसी लाइन के बारे में अलग से प्रश्न पूछेंगे, तो मैं इस बात की छानबीन करूंगा ।

श्री नंजा गौडर : क्या सरकार द्वारा नीलगिरी रेलवे लाइन और मेतुपालायम-उटकमंड लाइन पर उन्हें उखाड़ने से पहले विशेष रूप से विचार किया जायेगा, क्योंकि नीलगिरी जिला पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और वह मद्रास, केरल तथा मैसूर तीन राज्यों की सीमाओं से लगता है, तथा वहां से कालीकट और मैसूर तक रेलवे लाइनें बिछाई जा सकती हैं ?

श्री परिमल घोष : राज्य सरकारों के इस सम्बन्ध में विचार प्राप्त होने के पश्चात्, कोई कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Randhir Singh : A railway line is being laid and it has been completed from Rohtak to Gohana. May I know the time when a railway line will be laid joining Rohtak and Panipat ?

श्री परिमल घोष : सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether Government have decided to remove the uneconomic Ministers also on the same anology ?

श्री मनु भाई पटेल : रेलवे बोर्ड को ऐसे निर्णय करने का अधिकार नहीं होना चाहिये, क्योंकि वह केवल आपकी दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करती है । क्या सरकार का इस प्रश्न पर विचार करने के लिये किसी समिति या आयोग को बैठाने का विचार है ?

श्री परिमल घोष : रेलवे लाइनों की आर्थिक स्थिति की देखभाल करने का काम रेलवे बोर्ड का है । परन्तु वह इस सम्बन्ध में एक-पक्षीय निर्णय नहीं लेगी । यही कारण है कि इस मामले पर राज्य सरकारों के विचार मांगे गये हैं ।

श्री वीरेश्वर कलिता : अलाभप्रद 71 लाइनें कौन-कौन सी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सूची पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । वह सभा-पटल पर रख दी जाये ।

श्री परिमल घोष : मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा ।

श्री नारायण राव : क्या इन अलाभप्रद लाइनों में से अधिकतर छोटी लाइन हैं ? यदि हां, तो क्या उनमें सुधार करके या उन्हें बड़ी लाइनों में बदलकर उन्हें लाभप्रद बनाया जा सकता है ? सरकार उन्हें लाभप्रद बनाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री परिमल घोष : हम इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं । यह जानने के लिये कि कौन-सी लाइन उखाड़ी जाये और कौन-सी लाइन सुधार करने पर लाभप्रद बनाई जा सकती है, छानबीन की जा रही है ।

Shri Gunanand Thakur : May I know the definition of the uneconomic lines and the reason why Government do not try to revitalize the economy of those lines which can run economically ?

श्री परिमल घोष : अलाभप्रद लाइनें वे हैं जो घाटे में चल रही हैं। दूसरे हम ऐसी लाइनों पर सुधार कर रहे हैं जहां सुधार किये जा सकते हैं। जिन लाइनों पर सुधार करने से भी लाभ न होगा, केवल उन्हें ही उखाड़ा जायेगा।

श्री हेम बरुआ : चूंकि रेलवे एक सार्वजनिक उपयोग वाली सेवा है इसलिये क्या सरकार किसी रेलवे को उखाड़ने अथवा रेलवे लाइन को बढ़ाने सम्बन्धी निर्णय बिना स्थानीय लोगों की सुविधा पर ध्यान दिये और केवल लाभ को दृष्टिगत रखते हुए कर सकती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : रेलवे परिवहन सेवा है और इस बात को ध्यान में रखते हुए जाँच की जा रही है कि क्या उन क्षेत्रों में माल के यातायात तथा यात्रियों के लिये पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं । यदि किसी क्षेत्र में रेलवे और सड़क परिवहन दोनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं और दोनों ही घाटे में चल रही हैं तो यह उचित होता है कि जांच करके यह निश्चय किया जाये कि वहाँ सड़क परिवहन की व्यवस्था रहे अथवा रेलवे की। इस प्रकार समस्या के समाधान के लिये स्थिति का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिये इसके सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है और सम्बन्धित राज्य सरकारों के विचार भी इस सम्बन्ध में मांगे गये हैं । दूसरी बात यह भी है कि राज्य सरकारें अपनी आय बढ़ाने के लिये सड़क परिवहन के विकास पर अधिक बल देती हैं । इस दृष्टि से भी सरकार चाहती है कि जहां दोनों प्रकार की सेवायें उपलब्ध हैं और दोनों को घाटा हो रहा है, वहां से एक सेवा हटा ली जाये ताकि दूसरी को लाभ हो । यदि रेलवे और सड़क परिवहन दोनों को ही लगातार घाटा होता रहेगा तो इसका पूरे देश की अर्थ-व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ेगा । अतः यह उचित है कि घाटे में जाने वाली दोनों सेवाओं में से एक हटा ली जाये या बन्द कर दी जाये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Sulphur Deal with M/s Oval Industries

*151. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain officials of the State Trading Corporation committed grave irregularities in the Sulphur deal transacted by them with M/s. Oval Industries Inc., New York ; and

(b) if so, the action taken by Government against the delinquent officials ?

Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) :

(a) and (b) The contract entered into by the S. T. C. with M/s. Oval Industries for import of sulphur was examined by the Committee on Public Undertakings of the 4th Lok Sabha. The Committee has pointed out certain lapses on the part of S.T.C. on certain aspects of this contract These are, at present, under consideration of the Government.

उद्योगों के लिये लाइसेंस देने की नीति

†158. **श्री उमानाथ :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री रमानी : **श्री प० गोपालन :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उद्योगों के लिये लाइसेंस देने की नीति में ढील देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने की नीति का सरकार बराबर पुनरीक्षण करती रहती है और जहां कहीं नियन्त्रण जन-हित में नहीं होते हैं वहां उनमें निरन्तर ढील दी जा रही है । लाइसेंस दिये जाने की प्रक्रिया में हाल ही में दी गई छूटों की घोषणा दिसम्बर, 1967 में की गई थी जिनके अनुसार लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत औद्योगिक उपक्रम अपने उत्पादन में प्राथमिकता प्राप्त वस्तुओं का निर्माण करके अपने उत्पादन में एक निर्धारित सीमा तक विविधता ला सकते हैं और उनके लिये लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है चाहे उसके लिए कच्चे माल का आयात भी क्यों न किया जाता हो । यह मुख्यतः विद्यमान स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करने तथा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के समूह के उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि में किया गया है ।

हाल ही में 7 फरवरी, 1968 से एक और उद्योग अर्थात् पहियों वाले खेती के ट्रेक्टर और शक्ति-चालित हलों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है । ऐसा इन उद्योग के लिए अतिरिक्त क्षमता की शीघ्र स्थापना के लिए किया गया है जिससे वह कृषि उत्पादन को तीव्र करने के कार्यक्रम में सहायक सिद्ध हो सके ।

विदेशी विशेषज्ञ

†159. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री बेदव्रत बरुआ : **श्री रा० रा० सिंहदेव :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिकीय विकास को ध्यान में

रखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि विदेशी विशेषज्ञों की सहायता बहुत कम ली जाये और धीरे-धीरे इसे समाप्त किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस समय विदेशी विशेषज्ञों का उपयोग किन-किन उद्योगों में किया जा रहा है ; और

(ग) इस मामले में आत्मनिर्भर बनने में कितना समय लगेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) सरकार की सदैव यह नीति रही है कि देश में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान तथा तरीकों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाय जिससे भारतीय उद्योगों को विदेशी ज्ञान पर निर्भर न रहना पड़े। केवल उन्हीं उद्योगों में विदेशी तकनीकी सहयोग के लिए अनुमति दी गई है जिनमें संबंधित उद्योग-विद्या देश में उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इस समय इस संबंध में कोई समय-सीमा बता सकना कठिन है । यह अन्य बातों के साथ-साथ देश में अनुसन्धान तथा विकास की गति पर निर्भर करेगा ।

कोयला तथा खनन-विकास कार्यक्रम

*160. **श्री दीवीकन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि पोलैंड के खनन विशेषज्ञों ने जनवरी, 1968 में भारत का दौरा किया था तथा कोयला और अन्य खनन कार्यक्रम में सहयोग के बारे में सरकार से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) खान और शक्ति के उप-मंत्री, जिनके साथ बाद में पोलैंड के विदेशी व्यापार के उप-मंत्री सम्मिलित हुए थे, तीन मंत्रणाकारों सहित जनवरी, 1968 में भारत आये थे और उन्होंने सरकार के साथ सदापदीह और पोनीदीह की खनन कार्यक्रम परियोजना की धावनशाला परियोजना की प्रगति के सम्बन्ध में जो कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा पोलैंड की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है, बातचीत की थी ।

(घ) कोयले की इन परियोजनाओं की प्रगति का पुनर्विलोकन किया गया था और ऐसी कठिनाइयों को पार करने के सम्बन्ध में विचार-विनियम किया गया था जो कि निगम द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्रता से कार्यान्वित करने की दिशा में अनुभव की गई थी।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मिश्रित इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिये बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस

+161. **श्री रवि राय:** **श्री शशि रंजन :**
श्री काशीनाथ पाँडे :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्य, उत्पादन तथा निर्यात संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने बिड़ला बंधुओं को अपने दो मिश्रित इस्पात कारखाने स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) सम्बन्धित प्रायोजनाओं के नाम हैं :—बिहार एलाये स्टील्ज लिमिटेड और हाई क्वालिटी स्टील्ज लिमिटेड। हाई क्वालिटी स्टील्ज को पश्चिमी बंगाल में प्रति वर्ष 19,000 टन मिश्र-इस्पात का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। प्रायोजना की अनुमानित लागत लगभग 11·3 करोड़ रुपये है। बिहार एलाये स्टील्ज को बिहार में प्रति-वर्ष 40,000 टन मिश्र-इस्पात का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। अनुमानित लागत 21·43 करोड़ रुपये है।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन

+162. **श्री य० अ० प्रसाद :** **श्री समर गुह :**
श्री वेदव्रत बरुआ : **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो महीनों में पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) मंदी से उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने में उद्योग कहां तक सफल रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जी, हां, पश्चिमी बंगाल में पिछले दो-तीन महीनों में औद्योगिक उत्पादन में कुछ सुधार हुआ है, किन्तु यह सुधार किस हद तक हुआ है यह अभी ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता।

राज्य व्यापार निगम के पास गन्धक

+163. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत में काफी मात्रा में गन्धक जमा हो गयी है ;

(ख) क्या दिसम्बर, 1967 में राज्य व्यापार निगम के पास 40,000 मीट्रीक टन गन्धक पड़ा था जिसका कोई खरीदार नहीं था; और

(ग) क्या गन्धक का आयात केवल राज्य व्यापार निगम ही किया करेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) राज्य व्यापार निगम के पास 42,000 मे० टन का स्टाक है लेकिन इससे कहीं अधिक मात्रा में बिक्री के सौदे हैं जिनकी सुपुर्दगी 1968 में की जानी है ।

(ग) जी, नहीं।

Manufacture of Scooters and Motor Cycles

*164. **Shri Shasibhushan Bajpai:** Will the Minister of **Industrial Development and Aompany ffairs** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the commitments made by the various companies in connection with their manufacturing capacity and prices while obtaining licences for manufacturing scooters and motor cycles have been fulfilled by the Companies concerned ;

(b) if so, the main features thereof ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) Government's reaction thereto ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House [**Placed in Library. See L.T No. 149/68**]

इस्पात विकास कार्यक्रम

+165. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री क० लकप्पा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये इस्पात विकास कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या नये इस्पात कारखाने स्थापित करने के संबंध में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन का पृथक-पृथक क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क), (ख) और (ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के मसौदे में 14·8 मिलियन टन इस्पात पिण्ड की क्षमता की परिकल्पना की गई है जिससे 11·7 मिलियन टन का पिण्डक उत्पादन हो सके जिसे बेलकर 8·8 मिलियन टन साधारण इस्पात (तैयार) प्राप्त हो सके। साधारण इस्पात की प्रस्तावित क्षमता बोकारो में एक नया इस्पात कारखाना लगाकर, जिसकी पिण्डक उत्पादन की क्षमता 1·7 मिलियन टन होगी और भिलाई का 2·5 मिलियन टन पिण्डक से 3·2 मिलियन टन पिण्डक तक विस्तार, दुर्गापुर का 1·6 मिलियन टन पिण्डक 3·4 मिलियन टन पिण्डक

तक विस्तार और राउरकेला का 1·8 मिलियन टन पिण्डक से 2·5 मिलियन टन पिण्डक तक विस्तार करने से प्राप्त किया जायेगा । भिलाई का 2·5 मिलियन टन पिण्डक से 3·2 मिलियन टन पिण्डक तक विस्तार का प्रथम चरण अर्थात् लोहा बनाने की अवस्था, क्रियान्वित किया जा रहा है, परन्तु इस्पात की मांग कम होने तथा साधनों की कमी के कारण, रूपरेखा के मसौदे में परिकल्पित राउरकेला और दुर्गापुर का अधिक विस्तार करने का काम तत्समय स्थागित कर दिया गया है ।

2. इस बीच व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् से लोहे और इस्पात की मांग का अध्ययन करने के लिए कहा गया है और विकासशील भारतीय निर्माण-क्षमता के महत्व को देखते हुये एक समिति का गठन किया गया है जो इस बारे में परामर्श देगी कि इस्पात बनाने में देश कहाँ तक आत्म-निर्भर हो गया है । चौथी योजना अवधि में इस्पात बनाने की अतिरिक्त क्षमता उत्पादन करने की आवश्यकता का प्रत्याशित मांग और साधनों की उपलब्धि के संदर्भ में पुनर्विलोकन किया जायेगा । उसके पश्चात् ही सरकारी और निजी क्षेत्रों में इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य अन्तिम रूप से निश्चित किये जायेंगे ।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन

*166. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास के प्रथम-सम्मेलन में यह लक्ष्य निश्चित किया गया था कि समृद्ध राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय आय का कम से कम एक प्रतिशत भाग विकासशील देशों को दें परन्तु इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 1961 और 1966 में विकसित देशों की जी० एन० पी० को प्रतिशतता के रूप में विकास सम्बन्धी धन कितना आया है ;

(ग) क्या भारत ने इस बारे में प्रमुख विकसित देशों को अभ्यावेदन किया है और क्या उसका संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास के दूसरे सम्मेलन में इस मामले को उठाने का विचार है ; और

(घ) विकसित देशों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 22 विकसित देशों को सम्मिलित रूप में लिया जाये तो उन देशों को वित्तीय संसाधनों का निबल हस्तांतरण उनके कुल राष्ट्रीय उत्पादन (जी० एन० पी०) के अनुपात में विद्यमान बाजार मूल्यों के हिसाब से 1961 में 0·87 प्रतिशत तथा 1966 में 0·62 प्रतिशत था ।

(ग) तथा (घ) वित्तीय संसाधनों के हस्तान्तरण का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास के द्वितीय सम्मेलन की कार्य-सूची में शामिल है और इस समय उस पर सम्मेलन की तीसरी समिति में विचार हो रहा है ।

सीमेंट आवंटन तथा समन्वय संगठन

+167. श्री काशीनाथ पांडे :
श्री कं० हाल्दर :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री जुगल मंडल :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सी० ए० सी० ओ० के इस वक्तव्य को देखा है कि सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि से अर्जित 34 लाख रुपयों को उन कुछ संसद सदस्यों तथा अन्य लोगों के चुनाव पर व्यय किया गया था जो सीमेंट विनियंत्रण के पक्ष में थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। वक्तव्य में दूसरी चीजों के साथ-साथ 39.66 लाख रुपये की धनराशि का भी उल्लेख है जो राजनैतिक तथा ऐसे लोगों जिनके बारे में यह समझा जाता था कि उनका दृष्टिकोण आर्थिक विषयों पर क्रियात्मक है, की सहायता तथा प्रचार एवं दूसरे कामों पर व्यय की गई ।

(ख) सरकार ने सीमेंट आवन्टन तथा समन्वय संगठन द्वारा चन्दा दिए जाने पर आपत्ति की है । जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती जो चल रही है, सीमेंट वितरण का काम सीमेंट आवन्टन तथा समन्वय संगठन से लेकर सीमेंट निगम को सौंप दिया गया है ।

Offices of State Trading Corporation in Foreign Countries

*168. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation of India have drawn up a scheme to set up its branches in foreign countries to boost India's exports ;

(b) if so, the details thereof and the extent to which the exports are likely to increase as a result thereof ;

(c) whether it is also a fact that the Corporation have entered into contracts for many years with several countries for trade in special types of commodities ;

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) :

(a) STC already has some offices in foreign countries. There is no scheme to set up new offices immediately.

(b) Does not arise.

(c) and (d) STC has entered into long term contracts to trade in some items it is already dealing in. It will, however, not be in the business interests of the Coporation to disclose the details of the contracts.

हरियाना में उद्योगों के सामने संकट

+169. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस संकट की ओर दिलाया गया है जिसका सामना इस समय बाजार में मंदी होने के कारण हरियाना के सभी उद्योगों को सामान्य रूप से और इंजीनियरी उद्योगों को विशेष रूप से करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या इंजीनियरी उद्योगों में इस समय क्षमता से कम काम हो रहा है तथा बहुत से कर्मचारियों की छंटनी की गई है तथा उन्हें जबरन छुट्टी दी गई है ;

(ग) क्या हरियाना सरकार यह बात उनके ध्यान में लाई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा ईरान को रेलों की सप्लाई

+170. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जुगल मंडल :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का इस्तम्बोल और तेहरान के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिये रेलों की सप्लाई का आर्डर मिला है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य की लाइनें सप्लाई करने का आर्डर मिला है और ठेका करने वाली पार्टियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या 1967–68 में इस्पात के निर्यात के लिये कोई अन्य आर्डर मिला है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने 32,130 टन, रेल की पटरी की सप्लाई का आर्डर लिया है जिसका मूल्य लगभग 21·8 मिलियन रुपये है और जो 31 मार्च, 1969 तक देना है। यह करार महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा और इरान राजकीय रेलवे के बीच हुआ है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को तुर्की से भी 16,152 टन रेल की पटरी की सप्लाई के लिए आर्डर मिला है जिसका मूल्य 10.4 मिलियन रुपये है और जिसका माल दिसम्बर, 1968 तक दिया जाना है। यह करार महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा और तुर्की राजकीय रेलवे के बीच हुआ है। इस बात का पता नहीं है कि यह रेल की पटरी इस्तम्बोल और तेहरान के बीच रेलवे लाइन बिछाने के काम में लाई जाएगी या नहीं ।

(ग) वर्ष 1967–68 के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने निर्यात के लिए जो आर्डर प्राप्त किये हैं उनका वर्गानुसार ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ग	मात्रा (हजार टन)	जहाज तक निष्प्रभार मूल्य (मिलियन रुपयों में०)	गन्तव्य स्थान
कच्चा लोहा	440 0	124.6	जापान, दक्षिण कोरिया ।
बिलेट	58.5	27.0	श्रीलंका, थाईलैंड ओकिनावा, जापान ।
रेल की पटरी	58.1	38.5	इराक, इरान, घाना न्यूजीलैंड, तुर्की ।
छड़ और ढाँचे	370.0	215.1	रूस, द० वियतनाम, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, अस्ट्रेलिया, जापान, बर्मा, सिंगापुर, इराक, इरान, कुवैत, युगोस्लाविया, संयुक्त अरब गणराज्य, जारडन, वेनिया, संयुक्त राज्य अमरीका, और यू० के० ।
जोड़	926.6	405.2	

एल्यूमीनियम उद्योग

*171. **श्री अंबचेजियान :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल्यूमीनियम के निरन्तर आयात के कारण एल्यूमीनियम उद्योग को बड़ी क्षति हो रही है;

(ख) क्या एल्यूमीनियम के कुछ उत्पादकों को मांग की कमी के कारण क्षमता से कम उत्पादन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है ;

(ग) यदि हाँ, तो एल्यूमीनियम के आयात के क्या कारण हैं ; और

(घ) 1967 में कुल कितने एल्यूमीनियम का आयात किया गया ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रैड्डी) :

(क) नहीं, महोदय ।

(घ) नहीं, महोदय ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जनवरी से अक्तूबर, 1967 के बीच सब आकारों के एल्यूमीनियम का आयात 43,492 टन तक पहुँच गया था ।

भारतीय सामान के लिये विदेशों में प्रचार

+172. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि स्थायी निर्यात प्रचार सलाहकार समिति ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि हमारा निर्यात इस समय बहुत कम हो रहा है ;

(ख) क्या समिति ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया है कि विदेशों में भारत के बारे में यह धारणा है कि वहां पर प्राथमिक वस्तुओं तथा दस्तकारी की चीजों का ही उत्पादन होता है और विदेशों के लोगों को यह मालूम नहीं है कि भारत में विविध प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) तथा (ख) जी, हाँ ।

(ग) समिति ने अपने प्रतिवेदन में एक प्रभावी तथा व्यावहारिक निर्यात प्रचार कार्यक्रम बनाने तथा समन्वित प्रकार से इसकी क्रियान्विति के लिये अनेक सिफारिशें की हैं । इन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

पटसन का उत्पादन

+173. **श्री राने :** **श्री कं० हाल्दर :**

श्री काशीनाथ पाण्डे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कच्चे पटसन का कितना उत्पादन होने का अनुमान है और वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 की तुलना में वह कितना कम अथवा अधिक है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष काफी अच्छी फसल होने के कारण उसके दाम गिर गये हैं :

(ग) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली में हाल में आयोजित गोष्ठी में केन्द्रीय वित्त मंत्री और खाद्य तथा कृषि मंत्री ने निर्माताओं से पटसन उत्पादकों को और अच्छे दाम देने को कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो पटसन उत्पादकों को उचित तथा अधिक मूल्य दिलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) चालू मौसम में पटसन तथा मेस्टा की लगभग 76 लाख गांठों की फसल होने का अनुमान है। 1965-66 तथा 1966-67 में इसकी फसल क्रमशः 57 लाख तथा 65 लाख गांठों की थी । पटसन बाजार में मन्दी की स्थिति होने के कारण कच्चे पटसन के दाम कभी-कभी निर्धारित न्यूनतम मूल्य से भी कुछ

कम रहे। सरकार ने इस विषय में आवश्यक उपाय किये हैं ताकि दाम निर्धारित न्यूनतम दामों से नीचे न गिरें। राज्य व्यापार निगम ने अब पटसन के बाजार में प्रवेश किया है और उसने, मिलों तथा पटसन बफर स्टाक संगठनों द्वारा खरीद के अतिरिक्त, सहकारी समितियों के माध्यम से 358,300 मन पटसन खरीदा है। किन्तु इस समय चालू दाम न्यूनतम से ऊपर हैं। नियमित रूप से उत्पादन हो यह सुनिश्चित करने के विचार से, गोष्ठी में पटसन के उत्पादकों को ठीक तथा लाभप्रद मूल्य दिलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

औद्योगिक उत्पादन

+174. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री ओ० प्र० त्यागी :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष 1967–68 में औद्योगिक उत्पादन आशा से कहीं कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1968–69 में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन 1967–68 के पूर्वार्द्ध में आशा से कम रहा यद्यपि कुछ उद्योगों में वर्ष के उत्तरार्द्ध में कुछ स्पष्ट सुधार हुआ है।

(ख) औद्योगिक उत्पादन में कमी का कारण बहुत कुछ देश में सामान्य मन्दी का रुख था।

(ग) औद्योगिक उत्पादन में कमी को रोकने के लिए उठाए गए पगों में, विभिन्न विकास कार्यक्रमों, जिनमें रेलें भी सम्मिलित हैं, का पुनरीक्षण करना है ताकि पूंजीगत वस्तुओं की मांग को यथासम्भव पुनः उत्पन्न की जा सके। प्रभावित उद्योगों के उत्पादन क्रम में विविधता लाना, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में और अधिक सुदृढ़ बिक्री ढांचा बनाकर निर्यात की मंण्डियों के विकास पर बल देना, उस सीमा तक आयात पर रोक लगाना जहां तक कि देश की स्थापित क्षमता की आवश्यकता पूरी हो सकती है। इसमें ऐसे आयात जिनके लिए स्वीकृति तो दी जा चुकी है किन्तु उसके लिए वचन नहीं दिया गया, का पुनरीक्षण करना और उदार ऋण नीति आदि सम्मिलित हैं।

इनके अतिरिक्त, इस वर्ष पर्याप्त वर्षा से न केवल उन उद्योगों में, जो कि कच्चे माल के लिए कृषि उत्पादों पर निर्भर हैं, उत्पादन बढ़ने की आशा है अपितु इससे लोगों की क्रय-शक्ति भी बढ़ने की आशा भी है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता की उन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी जिसमें कुछ कमी दिखाई पड़ रही थी।

राजनीतिक दलों को दान

*176. श्री जुगल मंडल :
श्री मयावन :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रामभद्रन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान दिया जाना बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित करने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये, वर्तमान अधिवेशन में एक विधेयक पुरःस्थापित करना प्रस्तावित है।

एक्सपो-67 पर किया गया व्यय

*177. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सपो-67 पर भारतीय तथा विदेशी मुद्रा में किये गये व्यय की कोई गणना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि व्यय हुई है ; और

(ग) इसके फलस्वरूप भारत को विदेशी मुद्रा के रूप में क्या लाभ हो रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) व्यय के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, 30 नवम्बर, 1967 तक किया गया वास्तविक व्यय 2,00,95,828.95 रुपये है (1,86,25,121.08 रुपये विदेशी मुद्रा तथा 23,70,707.87 रुपये भारतीय मुद्रा में) ।

(ग) यद्यपि एक्स्पो-67 एक व्यापार मेला नहीं था, अपितु एक सार्वभौमिक प्रदर्शनी थी जिसकी विषय-वस्तु "मानव तथा उसका विश्व" था और उसमें भारत का भाग लेना विषय के अनुरूप ही था, तथापि प्रदर्शनी की अवधि में लगभग 5.5 लाख कनाडा डालर (36.63 लाख रुपये) के सौदे किये गये। इसके अतिरिक्त, मेले की दुकानों में ही लगभग 13.14 लाख कनाडा डालर (87.62 लाख रुपये) और भारतीय मंडप से संलग्न भारतीय रेस्तरां में 4.86 लाख कनाडा डालर (32.40 लाख रुपये) की बिक्री हुई। परम्परागत और अपरम्परागत दोनों ही प्रकार की मदों के लिए बहुत सी व्यापारिक पूछताछें हुई जिन पर भारत के सम्बद्ध निर्यातकों, निर्माताओं और संगठनों द्वारा आगे कार्यवाही की जा रही है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में लम्बर बूम का निर्माण

+178. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थुम्बा राकेट छोड़ने के केन्द्र से राकेट छोड़ने के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने ने एक लम्बर बूम बनाया है।

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आई ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की कुल कितनी बचत हुई ; और

(घ) इसका क्या फल हुआ है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी हां ।

(ख) 28,150 लाख रुपये ।

(ग) एक बूम के आयात की लागत लगभग 45,000 रुपये है। अतः विदेशी मुद्रा की पर्याप्त बचत हुई है ।

(घ) लम्बर बूम का अभी परीक्षण नहीं किया गया है। आधार तथा दूसरे पुर्जों के, जो अभी बनाये जा रहे हैं, पूरा होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

इंडिया युनाइटेड मिल्स लिमिटेड, बम्बई

+179. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है इंडिया युनाइटेड मिल्स, बम्बई को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मिल की वित्तीय स्थिति उस समय कैसी थी जब इसे सरकार ने अपने हाथ में लिया था ;

(ग) इस मिल को चलाने के लिये सरकार ने कितनी पूँजी लगाई है ;

(घ) सरकार द्वारा इस मिल का प्रशासन अपने हाथ में लिये जाने के बाद आज तक उसे वर्षवार कुल तथा शुद्ध लाभ । हानि कितनी हुई है ; और

(ङ) क्या इस मिल ने, सरकार द्वारा उसे अपने हाथ में लिये जाने के बाद कोई रियायतें प्राप्त की हैं विशेषतः कर्मचारियों को वेतन, मंहगाई-भत्ते तथा अन्य भत्ते देने के मामले में ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

इण्डिया युनाइटेड मिल्स को भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत नियन्त्रक ने 29-11-1965 को अधिकार में लिया था । 1-12-1965 को बकाया दायित्वों का योग 404·24 लाख रुपये था । इसके अतिरिक्त, मशीनों के क्रयादेशों के सम्बन्ध में, जो प्राप्त नहीं हुई थी 70 लाख रुपये की वचनबद्धताएँ थीं । (निर्माताओं की सहमति से, प्राधिकृत नियन्त्रक,

जिसने 1-12-1965 को कार्यभार सम्भाला था, 60 लाख रुपये की मशीनों के क्रयादेश रद्द कराने में सफल हो गया)। इसके अलावा कम्पनी ने पंजाब नेशनल बैंक से 374·27 लाख रुपये की राशि उधार ली हुई थी।

भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने मिल को क्रमशः 175 लाख रुपये और 187·50 लाख रुपये के ऋण मंजूर किये हैं।

मिल को उसके कार्यचालन में हुई कुल तथा निबल हानि निम्नलिखित हैं :

(लाख रुपये में)

अवधि	कुल	निबल
दिसम्बर, 1965 (अनुमानित)	15·30	20·55
1966	123·90	182·76
1967 (अपरीक्षित तथा अनुमानित)	123.00	176·00

मिल ने कर्मचारियों को देय वेतन, मंहगाई-भत्ता और अन्य भत्तों के मामले में कोई रियायतें प्राप्त नहीं की हैं।

Charges against Textile Commissioner

*180. **Shri Mdhu Limaye** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to th reply given to Unstarred Question no. 2633 on the Ist December, 1967 and state :

(a) whether the inquiry into the charges against the former Textile Commissioner, Bombay levelled from time to time has since been completed ;

(b) whether any Department has now asked for permission to prosecute him ;

(c) if so, the reasons for not granting permission to the said Department ; and

(d) the reasons for not suspending the said officer in case a prima facie case is there against him ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (d) Some complaints made against the former Textile Commissioner have been examined by the Central Bureau of Investigation. Some complaints are still under their investigation.

Government have not withheld any request for prosecution. The reports received from the Central Bureau of Investigation are under examination by Government and the advice of the Central Vigilance Commission will be obtained before reaching a final decision, whereafter such action as is necessary will be taken.

Minerals in Bihar

1193. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the annual revenue earnings to the Central Government from various minerals in Bihar and in other States respectively ; and

(b) the detals of Central grants, loans and assistance to Bihar Government as comapared to other States ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) :

(a) There is no provision in the mines and Minerals (Regulation and Development) Act,

1957, for the collection of any revenue by Central Government. However, under the Coal Mines (Conservation and Safty) Act, 1952, excise duty is leviable on all coal raised and depstached and all coke manufactured and despatched. The net proceeds of such excise duty during 1966-67 amounts to about Rs.1,129 lakhs. State-wise break up is not available.

(b) Stowing assistance for colleries in Bihar in 1966-67 is Rs. 144 lakhs approximately as compared to Rs.291 lakhs aproximately in the case of other States. This is besides indirect ch rges which come to Rs.20 lakhs approximately for all States. No separate break up is available in case of Bihar only. Special assistance to collieries handicapped by adverse factors paid during 1966-67 to collieries in Bihar was Rs.104 lakhs approximately as compared to about Rs. 186 lakhs in the case of other States.

रेलवे पर खर्च

1195. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे पर कुल कितना खर्च होता है तथा कर्मचारियों के वेतन, भवनों, रेलवे लाइन , रोलिंग स्टाक तथा इंजिनों की मरम्मत पर उसका कितना प्रतिशत खर्च होता है ;

(ख) अन्य शीर्षकों के नाम जिनके अन्तर्गत धन व्यय किया जाता है और इस खर्च का कुल खर्चे से क्या अनुपात है ; और

(ग) क्या गत तीन वर्षों में उपरोक्त (क) भाग में वर्णित मदों पर खर्च बढ़ा है ; यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत बढ़ा है ।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क), (ख) और (ग) रेलों से सूचना मंगायी जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

कोयले का उपयोग

1196. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 8 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4585 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के उपयोग में विविधीकरण के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी): (क) और (ख) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और उनकी जांच की जा रही है।

नर्मदा घाटी में खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण

1197. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 8 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3598 के उत्तर के संम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण ब्यौरा मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में तांबे समेत अन्य खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब शुरू होगा ; और

(ग) क्या यह सर्वेक्षण नरसिंह पुर और होशंगाबाद जिलों में भी किया जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रैड्डी) : (क) से (ग) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा अब तक के अनुसंधान किये जाने के फलस्वरूप नर्मदा घाटी में मैंगनीज अयस्क, लौह अयस्क, तांबे और सीसे के अयस्क खनिज तथा मृत्तिकाओं का होना पाया गया है। परन्तु इनमें से किसी का भी अधिक आर्थिक महत्व की दृष्टि से पाया जाना प्रमाणित नहीं हुआ। जबलपुर, धार, पश्चिमी निमार और नरसिंहपुर जिलों में चूना-पत्थर और डोलोमाइट के कार्य-योग्य निक्षेप पाये जाते हैं।

1967-68 के क्षेत्रीय ऋतु में भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण का मोहापानी कोयला क्षेत्र, नरसिंहपुर में सविस्तार परीक्षा कार्य प्रारम्भ करने का ; जोगल, जिला होशंगाबाद, के समीप सीसा अयस्क का तथा जबलपुर जिले में एन्डैलूसाइट का परीक्षा कार्य प्रारम्भ करने का और नर्बदा घाटी क्षेत्र के भागों में प्रारम्भिक खनिज परीक्षा-कार्य करने का विचार है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा नियुक्त माल छुड़ाने वाले तथा माल लादने-उतारने और माल की ढुलाई करने वाले एजेन्ट

1198. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा भारत में तथा विदेशों में नियुक्त माल छुड़ाने वाले तथा माल लादने–उतारने और माल की ढुलाई करने वाले एजेंटों के नाम, पते, शर्तें क्या हैं तथा उनके ठेके से संबंधित अन्य विवरण क्या हैं ; और

(ख) 1966-67 के वर्ष में प्रत्येक को माल छुड़ाने के लिये अथवा कमीशन के रूप में कितनी धनराशि दी गई और जिन सौदों के लिए यह धनराशि दी गई उसका विवरण क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) तथा (ख) ऐसा विचार किया जाता है कि इस प्रकार की जानकारी देना निगम के व्यावसायिक हित में ठीक नहीं होगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा बीमा एजेंटों को दिया गया कमीशन

1199. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा भारत तथा विदेशों में नियुक्त बीमा एजेंटों के नाम तथा पते क्या हैं तथा उनकी शर्तें क्या हैं और वर्ष 1966-67 में इस निगम ने प्रत्येक एजेंट को किनती राशि का कारोबार तथा कमीशन दिया ; और

(ख) इसी अवधि में निगम को प्रत्येक बीमा एजेंट से कितनी राशि के दावे अथवा दरों में छूट के अनुरोध मिले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) ऐसा विचार किया जाता है कि इस प्रकार की जानकारी देना निगम के व्यावसायिक हित में ठीक नहीं होगा।

टायर बनाने वाली फर्में

1200. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में टायर और ट्यूब बनाने वाली विदेशी और भारतीय कारखानों की संख्या और नाम क्या हैं तथा ये कारखाने किन-किन स्थानों पर हैं और प्रत्येक कारखाने में कितनी पूंजी लगी हुई है, निदेशकों के नाम क्या हैं और यदि कोई विदेशी सहयोग भी है तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक कारखाने द्वारा उत्पादित वस्तुओं के नाम क्या हैं और कितनी मात्रा का तथा कितने मूल्य का उत्पादन हुआ है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक कारखाने ने प्रति वर्ष कितने मूल्य के टायर और ट्यूबों का किन-किन देशों को निर्यात किया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

टायरों के निर्माण में लगी कम्पनियां

1201. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में टायर तथा ट्यूबों का निर्माण कर रही प्रत्येक कम्पनी को प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा दी गई और किन वस्तुओं का आयात किया गया तथा किस विशेष प्रयोजन के लिए उनका आयात किया गया ;

(ख) टायरों का निर्माण कर रही विदेशी कम्पनियों ने पिछले पांच वर्षों में लाभ की कितनी राशि विदेशों को भेजी ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन निर्माताओं को कम्पनीवार प्रतिवर्ष कितना लाभ हुआ ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

टायरों के निर्माण में लगी कम्पनियां

1202. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टायर तथा ट्यूबों का निर्माण कर रही कम्पनियों के कम्पनीवार कितने कर्मचारी हैं और उनके वेतन आदि पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है ; और

(ख) उनमें कितने विदेशी कर्मचारी नियुक्त हैं, उनके वेतनों की राशि कितनी है और वे कम्पनीवार प्रतिवर्ष विदेशों को कितना धन भेजते हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

महाराष्ट्र में खनिज पदार्थों का भी सर्वेक्षण

1203. श्री कु० मा० कौशिक : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के लिये खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण करने तथा उनके निकालने की कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) और (ख) हाँ, महोदय। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा जाँच कार्य किये जाने के फलस्वरूप, बहुत से खनिज निक्षेप अभिलिखित किये गये हैं। उनमें सबसे अधिक महत्वशाली मैंगनीज अयस्क, लौह अयस्क, कोयला, बौक्साइट, क्रोमाइट और इलेमनाइट है।

1967-68 के क्षेत्र ऋतु में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा पुलार में तांबे के लिये अगरगाँव में वुलफ्रेआइट के लिये, नाओकारी बुजुरग में चूना-पत्थर के लिये जाँच-कार्य आरम्भ करने की और चन्दा के भागों में, भंडारा, पश्चिम खांदेश, कोल्हापुर, वर्धा, नागपुर और रत्नागिरी जिलों में प्रारम्भिक खनिज जाँच-कार्य आरम्भ करने की प्रस्थापना है।

Additional Bombay-Howrah Janata Train

1204. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce another Janata Train between Bombay and Howrah via Nagpur ; and

(b) if so, when ?

The Minister of Railways (Sri C. M. Poonacha) :

(a) No.

(b) Does not arise.

यवतमाल जिले में चंखा से रेलवे लाइन

1205. श्री देवराव पाटिल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रेल प्रशासन को कहा है कि औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यवतमाल जिले में चंखा से एक रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हाँ, तो जो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है उसका ब्यौरा क्या है और उसका सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो चुका है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हाँ।

(ख) फिलहाल इस लाइन का सर्वेक्षण करने का विचार नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में किये जाने वाले विकास-कार्यों के सम्बन्ध में निश्चित आधार-सामग्री उपलब्ध नहीं है। चौथी

योजना में जो सीमित साधन उपलब्ध होने की सम्भावना है, उसको देखते हुए इसमें संदेह है कि प्रस्तावित लाइन को इतनी अग्रता मिल पायेगी कि उस पर विचार किया जा सके।

Theft of Railway Property by Railway Employees

1206. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees of the Western, North-Eastern and Central Railways against whom departmental enquiries are being made in regard to the charges levelled against them for stealing the railway property ;

(b) the number of employees against whom enquiries have been completed and the findings thereof ; and

(c) the number of cases registered by the Railways for departmental enquiries and the number of cases referred to the Courts ?

The Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) 355*.

(b) 84*. Out of 84, 75 employees have been found guilty and awarded punishments.

(c) No. of cases registered by the Railways for departmental enquiries	355*
No. of cases referred to the Courts.	165*

*Excluding Western Railway.

Strike by Railway Drivers and Firemen of Gaya

1207. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that drivers and the firemen had gone on strike in Gaya recently;

(b) whether is also a fact that some arrests had also been made in this connection ;

(c) if so, the reasons for the strike and the action taken against the persons arrested ;

(d) whether the strike had any effect on the railway traffic; and

(e) if so, the number of trains which were delayed as a result thereof ?

The Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha): (a)to(c) There was no strike as such but it has been reported that on 13-1-1968 the Loco Staff of Gaya Loco shed had obstructed the movement of engine of a Passenger Train on the allegation that a member of the staff had been insulted. The Police arrested 26 Loco Staff who are being prosecuted under section 143/342 IPC or under section 121 of the Indian Railways Act.

(d) and (e) Two Passenger Trains had a late start and certain Goods Trains were worked very late owing to the staff coming late.

Looting of Goods shed at Katarnain Ghat Station

1208. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the goods shed of Katarnian Ghat Railway Station on the Northern Railway was recently looted by the armed dacoits ; and

(b) if so, the details of the goods looted by the dacoits and the action taken by Government in this regard ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) and (b) A theft of three miscellaneous packages valued at Rs. 1900 approximately occurred on the night of 5/6-1.1968 from the goods-shed of Katarnian Ghat railway station on the North Eastern Railway (not on the Northern Railway) when miscreants broke open the lock of the goods-shed. The theft occurred due to the negligence of two Railway Protection Force Rakshaks on duty, against whom departmental action has since been initiated. Government Railway Police, Gonda have registered the case on Crime no. 2 under Section 457 Indian Penal Code. It is reported that the case is still under investigation and no recovery has so far been effected.

दक्षिण वियतनाम को पीतल की चादरों का निर्यात

1209. **श्री नायनार :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण वियतनाम को पीतल की चादरों का निर्यात होता है ; और

(ख) क्या वैदेशिक सम्बन्धों में तटस्थ रहने की दृष्टि से पीतल की चादरों का निर्यात बन्द करने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) हमारे निर्यात आंकड़ों में पीतल की चादरों का अलग से वर्गीकरण नहीं होता । 1966-67 तथा 1967-68 की अवधि में (अक्तूबर, 1967 तक) दक्षिणी वियतनाम को पीतल की प्लेटों, चादरों तथ पत्तियों का निर्यात क्रमश: 15,519 रुपये तथा 1.22 लाख रुपये था ।

दक्षिण वियतनाम को पीतल की चादरों का निर्यात वाणिज्यक आधार पर पूर्णरूप से असैनिक प्रयोग के लिये होता है तथा वहाँ हो रहे संघर्ष से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस

1210. **श्री जार्ज फारनेंडीज :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करने के बारे में कोई निणय किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस मामले पर कब से विचार किया जा रहा है ; और

(घ) कब तक अन्तिम रूप से निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) बोनस अधिनियम 1965 के अन्तर्गत काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस भुगतान की देयता के प्रश्न पर सरकार जनवरी 1966 से विचार कर रही है । इस प्रश्न के वैधानिक आशयों पर विचार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है ।

कृषि उद्योगों सम्बन्धी अध्ययन-दल

1211. **श्री रणधीर सिंह :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उद्योगों का व्यापक और निष्पक्ष अध्ययन करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक अध्ययन-दल बनाने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा दल कब बनाया जायेगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) सरकार एक ऐसी समिति स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है जो अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उद्योगों की वर्तमान स्थिति तथा उसकी भावी संभावनाओं की जांच करेगी ।

कटक-पारादीप रेल लाइन

1212. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक–पारादीप रेल लाइन का वस्तुतः निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होने की आशा है ; और

(ख) क्या इस रेल लाइन को पूरा करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) इस लाइन के निर्माण की मंजूरी दिसम्बर, 1967 में दी गयी थी और काम शुरू करने की व्यवस्था की जा चुकी है ।

(ख) यदि रकम उपलब्ध हुई, तो आशा है यह लाइन 1970 के अन्त में या 1971 के प्रारम्भिक महीनों में बनकर तैयार हो जायेगी ।

एक्सपैलर केक के निर्यात के लिये प्रोत्साहन

1213. **श्री सु० कु० ताघड़िया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक्सपैलर केक तथा विलायक निस्सारण के निर्यात पर नकदी प्रोत्साहन बन्द करने के क्या कारण हैं ;

(ख) पिछले दो वर्षों में उनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) चालू वर्ष में बिनौलों तथा उनके उप-उत्पादों के कितनी मात्रा में उपलब्ध होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकार का यह विचार था कि इन वस्तुओं के निर्यात के लिये नकदी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है । परन्तु इस निर्णय के विरोध में अनेक अभिवेदन सरकार को मिले हैं और वे विचाराधीन है ।

(ख) वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 में छिलका रहित बिनौला-खली के निर्यात से विम्नलिखित विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी है :—

	मूल्य हजार रुपयों में छिलका रहित बिनौला खली	
	एक्सपैलर	निस्सारण
1965-66	30938	10756
1966-67	26944	25355

(ग) चालू वर्ष में बिनौले तथा उनसे बने मुख्य उत्पादों की अनुमानित प्राप्तया निम्नलिखित है :—

बिनौले	21.00 लाख मे० टन
बिनौले का तेल	0.80 लाख मे० टन
बिनौले की खली	2.70 लाख मे० टन
बिनोले की भूसी	1.80 लाख मे० टन
बिनौले का लिन्ट	0.36 लाख मे० टन

Bharat Heavy Electricals Ltd.

1214. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of retired military and civil officials who have been re-employed so far in the Bharat Heavy Electricals Limited against posts carrying the pay scale of Rs.1,600-1,800 and above ;

(b) the reasons for giving preference to the retired person over the departmental candidates ;

(c) whether the recruitment to all the posts carrying the pay scales of Rs.1,300—1,600 was made on the basis of an open and fair competition among the outsiders and the persons working in the Organisation ; and

(d) if not, the resons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed):

(a) Two retired military officers and four retired civilian officers.

(b) Suitable deartmental candidates were not available.

(c) Yes.

(d) Does not arise.

Sirajuddin, Sirajuddin and Company

1215. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the enquiry against Shri Sirajuddin, Sirajuddin and Company and other persons and Companies connected with Shri Sirajuddin but working with other names ;

(b) when the enquiry is likely to be completed ; and

(c) whether Government propose to lay a copy of the report on the Table of the House ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhurddin Ali Ahmed) :

(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन

1216. **श्री मुहम्मद इमाम :** **श्री गाडिलिंग गौड :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में हो रहे संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के सम्बन्ध में आये यात्रिओं से अर्जित्त होने वाली विदेशी मुद्रा का सही-सही अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों की आवास व्यवस्था

1217. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि नई दिल्ली में (एक) सरकारी होटलों और (दो) गैर-सरकारी होटलों के कुल कितने कमरों में रहते हैं ; और

(ख) विभिन्न देशों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को किस आधार पर होटल के कमरे दिये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) 31 जनवरी, 1968 को सरकारी होटलों में 1322 और गैर-सरकारी होटलों में 322 । ठहरने वालों की संख्या प्रतिदिन भिन्न-भिन्न होती है ।

(ख) विभिन्न होटलों द्वारा सम्मेलन की बुकिंग के लिये प्रस्तुत किये गये कमरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रतिनिधिमण्डलों को स्थान उनकी मांग और तरजीहों के आधार पर दिया गया था । नई दिल्ली में विदेशी राजनयिक मिशनों से भी, उनके देशों के प्रतिनिधिमण्डलों के लिये स्थान के आवंटन का निर्णय करते समय परामर्श लिया गया था।

पूर्वी यूरोप के देशों को निर्यात

1218. **श्री मधु लिमये :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में हमारे उत्पादों के लिये पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा दिये गये मूल्य और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में बहुत अन्तर था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) तथा (ख) जुलाई, 1966 से सितम्बर, 1967 की अवधि में पूर्वी यूरोप तथा विश्व को किये गये मुख्य-निर्यातों से प्राप्त तिमाही एकक मूल्यों का एक तुलनात्मक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 150/68] इससे पता लगेगा कि हमारे अधिकांश महत्वपूर्ण निर्यातित उत्पादों के विषय

में पूर्वी यूरोपीय देशों से प्राप्त मूल्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में थोड़ा-सा ही अन्तर है । हां, पटसन की वस्तुओं अथवा जूतों जैसे कुछ उत्पाद हैं जिनके मूल्यों में अपेक्षाकृत अधिक अन्तर है और यह अन्तर भी पूर्वी यूरोपीय देशों को सामान्यतः निर्यातित उत्पादों की किस्म तथा विशिष्टियां भिन्न होने के कारण है ।

यह भी देखा जा सकता है कि पूर्वी यूरोपीय देशों से प्राप्त मूल्यों का औसत, विश्व-मूल्यों के स्तर से सामान्यतः ऊंचा रहा है ।

खेत्री में उर्वरक कारखाना

1219. **श्री श्रीगोपाल साबू :** **श्री बेणी शंकर शर्मा :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेत्री तांबा परियोजना की परिसीमाओं में राजस्थान के खेत्री में एक उर्वरक कारखाना शुरू करने की कोई योजना है ;

(ख) क्या यह सच है कि तांबा परियोजना उपोत्पाद के रूप में सल्फ्युरिक एसिड की उपलब्धता के कारण यहां बनने वाला उर्वरक सिंदरी अथवा अन्य स्थानों में बनने वाले उर्वरक की अपेक्षा सस्ता होगा ; और

(ग) उक्त उर्वरक कारखाने का निर्माण-कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रैड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) खेत्री ट्रीपल सुपर फौस्फेट उत्पादन करेगा जिसका इस समय सिंदरी और अन्य स्थानों पर उत्पादन नहीं हो रहा है । इसलिए परिव्यय की तुलना का प्रश्न इस समय उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) खेत्री में उर्वरक-निर्माणी के निर्माणी का कार्य 1969 में आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ।

पूंजी पर एकाधिकार की प्रवृत्ति

1220. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों में (वर्ष 1957 से वर्ष 1967 तक) देश में पूंजी पर एकाधिकार की प्रवृत्ति में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) हमारी अर्थ व्यवस्था के किन-किन क्षेत्रों में इसने विशेष प्रगति की है और किन किन उद्योगों में इसकी अधिकतम वृद्धि हुई है ;

(ग) देश में कुल एकाधिकारी कितने हैं और सबसे बड़ा एकाधिकारी कौन है ;

(घ) क्या पूंजी के एकाधिकार को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और कब तक इसको क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास एवं कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) , (ख) तथा (ग) 8-12-1965 को सदन के पटल पर रक्खी गई, एकाधिकारी जांच आयोग की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें 31-3-1964 तक देश में, देशानुसार एवं उत्पादनानुसार संकेन्द्रण की स्थिति प्रदर्शित है । उसी प्रकार की 10 वर्ष की अवधि की अर्थात्, 1957 से 1967 तक की सूचना प्राप्य नहीं है ।

(घ) तथा (ङ) सदन के पटल पर, 6-9-1966 को प्रस्तुत किये गये दिनांक 5-9-1966 के संकल्प, तथा एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया विधेयक, 1967, जो दोनों सदनों को संयुक्त समिति को सौंप दिया गया है, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं

1221. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब राज्यों में मालेरकोटला की तरह ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं शुरू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई इन योजनाओं के लिए धन देने का सरकार का विचार है ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (घ) 49 ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं 15 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में चलाई गई हैं । यह कार्यक्रम 1962-63 से अमल में लाया जा रहा है । प्रत्येक परियोजना क्षेत्र की स्थिति के अनुसार वहां विकास का नमूना, आकार तथा कार्यक्रम आदि अलग-अलग होते हैं । पंजाब का मालीरकोटला इन 49 परियोजनाओं में से एक है । इन परियोजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा धन दिया जाता है ।

ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं उड़ीसा में कटक जिले के जाजपुर तथा सम्बलपुर जिले के बारापल्टी में स्थित हैं ।

Mines in Bihar

1222. **Shri Sheopujan Shastri** :Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of coal, iron, copper, mica and sulphur mines in Bihar ; and

(b) the number of productive and unproductive mines out of them ?

Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) :

(a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

पश्चिमी जर्मनी को इंजीनियरी सामान का निर्यात

1223. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इंजीनियरी सामान का निर्यात करने के बारे में पश्चिम जर्मनी के साथ कोई करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्यतः किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा तथा प्रतिवर्ष कितने मूल्य के सामान का निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हां ।

(ख) अनुपूरक करार में, भारतीय इंजीनियरी सामान के निर्यात संवर्धन में पश्चिमी जर्मन से परामर्श के रूप में सहायता मिलने की व्यवस्था है । करार की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में पहले ही रख दी गई है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को बांकी कोयला खान द्वारा भूमि का अर्जित किया जाना

1224. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : **श्री भगवान दास** :
श्री रमानी : **श्री अब्राहम** :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की बांकी कोयला खान द्वारा कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि बांकी कोयला खान द्वारा अर्जित भूमि पर कुछ गैर-सरकारी व्यापारियों ने कब्जा कर लिया है और उस पर बिना अनुमति पक्के भवनों का निर्माण कर लिया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :

(क) , (ख) , (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की बांकी कोयला खान

1225. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : **श्री भगवान दास**:
श्री अनिरुद्धन : **श्री रमानी** :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम बांकी कोयला खान ने भूमि अर्जित करने, सामान खरीदने तथा पुलियां बनाने पर कुल कितना खर्च किया ; और

(ख) उसे कोयला बोर्ड से राज-सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि मिली है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री० प्र० चं० सेठी) : (क) दिसम्बर, 1967 तक जितनी राशि व्यय की गई उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि 1-4-67 से दिसम्बर, 1967 तक के गणन परिपूर्ण नहीं किये गये हैं। 31-3-67 तक की प्राप्त सूचना नीचे दी जाती है :—

	रुपये
(1) राशि जो 31-3-67 तक बांकी में भूमि अर्जित करने में खर्च हुई	2, 78, 402
(2) सामान और अतिरिक्त भागों का मूल्य 31-3-67 को	37, 88, 816
(3) राशि जो सड़कें और पुलियों बनाने में 31-3-67 तक व्यय हुई	6, 81, 839
	47, 49, 057

(ख) कुछ नहीं ।

बांकी कोयला खान के पास पड़ा हुआ स्लैक (घटिया) कोयला

1226. श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री अब्राहम :
श्री एस्थोस :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बांकी कोयला खान के पास पिछले 2-1/2 वर्षों से बहुत बड़ी मात्रा में घटिया कोयला पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों ने उनके निपटान के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 1965-66 के 6-7 महीनों में संग्रह अधिक थे । वे नवम्बर, 1966 में क्रमशः 2000 टन तक घटाये गये । संग्रह अक्तूबर-दिसम्बर, 1967 में फिर 30,000 टन तक पहुँच गये परन्तु जनवरी, 1968 में घट गये ।

(ख) और (ग) प्रबन्धकों द्वारा संग्रह और नये उत्पादन को निपटान करने के लिये कार्यवाही की गई थी और की जा रही है ।

अल्मोनियम का आयात

1227. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1967 में अल्मोनियम का भारी मात्रा में आयात करने की अनुमति दी थी;

(ख) क्या देश में अल्मोनियम और अल्मोनियम के उत्पादों की इतनी कमी है कि उसका आयात करने की आवश्यकया है ;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के अल्मोनियम का आयात किया गया ; और

(घ) गत दो वर्षों में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के अल्मोनियम का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) :

(क) वाणिज्यिक वर्ग का अल्यूमीनियम आयात करने की अनुमति नहीं है । केबल तथा कंडक्टर उद्योग, जो कि एक प्राथमिकता प्राप्त उद्योग है, की आवश्यकता को पूरा करने के लिये 1967 में 32,000 मे० टन विद्युतीय वर्ग का अल्यूमीनियम आयात करने की अनुमति दी गई थी ।

(ख) जी, हां ; विद्युतीय वर्ग के अल्यूमीनियम की कमी है ।

(ग) पिछले पांच वर्षों में जितना अल्यूमीनियम आयात किया गया, उसकी मात्रा और मूल्य निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	मे० टन	मूल्य (लाख रु०)
1962–63	38,856	1052
1963-64	24,676	637
1964-65	22,958	724
1965-66	20,328	629
1966-67	32,530	1435
अप्रैल-सितम्बर, 1967	26,885	1213

(घ) पिछले दो वर्षों में जितना अल्यूमीनियम निर्यात किया गया, उसकी मात्रा एवं मूल्य के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	मे० टन	मूल्य (लाख रु०)
1965-66	1138	32
1966-67	1092	54
अप्रैल-सितम्बर, 1967	703	39

हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

1228. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया गया है और मैसर्स कर्मचन्द थापर एण्ड ब्रदर्स को यह कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है ।

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में कितनी पूंजी लगाई जाएगी;

(ग) उसमें किन-किन के शेयर होंगे और प्रत्येक के शेयरों का मूल्य क्या होगा;

(घ) इस कारखाने में उत्पादन कब से आरम्भ हो जायेगा और इसे कहां पर स्थापित किया जायेगा; और

(ङ) राज्य–तथा मैसर्स कर्मचन्द थापर एण्ड ब्रदर्स के बीच हुए करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (ङ) मेसर्स करम चन्द थापर एण्ड ब्रदर्स को कांगड़ा घाटी में अखबारी कागज का एक कारखाना लगाने के लिये एक लाइसेंस मंजूर किया गया था। फिर भी, अब अखबारी कागज उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है। कच्चा माल प्राप्त करने के लिये फर्म हिमाचल प्रदेश सरकार से लम्बी अवधि पर वन क्षेत्रों को पट्टे पर लेने के लिये पत्र-व्यवहार कर रही है। यह हो जाते ही वह अपनी योजना को अन्तिम रूप दे देगी और विदेशी सहयोग, पूंजीगत उपकरणों के आयात तथा रुपया पूंजी आदि प्राप्त करने के बारे में सरकार की मंजूरी के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत कर देगी।

प्रधान मंत्री कोसिगिन के साथ बातचीत

1229. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी प्रधान मन्त्री कोसीगिन के दल की भारत की पिछली यात्रा के समय एक व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भी भारत आया था;

(ख) क्या रूसी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ कोई बातचीत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर बातचीत हुई और क्या निर्णय किये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी करैशी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) सोवियत प्रधान मंत्री कोसीगिन से वाणिज्य मन्त्री की बातचीत हुई थी।

(ग) भारत तथा सोवियत रूस के बीच पटसन के सामान, जूते तथा चमड़े के अन्य सामान, सिले-सिलाये वस्त्र तथा फलों के रसों के क्षेत्र में संयुक्त औद्योगिक सहयोग पर विचार-विमर्श हुआ। प्रधान मन्त्री कोसीगिन ने आश्वासन दिया कि भारत सोवियत रूस को जितने रेल के डिब्बों का संभरण कर सकता है वे सभी सोवियत रूस खरीदने के लिये तैयार है; सोवियत रूस इस्पात की पटरियां खरीदने के लिये भी तैयार है। इस विचार-विमर्श के फल-स्वरूप सोवियत रूस के प्रधान मन्त्री योजनाओं पर विचार-विमर्श करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के लिये विभिन्न क्षेत्रों के विशषज्ञों को भेजने पर सहमत हो गये।

यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति के साथ व्यापार वार्ता

1230. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति के साथ उनकी भारत यात्रा के दौरान किन-किन नई वस्तुओं के निर्यात और आयात के बारे में सहमति हुई थी अथवा क्या सहयोग के और कुछ करारों के बारे में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दोनों देशों के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) बातचीत साधारण स्वरूप की थी और भारत, संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया के मध्य द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय आधार पर आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने से मुख्यतः सम्बन्धित थी।

तेल तथा बिटूमन के ढोलों का निर्माण

1231. श्री स० मो० बनर्जी : श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4536 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में तेल के ढोलों और बिटूमन के ढोलों के निर्माण के लिये प्रत्येक तेल समवाय को पृथक-पृथक इस्पात की चादरों के आयात के लिये कितने मूल्य के लाइसेंस जारी किये गये थे ;

(ख) क्या तेल के ढोलों और बिटूमन के ढोलों के निर्माण के लिये तेल समवायों द्वारा इन आयात लाइसेंसों के आधार पर आयातित इस्पात की चादरें लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को उनकी लाइसेंसशुदा क्षमता के अनुकूल उनके द्वारा बांटी जाती है या अनुपात के आधार पर ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वितरण में भेद-भाव को रोकने के लिये सरकार का विचार भविष्य में केवल लाइसेंस-प्राप्त निर्माताओं को ही ये लाइसेंस जारी करने का है ;

(घ) क्या बिटूमन ढोलों के निर्माण के लिये लाइसेंस प्राप्त कम्पनियों को इस्पात की चादरों के वितरण के बारे में 11 जून, 1964 को हुई अन्तर-मंत्रालय बैठक में कोई निर्णय किया गया था, जिसमें उद्योग, लोहा तथा इस्पात, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालयों तथा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के अधिकारी उपस्थित थे;

(ङ) यदि हां, तो क्या उस निर्णय को क्रियान्वित किया गया था ; और

(च) यदि नहीं, तो वह निर्णय क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी०) :

(क) से (च) : इन सभी बातों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

टायर बनाने के कारखाने

1232. श्री स० मो० बनर्जी : श्री सं० चं० सामन्त :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी टायर निर्माताओं की वार्षिक क्षमता क्या है ;

(ख) यह क्षमता भारतीय टायर निर्माताओं की क्षमता की तुलना में कितनी है ; और

(ग) इनको विदेशी निर्माताओं की क्षमता लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) स्थिति निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट की गई है :—

	कुल स्वीकृत क्षमता (संख्या)	ऐसी कम्पनियों के बारे में स्वीकृत क्षमता जिनकी इक्विटी पूंजी में अधिकांश विदेशी पूंजी है।
मोटरगाड़ी टायर उद्योग	4,206,800	2,046,800
साइकिल टायर उद्योग	36,257,000	15,211,000

(ग) सरकार के सामने ऐसा कोई भी विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसके अन्तर्गत भारतीय स्वामित्व को टायर बनाने वाली कम्पनियों की क्षमता को उन कम्पनियों के समान की जा सके जिस में अधिकांश विदेशी पूंजी लगी है । फिर भी, उन्हें आर्थिक दृष्टि से मजबूत कारखाना बनाने के लिए हर प्रकार की सहायता दी जाती है ।

भारत द्वारा निर्यात

1233. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) 1965 में हुए निर्यात की तुलना में 1967 में हुआ निर्यात कम है या अधिक ; और

(घ) और अधिक निर्यात करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) से (ग) अवमूल्यन के बाद के वर्ष में (जून, 1966 से मई, 1967 तक) 152.00 करोड़ डालर का भारतीय निर्यात (जिसमें पुनः निर्यात शामिल है) गत वर्ष के 12 महीनों की उसी अवधि में अर्थात् जून, 1965 से मई, 1967 तक किये गये निर्यात की तुलना में 11.1 प्रतिशत कम था । 1966–67 के वित्तीय वर्ष में निर्यात 155.79 करोड़ डालर था जबकि 1965–66 की अवधि में 169.25 करोड़ डालर था और इस तरह 13.46 करोड़ डालर की अर्थात् 8 प्रतिशत गिरावट हुई । 1967–68 के 8 महीनों की अवधि में 106.2 करोड़ डालर का निर्यात हुआ जबकि 1966 की उसी अवधि में 99.3 करोड़ डालर का निर्यात हुआ था तथा 1965 की उसी अवधि में 110.5 करोड़ डालर का निर्यात हुआ था ।

(घ) निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए उपायों के ब्यौरे लोक-सभा में

13-2-1968 को उत्तर दिये गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1710 के भाग (घ) में दिए गए हैं ;

नांगल बांध-उना रेलवे लाइन

1234. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री रामजी राम : श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि नांगल बांध से उना तक रेलवे लाइन को बढ़ाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) उन पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ; और

(घ) इस लाइन पर कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) रेलवे लाइन को नंगल डैम से उना तक बढ़ाने के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन भारत के रासायनिक खाद निगम की बड़ी लाइन की वर्तमान गैर-सरकारी साइडिंग को नंगल से आगे हिमाचल प्रदेश में (अर्थात् अजौली गांव तक) ले जाने के सम्बन्ध में पिछले महीने हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध मे अभी तक कोई विनिश्चिय नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) सवाल नहीं उठता।

Committee of Enquiry into Steel Transactions

1235. **Shri Madhu Limaye :** **Shri B. K. Daschowdhury :**
Shri Jugal Mondal :

Will the **Minister of Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the inquiry into the irregularities in respect of export and import of steel has been completed by the Committee of Inquiry (Steel Transactions) appointed by Government ;

(b) whether that Committee was rendered assistance by officals, like the Director, Revenue Intelligence as was demanded in the Lok Sabha ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) the time by which the report is likely to be submitted by the Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi):

(a) Yes, Sir.

(b and (c) Diretor, Revenue Intelligence, Ministry of Finance was examined by the Committee of Inquiry.

(d) End of February, 1968 .

राज्य व्यापार निगम

1236. **श्री मधु लिमये :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम के कार्य का विस्तार करने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है ;

(क) यदि हां, तो आयात-निर्यात के लिये कौन-कौन सी नई वस्तुएं हैं जिनका व्यापार अपने हाथ में लेने के बारे में राज्य व्यापार निगम ने निर्णय कर लिया है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने निर्यात-अधिकारियों की भर्ती की है जिन्हें इस कार्य के लिये इस काम के शुरू होने से पहले प्रशिक्षण दिया जा सके ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) से (ख) राज्य व्यापार निगम, जहां आवश्यक हो, सरकार द्वारा दिये गये निदेशों से, वैदेशिक व्यापार को बढ़ाने और विभिन्न बाजारों में ऐसी मदों का प्रवेश कराने के लिये, जो स्वयं नहीं जा पा रही हैं, और अपरम्परागत बाजारों को परम्परागत मदों का निर्यात बढ़ाने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहा है । राज्य व्यापार निगम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर पूंजीगत माल और विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कच्चे माल के आयात का भी प्रबन्ध करता है । वह देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास के लिये अपेक्षित दुलर्भ वस्तुओं का भी आयात करता हैं ।

निर्यात की नई मदों के कुछ उदाहरण जिनका निगम द्वारा विकास किया जा रहा है ; निम्नालिखित है :—

1. हापर वेगन तथा टैंक वेगन
2. लकड़ी के खम्भे
3. आइसोनायजिड
4. यूरिया फार्मल डिहाइड
5. स्ट्रिक्निन सल्फेट
6. ब्लीचिंग पाउडर
7. संचारण बुज तथा संवाहक
8. कपड़ा मशीनें
9. बिजली पैदा करने के उपकरण, जैसे जल चालित टर्बाइन, प्रत्यावर्तक तथा ट्रांसफार्मर, स्विचगियर और घरेलू सर्विस मीटर
10. नकली रेशम के वस्त्र

(ग) जब भी किसी नई मद का व्यापार आरम्भ किया जाता है, निगम उस मद में तकनीकी प्रशिक्षणप्राप्त व्यक्तियों को भर्ती करने का भरसक प्रयत्न करता है बशर्ते कि पहले ही निगम में विशेषज्ञ उपलब्ध न हों ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इंजीनियरी उद्योग में मन्दी

1237. **श्री रामभद्रन :** **श्री वीवीकन :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा प्रसारित सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है कि मन्दी के इस वर्तमान दौर का इंजीनियरी उद्योग पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) सम्भवतः "इडस्ट्रियल रेसेशन-काजेज एन्ड क्योर्स" शीर्षक की पत्रिका का उल्लेख किया गया है जिसे कुछ समय पूर्व इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स तथा इण्डस्ट्री की फेडरेशन ने प्रकाशित किया था और जिसकी एक प्रति उनसे प्राप्त हुई थी।

(ख) औद्योगिक उत्पादन में कमी को रोकने के लिए उठाए गए पगों में, विभिन्न विकास कार्यक्रमों, जिनमें रेलें भी सम्मिलित हैं, का पुनरीक्षण करना है ताकि पूंजीगत वस्तुओं की मांग को यथासम्भव पुनः उत्पन्न की जा सके। प्रभावित उद्योगों के उत्पादन-क्रम में विविधता लाना, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में और अधिक सुदृढ़ बिक्री ढांचा बनाकर निर्यात की मन्डियों के विकास पर बल देना उस सीमा तक आयात पर रोक लगाना जहां तक कि देश की स्थापित क्षमता की आवश्यकता पूरी हो सकती है। इसमें ऐसे आयात जिनके लिये स्वीकृति तो दी जा चुकी है किन्तु उसके लिये वचन नहीं दिया गया, का पुनरीक्षण करना और उदार ऋण-नीति आदि सम्मिलित हैं।

व्यापार के सम्बन्ध में भारत-जर्मन सम्मेलन

1238. **श्री रामभद्रन :** **श्री अंबचेजियान :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1968 में बम्बई में निर्यात व्यवस्था और संवर्धन के बारे में भारत और जर्मनी का पाँच दिन का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया ;

(ग) उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ग) उसकी सफलताओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हाँ।

(ख) लगभग 135 प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने की सूचना प्राप्त हुई है ।

(ग) निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया :—

(1) वैदेशिक व्यापार के नियम ।

(2) जर्मनी तथा भारत में निर्यात संवर्द्धन संगठन ।

(3) जर्मनी तथा भारत की फर्में अपने निर्यात का संगठन कैसे करती हैं ।

(4) निर्यात के अनुकूलन की समस्याएं ; विपणन तथा माल की सूचियां तैयार करना ।

(5) कृषि के क्षेत्र में निर्यात संवर्धन ।

(6) निर्यात पैकेजिंग, प्रबन्ध तथा परिवहन के अनुकूलन की समस्याएं ।

(7) निर्यात के क्षेत्र में प्रशिक्षण ।

(8) निर्यात में प्रतियोगिता तथा निर्यात संवर्धन के लिए संयुक्त उद्यम ।

(9) निर्यात के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि नीतियां ।

(10) निर्यात संवर्धन में प्रचार एवं जन-संपर्क का योगदान ।

(घ) सम्मेलन जर्मन संघीय गणतन्त्र के साथ हमारे द्विपक्षीय व्यापार की कुछ समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करने में सफल रहा । व्यापार विनिमय को सुदृढ़ बनाने के मार्गोपायों पर कुछ दिलचस्प सुझाव भी दिये गये ।

मैसर्स बैनेट कौलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड

1239. **श्री उमा नाथ :**
श्री प० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री नायनार :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, श्री एस० पी० चोपड़ा ने जिन्हें मैसर्स बैनेट कौलमैंने एन्ड कम्पनी लिमिटेड के कार्यों की जांच करने के लिए अप्रैल, 1963 में नियुक्त किया गया था, अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) इस प्रतिवेदन के कब तक पेश हो जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) हां, श्रीमान् । श्री चोपड़ा ने तीन रिपोर्टें दी, दिनांक 10 अप्रैल, 1964 तथा तीसरी दिनांक 5 अगस्त, 1964 को, प्रस्तुत की हैं ।

(ख) श्री चोपड़ा द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों से, मैसर्स बैनट कोलमैन एन्ड कम्पनी के अर्थ-प्रबन्धकों द्वारा की गई अनेक अवैधताओं तथा अनियमितताओं का पता चला । महत्व-पूर्ण उपपत्तियां संक्षेप में निम्नलिखित हैं :—

1– समाचार पत्रों को रद्दी के विक्रयागम से प्राप्त सम्पूर्ण धन का लेखा न करना व इस प्रकार किताबों से बाहर रक्खे गये, 17 लाख रुपयों से ऊपर की धन-निधि का अपहरण करना ;

2–कम्पनी की कुछ मशीनरी तथा अन्य विविध वस्तुओं के विक्रयागम का लेखा न करना तथा इस प्रकार किताबों से बाहर रक्खे गये, 3 लाख रुपयों से ऊपर की धन-निधि का अपहरण करना ;

3– अनेक कम्पनियों तथा फर्मों को, जिनमें कम्पनी के अवैतनिक अध्यक्ष श्री एस० पी० जैन तथा उनके सम्बन्धियों के हित थे, अनियमित ऋण देना ;

4–कम्पनी द्वारा, विधि मान्यता के माने बिना, कम्पनी के व्यापार से असम्बन्धित, कुछ पार्टियों को, जिनमें श्री एस० पी० जैन का हित था, कुछ पैसा दे देना ;

5–अक्तूबर, 1955 में 1948-54 की अवधि के लिये प्रीफरेंस हिस्सों पर, कम्पनी की आर्थिक स्थिति की उपेक्षा करते हुये तथा कम्पनी द्वारा पहले किये गये निर्णय को परिवर्तित करके लाभांश की घोषणा।

6–वार्षिक तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि के लेखे में इस प्रकार दक्ष प्रयोग, जिससे कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित, सत्य तथा स्पष्ट आर्थिक स्थिति का आभास न हो सके ।

7–उचित जांच-पड़ताल को असफल बनाने के लिये प्रबन्धकों द्वारा आकल्पित, बाधाकारी, टालने वाली तथा असहयोग की भावना ;

8–कम्पनी के महत्वपूर्ण अभिलेखों का नाश।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोकिंग कोयले पर उपकर

1240. **श्री उमानाथ :** **श्री चक्रपाणि :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कोकिंग कोयले पर उपकर लगाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इससे इस्पात तथा इंजीनियरिंग उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य–मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :

(क) केवल कोकिंग कोयले पर और उपकर लगाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

Aerial Survey under "Operation Hard Rock" Programme

1241. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the areas in which aerial survey has so far been carried out under the "Operation hard rock" pragramme;

(b) the names of minerals whose existence in these areas have come to be known ; and

(b) the action so far taken to exploit these mineral deposits ;

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. M. Channa Reddy) :

(a) Airborne geophysical survey over the selected areas (i) Eastern Cuddapah (ii) Khammam and (iii) Gani Kalava in Andhra Pradesh has been completed. In Rajasthan, more than half the area, including parts of Ajmer-Banswara belt and Jahazpur area, has been covered by airborne geophysical survey.

(b) Several geoisphysical anomalies have been indicted over known mineral occurrences of lead, zince and copper in Andhra Pradesh and Rajasthan, and also in areas where there are 'no known occurrences'. The anomalies indicated so far are to be investigated by detailed ground survey to find out the caustaive bodies.

(c) Detailed ground geophysical, geological and geochemical work over the anomalies indicated by the airborne survey is yet to be taken up for evaluation. Futher action to exploit the mineral deposits that may be located as a result thereof will be taken in due course.

Wig Factory at Madras

1242. **Shri Ram Gopal Shalwale:** **Shri R. S. Vidyarthi :**
Shri Sharda Nand: **Shri Kanwar Lal Gupta:**
Shri N. S. Sharma.:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some irregulagities have been committed in the purchase of hair in the Wig Factory at Madras ;

(b) whether an enquiry is being conducted in this regard ; and

(c) if so, the findings thereof and the action taken thereon ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohammad Shafi Qureshi) :

(a) to (c) Some complaints were received from private parties in respect of purchases of human hair by Wig India Madras. S. T. C. deputed an officer to enquire into these complaints. As a result of this enquriy, certain defects in the procedure for puchases were identified and recommendations were made for improving the prcedures for purchases, hackling tests, store keeping etc. These recommendations are being implemented by the Wigs factory.

Delhi as Dry Port

1243. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 1682 on the 24th November, 1967 regarding declaraton of Delhi as dry port and state :

(a) the action since taken by Government to implement the proposal ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohammad Shafi Qureshi) :

(a) and (b) The proposal for setting up a dry port at Delhi is still under examination in consultation with other Ministries. No final decision has yet been taken.

चाय की बिक्री बढ़ाने का करार

1244. **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :** **श्री य० अ० प्रसाद ।**
श्री वेदव्रत बरुआ : **श्री इंद्रजीत गुप्त :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय की बिक्री बढ़ाने के सम्बन्ध में भारत और श्रीलंका की सरकारों के प्रतिनिधि-मण्डलों के बीच हुए करार के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या किए गये निर्णय को कार्य रूप देने के लिये चाय उद्योग से सलाह ली गई है ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) हाल में कोलम्बो में भारत तथा श्रीलंका के प्रतिनिधि-मण्डलों के बीच हुई बातचीत के बाद दी गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) बातचीत के बाद जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखी जाती है [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 151/68] । इससे यह पता चल जायेगा कि प्रतिनिधि-मण्डलों ने यह भी सिफारिश की है कि एक बैठक यथाशीघ्र बुलाई जानी चाहिये, जिसमें दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों और दोनों देशों के चाय उत्पादकों तथा चाय व्यापारियों के प्रतिनिधियों को इन प्रस्तावों पर अपने विचार प्रगट करने का अवसर दिया जाये ।

दिल्ली में टायरों के व्यापारी

1245. **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :** **श्री स० च० सामन्त :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने हाल ही में दिल्ली में टायर व्यापारियों की कुछ दुकानों को बलपूर्वक खोला है ;

(ख) क्या संयुक्त व्यापार संघ द्वारा पुलिस की इस कार्यवाही की आलोचना की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) साइकिलों के टायर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आते हैं। दिल्ली प्रशासन ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन 18 दिसम्बर, 1967 को दिल्ली साइकिल टायर तथा ट्यूब नियंत्रण आदेश, 1967 को जारी किया था। इस आदेश के उपबन्धों के अधीन कोई भी व्यक्ति लाइसेंस देने वाले अधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी किये गये लाइसेंस की शर्तों के अलावा न तो बिक्री या वितरण के लिए साइकिलों के टायरों और ट्यूबों का स्टोर कर सकेगा, न बेचने का प्रस्ताव कर सकेगा और न उन्हें बेच ही सकेगा। यद्यपि विक्रेताओं के पास बिना मान्य लाइसेंस के बेचने के लिए साइकिल के टायर और ट्यूबों का पर्याप्त स्टाक है तो भी साइकिल के टायर बाजार में लाभ पर बेचे जा रहे थे। रक्षा के लिए पुलिस की सहायता से दिल्ली प्रशासन द्वारा निरीक्षण करने के लिए नियुक्त पार्टियों ने कुछ साइकिल टायर के स्टोरों के ताले इसकी जांच करने के लिये तोड़ दिये थे जिससे जनवरी, 1968 के प्रारम्भ में साइकिल के टायरों के स्टाक की जांच की जा सके। पुलिस द्वारा वैसे किसी भी साइकिल विक्रेता की दुकान नहीं खोली गई थी।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यापार प्रशुल्कों में कटौती

1246. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या भारत सरकार, यूगोस्लविया और संयुक्त अरब गणराज्य की सरकारों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिये और पारस्परिक आधार पर व्यापार प्रशुल्कों में 50 % की कटौती करने के लिए तीनों देशों के बीच एक पाँचवर्षीय व्यापार करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ;

(ग) उक्त करार के अंतर्गत इन दो देशों में से प्रत्येक को कौन-कौन सी भारतीय वस्तुओं का निर्यात करने का प्रस्ताव है ; तथा उन देशों से कौन-कौन सी वस्तुओं का निर्यात करने का प्रस्ताव है ;

(घ) क्या उस करार में औद्योगिक उपक्रमों में सहयोग के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते की व्यवस्था है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन देशों से किन-किन उपक्रमों में सहयोग मांगा गया है और किस-किस प्रकार के उद्योगों में भारत इन देशों को सहयोग प्रदान करेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 151/68]

पटसन उद्योग में संकट

1247. श्री हिम्मतसिंहका :क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जनवरी, 1968 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित 'समाचार' पटसन उद्योग में अपूर्व संकट, (अनप्रेसीडेन्टेड क्राइसिस इन जूट इण्डस्ट्री) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) पटसन उद्योग को इस संकट से उबारने के लिए सहायता देने के हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी हां।

(ख) इस समय पटसन उद्योग के किसी संकट की सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डीजल शंटिंग रेल-इंजन

1248. श्री हिम्मतसिंहका : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को डिजल शंटिंग रेल-इंजन तैयार करने का काम सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में ऐसे रेल-इंजनों की अधिष्ठापित निर्माण क्षमता कितनी है और वर्ष 1967 में इस क्षमता का कहां तक उपयोग किया गया था ;

(ग) उक्त अवधि में यदि संयंत्र में क्षमता बेकार पड़ी रही है तो कितनी ; और

(घ) ऐसे इंजनों की सप्लाई के सम्बंध में इस समय चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के पास भारतीय रेलवे तथा अन्य पार्टियों से प्राप्त कितने क्रयादेश पड़े हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस समय चितरंजन रेल-इंजन कारखाने में डीजल शंटिंग रेल-इंजनों के लिए उत्पादन और क्षमता का विकास किया जा रहा है ; अतः 1967 में इस तरह के रेल इंजन बनाने की कोई क्षमता बेकार नहीं पड़ी रही ।

पहला प्रोटोटाइप रेल-इंजन तैयार कर लिया गया है और उसे जनवरी, 1968 में चालू किया गया । आशा है 1967-68 से 1970-71 तक चितरंजन रेल इन्जन कारखाने में कुल 150 डीजल शंटिंग रेल-इन्जन तैयार होंगे और उस समय तक प्रति वर्ष 60 रेल-इन्जनों के उत्पादन की क्षमता प्राप्त हो जायेगी ।

(घ) भारतीय रेलों और अन्य पार्टियों की मांग पूरी करने के लिए 1967-68 से 1970-71 तक चितरंजन रेल इन्जन कारखाने में 150 डीजल शंटिंग रेल इन्जन बनाने की योजना बनाई गई है, जिसमें से केवल एक रेल इन्जन तैयार किया गया है।

डेबरी (राजस्थान) में जस्ता पिघलाने का कारखाना

1249. श्री हिम्मतसिंहका : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर जिले में डेबरी के स्थान पर जस्ता पिघलाने वाले सरकारी क्षेत्र के कारखाने में काम शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह कारखाना कब चालू हुआ था और इसमें अब कितना उत्पादन होने लगा है ;

(ग) जस्ता पिघलाने के इस कारखाने में क्या-क्या उत्पाद तथा उपोत्पाद बनते हैं और प्रत्येक मद की उत्पादन क्षमता क्या है और प्रत्येक मद का वास्तविक उत्पादन कितना है ; और

(घ) इस कारखाने में पूरी क्षमता से कब तक उत्पादन होने लगेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) :

(क) हाँ, महोदय ।

(ख) विविध विभागों का परीक्षण के तौर पर चलना नवम्बर, 1967 से आरम्भ हो गया था परन्तु संयंत्र पूर्णतया (दो विभागों, साइस भट्टी और कैडमियम सयन्त्र, के अतिरिक्त) पहली जनवरी, 1968 को चालू हो गया था ।

(ग) उत्पादन और उपोत्पाद जो कि जस्ता पिघलाने के कारखाने में बनते हैं, उसकी लक्ष्य-क्षमता नीचे दिये जाते हैं :—

उत्पाद और उपोत्पाद	लक्ष्य-क्षमता
(1) जस्ता	18,000 टन वार्षिक
(2) सल्फ्यूरिक एसिड	29,000 टन ,,
(3) सिंगल सुपरफास्फेट उत्पादित सल्फ्यूरिक एसिड को प्रयोग करने से और आयात किये रॉक फास्फेट की सहायता से	75,000 टन ,,
(4) केडमियम	80 टन ,,

जनवरी 1968 में, उत्पादन इस प्रकार था :—

जस्ते के कैथोड चादरें उत्पादित	1,533,445 टन
सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादित	2,804,67 टन
सुपर फास्फेट उत्पादित	5,301,59 टन

कैडमियम का उत्पादन नहीं हुआ क्योंकि यह संयंत्र अभी पूरा नहीं हुआ।

(घ) कैडमियम और उत्पादन किया हुआ जस्ता कैथोड (जिसको अब जस्ता-पिण्डक में परिवर्तित करते हैं के अतिरिक्त, संयंत्र ने पहले ही निर्धारित क्षमता से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है ; यद्यपि परियोजना रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र ने चालू होने के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 60%, 80% और 100% उत्पादन क्षमता प्राप्त करनी थी। साइस भट्टी पर जस्ता कैथोड को जस्ता-पिण्डक में परिवर्तन करने का कार्य शीघ्र आरम्भ हो जाने की

आशा है और दो महीने के समय में समाप्त हो जायेगा । कैडिमयम संयंत्र का काम पहले ही आरम्भ हो चुका है और यह संयंत्र आंशिक, रूप से इसी महीने में चालू होने की आशा है और पूर्ण निर्धारित क्षमता मार्च 1968 तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ।

मद्रास में रेलवे लाइनों को बन्द किया जाना

1250. **श्री चक्रपाणि :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री रमानी : **श्री नम्बियार :**
श्री विश्वनाथन : **श्री सम्बन्धन :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मद्रास राज्य में कुछ रेलवे लाइनों को बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन रेलवे–लाइनों का नाम क्या है और उनको बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस विषय में मद्रास सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) :

(क) और (ख)मद्रास राज्य में किसी भी रेलवे-लाइन को बन्द करने का निर्णय नहीं किया गया है । लेकिन यह देखने के लिए जांच की जा रही है कि सार्वजनिक हित को हानि पहुंचाये बिना क्या अलाभप्रद शाखा लाइनों को बन्द किया जा सकता है ? मद्रास राज्य में इन शाखा लाइनों की एक सूची संलग्न है [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 153/68]

(ग) जी वहीं ।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

भोजन-यान रैस्टोरेंटों में भोजन-व्यवस्था कर्मचारी

1251. **श्री चक्रपाणि .** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री नम्बियार :**

क्या रेलवे मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4604 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोजन-यान रैस्टोरेंट में काम करने वाले भोजन-व्यवस्था कर्मचारियों की संख्या, उनके वेतन तथा भत्ते और क्या वे रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभों के हकदार हैं, इस सम्बन्ध में सब जानकारी एकत्र हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल-मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) :

(क) से (ग) तक सूचना मंगा ली गयी है और संलग्न विवरण में दी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 154/68]

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित तेलों की बिक्री

1252. श्री भगवान दास : श्री एस्थोस :
श्री सत्य नारायण सिंह : श्री नायनार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा भेड़-बकरी की चर्बी, नारियल तथा ताड़ के तेल आदि आयातित कच्चे माल पर 100 प्रतिशत लाभ लिये जाने के कारण पंजाब के छोटे पैमाने के साबुन निर्माताओं के माल की विदेशी बाजार में मांग समाप्त हो गई है;

(ख) क्या इस संबंध में पंजाब लघु साबुन निर्माताओं की फेडरेशन ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी, नहीं । राज्य व्यापार निगम खोपड़ा, ताड़ का तेल तथा चर्बी आदि कच्चे माल के आयात पर 100 प्रतिशत लाभ नहीं लेता है। राज्य व्यापार निगम द्वारा इस कच्चे माल पर लिये जाने वाले थोड़े से लाभ के कारण पंजाब के छोटे पैमाने के साबुन निर्माताओं पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी ओर, निगम सरकार द्वारा मंजूरशुदा समिति द्वारा निर्धारित उपयुक्त मूल्यों पर ताड़ के तेल, चर्बी, खोपड़ा / नारियल के तेल आदि कच्चा माल समुचित परिमाण में उपलब्ध करा कर साबुन के निर्माता-निर्यातकों की सहायता करता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चाय उद्योग

1253. श्री वी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग की समस्याओं पर विचार करने तथा चाय का उत्पादन बढ़ाने के बारे में सिफारिश करने के लिए नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रूस से प्रतिनिधि-मण्डल

1254. श्री दीवीकन . श्री चेंगलराया नायडू :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से चार विशेषज्ञ दल पटसन, चमड़े के सामान, बने बनाए कपड़ों तथा होजरी उद्योगों के उत्पादन में तकनीक के अध्ययन के लिये भारत में आये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिमाण निकला ; और

(ग) क्या रूसी प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ इस मामले पर भी बातचीत हुई थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) तथा (ख) सोवियत रूस से चार विशेषज्ञ दलों का अग्रिम समूह इस समय भारत में है, परन्तु जब कभी आवश्यकता होगी तो उसमें अन्य विशेषज्ञ भी शामिल कर लिये जायेंगे ।

(ग) जी, हां । सोवियत प्रधान मन्त्री श्री कोसीगिन ने इन विशेषज्ञ दलों को भारत में भेजने का वायदा किया था ।

भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग समूह

1255. **श्री रवि राय :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग समूह की पदोन्नति संबंधी नीति से कर्मचारियों में भारी असंतोष फैल गया है और उनकी भोपाल की हाल की यात्रा के दौरान कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कुछ मामलों की ओर उनका ध्यान दिलाया था ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांग पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल के कारखाने में पदोन्नति संबंधी नीति का पुनरीक्षण मान्यता प्राप्त संघों की मांग का विषय रहा है किन्तु फिर भी मंत्री की पिछली भोपाल यात्रा के समय ऐसा कोई भी उदाहरण उनकी जानकारी में नहीं लाया गया था ।

(ख) प्रबन्धकों ने पदोन्नति संबंधी नीति का निर्माण भारत सरकार द्वारा परिचालित आदर्श नियमों के आधार पर किया है । निम्न श्रेणी के कल्कों तथा चपरासियों की श्रेणियों को छोड़कर जिनमें पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, शेष श्रेणियों में पदोन्नति निश्चित चयन द्वारा वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर ही की जाती है । यह नीति सन्तोषजनक समझी जाती है ।

औद्योगिक मूल्य आयोग

1256. **श्री रवि राय :** **श्री कं० हाल्दर :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजपत्रित लेखापालों के इस सुझाव की ओर दिलाया गया

है कि कृषि संबंधी मूल्य आयोग के आधार पर औद्योगिक मूल्य आयोग स्थापित किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । इण्डियन मर्चेन्ट्स चेम्बर इकनामिक रिसर्च ऐण्ड ट्रेनिंग फाउन्डेशन, बम्बई ने चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स की परिषद् के सहयोग से किए गए भारतीय उद्योगों में मूल्य-निर्धारण के अध्ययन में कृषि के मूल्यों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए नियुक्त कृषि-मूल्य आयोग के नमूने पर एक औद्योगिक मूल्य-आयोग की नियुक्ति करने की वांछनीयता का उल्लेख किया है ।

(ख) कृषि पदार्थों के मूल्य-निर्धारण की समस्याएं औद्योगिक उत्पादों की समस्याओं से मौलिक रूप से भिन्न है । वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत टैरिफ आयोग से किसी विशिष्ट उद्योग अथवा उद्योग समूह के मूल्य-ढांचे की जांच करने के लिए कहा जा सकता है । अतः कृषि संबंधी मूल्य आयोग के नमूने पर एक और निकाय का बनाया जाना व्यवहारिक नहीं होगा ।

दक्षिण-पूर्वी रेलवे के खुर्दा डिवीजन में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों की ट्यूशन फीस का वापस किया जाना

1257. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्वी रेलवे के खुर्दा डिवीजन में संचालन और इंजीनियरी के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों से वर्ष 1966 में ली गई ट्यूशन फीस की वापसी नहीं की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री वे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

खनिज पदार्थों पर रायल्टी की दरें

1258. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से खनिज पदार्थ रॉयल्टी की वर्तमान दरों का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न खनिज पदार्थों के लिये इस समय क्या दर है और उनका इसे किस प्रकार बढ़ाने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) और (ग) इस विषय के महत्व को और दूसरी राज्य सरकारों और खनिज उद्योग से प्राप्त प्रतिनिवेदनों को देखते हुए सरकार ने बड़े खनिज पदार्थों की रायल्टी के प्रश्न की प्रत्येक दृष्टिकोण से जांच करने के लिये एक अध्ययन वर्ग की स्थापना की थी। उस अध्ययन वर्ग के अधिस्ताव और राज्य सरकारों के इस बारे में सुझाव, खनिज मन्त्रणा मण्डल के समक्ष और राज्यों के खान तथा भूगर्भ मंत्रियों के सम्मेलन में, जो कि श्रीनगर में 26 से 29 सितम्बर 1967 तक हुआ था, रखे थे। उनके अभिस्ताव के अनुसार यह विषय खनिज मन्त्रणा मण्डल की स्थायी समिति द्वारा 24-11-67 और 13-12-67 को विचारा गया।

रॉयल्टी की वर्तमान दरें तथा वे दरें जो स्थायी समिति के निर्णय के अनुसार विदित करने का विचार है, नत्थी किये गये विवरण में दी गई है। यह सरकार के विचाराधीन है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 155/68]

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा उड़ीसा में खान-मालिकों को ऋण

1259. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1967 से जनवरी, 1968 की अवधि में खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने उड़ीसा में खान-मालिकों को कितना ऋण दिया ; और

(ख) किन-किन खान-मालिकों को यह ऋण दिया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह):

(क) जनवरी, 1967 से जनवरी, 1968 की अवधि में खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने उड़ीसा के विभिन्न खान-मलिकों को 19,87,275.26 रुपये की राशि के कुल ऋण दिये।

(ख) **लौह-अयस्क के संभरक**

1. मैसर्स इण्डिया ट्रेड्स कारपोरेशन
2. मैसर्स एम० एच० रहमान
3. मैसर्स राजकुमार लक्ष्मीनारायण भंजदेव
4. मैसर्स डी० डी० आर० जी० शाह
5. मैसर्स श्री नारायण कम्पनी।

मैंगनीज अयस्क के संभरक

1. मैसर्स एस० एन० खैतान एण्ड कं०
2. मैसर्स खैतान मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन
3. मैसर्स एस० के० सारावागी एण्ड कं०
4. मैसर्स मांगीलाल रुंगटा
5. मैसर्स एस० लाल एण्ड कं०
6. मैसर्स रुंगटा संस।

कोजीकोड़ (केरल) में लौह अयस्क के निक्षेप

1260. श्री कामेश्वर सिंह : श्री श्रीधरन :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 24 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1768 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कोजीकोड़ जिले में लौह अयस्क के निक्षेपों को निकालने के लिये कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस व्यौरे में केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है ;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप है ; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चन्ना रैड्डी): (क) नहीं, महोदय ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग), (घ) और (ङ) नहीं महोदय । तथापि, केरल सरकार से कोजीकोड़ क्षेत्र के लौह अयस्क के निक्षेपों के सविस्तार परीक्षा-कार्य करने के हेतु राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की सहायता के लिये एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के विशेषज्ञों ने नवम्बर, 1967 में कोजीकोड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया था और तदनन्तर सरकार को एक प्रारम्भिक अर्हापण प्रतिवेदन उपस्थापित किया था । जैसा कि प्रतिवेदन में अभि-स्थावित किया गया था, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग को इस क्षेत्र में शीघ्र ही आगे समन्वेषी कार्य आरम्भ करने का निदेश दिया जा चुका है । तदनुसार भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने कोजीकोड़ के पास लौह अयस्क के निक्षेपों के व्यधन के कार्यक्रम को अपने 1967–68 के क्षेत्र कार्यकाल में सम्मिलित कर लिया है ।

मोटरगाड़ी निर्माण कारखाने

1261. श्री कामेश्वर सिंह : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक व्यापक किस्म नियंत्रण योजना को कार्यान्वित करने के किन्हीं प्रस्तावों पर विचार कर रही है जो मोटर-गाड़ियां बनाने वाले सभी कारखानों पर लागू होंगी ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह योजना कब लागू होगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) 'व्यापक किस्म नियंत्रण योजना' से क्या अभिप्राय है यह स्पष्ट नहीं है । यदि इसका अभिप्राय किस्म नियंत्रण से है तो सरकार ने एक मोटरगाड़ी किस्म जांच समिति नियुक्ति की है जो भारत में निर्मित कारों की किस्म में गिरावट के कारणों की जांच करेगी ।

इस समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने विचार कर लिया है और सरकार के संकल्प सहित उसे सभा-पटल पर रख दिया गया है।

Foreign Companies

1262. **Shri Shashibushan Bajpai**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of foreign companies which have established their monopoly in India in the field of tea, rubber, tobacco and allopathic medicines ;

(b) the amount of foreign exchange sanctioned to these companies for the expansion of their industries during 1967-68 ; and

(c) the steps taken by Government to encourage the Indians to set up such industries in the country ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a)The Monopolies Inquiry Commission in statement 2 of their Report, laid on the Table of the House on 8-12- 1965, gave a list of Top Five Enterprises in respect of various products. A list of foreign companies figuring there in respect of tea, rubber, tobacco and alopathi cmedicines is enclosed [**Placed in Library. See No. L.T. 156/58**]

(b) The informtion for the year 1967-68 is not yet available.

(c) Attention is invited to the Industrial Policy Resolution 1949 and 1956 and the Provisions of Industrial (Development and Regulation) Act and regulations made thereunder.

राजस्थान से खनिज सम्पत्ति

1263. **श्री देवकी नन्दन पटोदिया** : क्या इस्पात खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में सेप्टा, राक फास्फेट, लिग्नाइट, चूने के पत्थर और मेग्नेसाइट के पर्याप्त भाण्डारों का पता लगा है ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार से उक्त खनिज भण्डारों की खुदाई के निमित्त अतिरिक्त सहायता के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ग) क्या खनिज सम्पत्ति के पूर्व उपयोग के लिये उक्त राज्य में खनिजों को साफ करने सम्बन्धी कारखाना स्थापित करने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान में एक फास्फेट, लिग्नाइट और चूना पत्थर के भंडारों का पता लगा है परन्तु इनको एपेटाइट और मैग्नेसाइट के ऐसे भंडारों का पता नहीं है ।

(ख) कोई विशेष प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई । तथापि राजस्थान सरकार को 1967–68 में खनिज के लिये 38 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई और राजस्थान सरकार की 1968–69 की वार्षिक योजना के लिए 39 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया जा चुका है ।

(ग) मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रमण है राज-

स्थान के जावर क्षेत्र में सीसा-जस्ता के निक्षेपों का सीसा-जस्ता अयस्क के उत्पादन से सीसा और जस्ता धातुओं को बनाने के लिये विकास कर रहा है । उदयपुर के पास धातु बनाने की जस्ता पिघलाने वाली भट्ठी का निर्माण जिसकी 18,000 टन जस्ता धातु बनाने की वार्षिक क्षमता है, समाप्त हो गया था और परीक्षण उत्पादन थोड़े समय पूर्व आरम्भ हुआ था । भट्ठी का औपचारिक रूप के उद्घाटन 16 फरवरी को हुआ था । हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड खेत्री और कोलीहान में तांबे के निक्षेपों का 31,000 टन इलैक्ट्रालिटिक तांबे का (20,000 टन खेत्री से और 10,000 टन कोलिहान से) वार्षिक उत्पादन करने के लिए, विकास कर रहा है । दरीबा में तांबे के निक्षेपों के विकास से 1400 टन वार्षिक इलैक्ट्रालिटिक तांबा उत्पादन करने के लिये एक योजना विचाराधीन है ।

जैसलमेर और उदयपुर में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा रॉक फास्फेट का सर्वेक्षण का कार्य प्रगति कर रहा है ।

निर्यात संवर्द्धन के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता

1264. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम से सहायता मांगी है ;

(ख) क्या वस्तु सर्वेक्षण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस काम के लिये किन-किन वस्तुओं का चयन किया गया है ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) से (ग) सरकार ने किसी वस्तु सर्वेक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम से सहायता नहीं मांगी है । निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्राधिकारियों से औपचारिक अनुरोध किये गये हैं :—

(1) 120 विक्रेता कर्मचारियों को अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की विशिष्ट तकनीकी में प्रशिक्षित किया जाय जिसमें बिक्री संवर्द्धन पर विशेष बल दिया जाय ।

(2) स्वदेशी इल्मेनाइट के प्रयोग द्वारा भारत में टिटेनियम उत्पाद उद्योग की स्थापना की सर्वोत्तम पद्धति तथा शक्यता का पूर्व परियोजना जांच सर्वेक्षण ।

लातीनी अमरीकी देशों को इस्पात का निर्यात

1265. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल में जमशेदपुर में भारतीय धातु संस्थान और लातीनी अमरीकी लोहा तथा इस्पात संस्थान के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था ; और

(ग) क्या इस बैठक ने लातीनी अमरीकी देशों में भारतीय टैक्नोलोजी तथा इस्पात के जाने का मार्ग प्रशस्त किया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चन्ना रैड्डी) : (क) जी हां, इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मेटल्स ने जो (गैर-सरकारी लोगों की एक संस्था है और भारतीय समवाय अधिनियम, 1913 के अधीन रजिस्टर्ड है) 30 जनवरी, 1968 से लेकर 3 फरवरी, 1968 तक जमशेदपुर में विकासशील देशों में इस्पात कारखानों की स्थापना में मितव्ययिता के बारे में एक गोष्ठी का आयोजन किया था। भारत के अतिरिक्त लातीनी अमरीका के लोहा और इस्पात संस्थान के प्रतिनिधियों ने इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मेटल्स के निमन्त्रण पर इस गोष्ठी में भाग लिया था ।

(ख) और (ग) ऐसा पता लगा है कि इस गोष्ठी में पारस्परिक हितों के तकनीकी आर्थिक मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। लेकिन चूंकि गोष्ठी की कार्यवही का विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है, गोष्ठी में दिए गये सुझावों के बारे में सरकार को अभी पता नहीं है ।

निर्यात संवर्द्धन के लिये प्रोत्साहन

1266. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि निर्यात संवर्धन के लिये दिये गये वर्तमान प्रोत्साहन निर्यात की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं ;

(ख) क्या व्यापार बोर्ड ने कुछ वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार से किन्हीं उपायों की सिफारिश की है ;

(ग) यदि हां, तो बोर्ड की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) सरकार को इस आशय की कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं मिली है कि निर्यात के लिए दिये जा रहे वर्तमान प्रोत्साहन निर्यात की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए पर्याप्त नहीं है, चाहे किसी-किसी निर्यात उत्पाद के सम्बन्ध में सहायता के स्तर में परिवर्तन करने के बारे में कुछ अभ्यावेदन समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं।

(ख) तथा (ग) व्यापार बोर्ड ने अभी हाल में हुई बैठक में निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ उपायों का सुझाव रखा, जैसे निर्यात शुल्क में कमी, कर-साख प्रमाण-पत्रों का दिया जाना, आयात तथा निर्यात को सम्बद्ध करना, सस्ते निर्यात ऋण, सरकार द्वारा माल खरीदते समय निर्यातकों को तरजीह देना, और निर्यात में नौवहन अवसरों तथा चुंगी की वापसी से संबन्धित कठिनाइयों को दूर करना ।

(घ) कुछ उत्पाद पर निर्यात शुल्कों में कमी की अभी हाल में घोषणा की गई है। अन्य सुझावों पर सरकार निरन्तर विचार करती रहती है और जब भी आवश्यकता पड़ती है, उचित कार्यवाही की जाती है।

चाय और काफी का निर्यात

1267. श्री सीताराम केसरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा यूरोप के देशों को निर्यात की जाने वाली चाय और काफी की मात्रा में गत तीन वर्षों में कमी हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रीलंका ने चाय के बहुत बड़े व्यापार पर काबू कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उन वस्तुओं पर निर्यात बढ़ाने के लिये, जिनसे बहुत-सी विदेशी मुद्रा अर्जित होती रही है क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) गत तीन वर्षों में यूरोप के देशों को काफी के निर्यात में कोई कमी नहीं हुई है। चाय के मामले में हालांकि 1965 की अपेक्षा 1966 में कम निर्यात हुए किन्तु 1967 में उल्लेखनीय सुधार हुआ और निर्यात 1965 के स्तर से भी बढ़ गये।

(ख) जहां तक सरकार को जानकारी है ऐसा नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात की आवश्यकता

1268. श्री सीताराम केसरी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश को कुल कितने इस्पात की आवश्यकता होगी ;

(ख) क्या वर्तमान इस्पात संयंत्र उस समय की इस्पात की माँग को पूरी तरह पूरा कर सकेंगे ;

(ग) यदि नहीं, तो लक्ष्यों को पूरा-पूरा करने के लिये नये इस्पात संयंत्र शुरू करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) क्या राज्य सरकारों को छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चन्ना रैड्डी): (क), (ख), (ग) और (घ) सम्भवतः माननीय सदस्य 1975-76 तक देश की इस्पात की आवश्यकता के बारे में पूछना चाहते हैं। सरकार ने व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् से लोहे और इस्पात की वर्गवार मांग का पता लगाने के लिए कहा है। अन्य बातों के साथ-साथ इस रिपोर्ट में 1975–76 तक देश की इस्पात की आवश्यकता भी दिखाई जायेगी। प्रत्याशित मांग और एक अवधि तक

साधनों की उपलब्धता को देखते हुये नये इस्पात कारखाने लगाने और/अथवा वर्तमान इस्पात कारखानों का विस्तार करने की आवश्यकता का पुनर्विलोकन किया जाएगा । इस समय राज्य सरकारों को छोटे इस्पात कारखाने लगाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हसन-मगंलौर रेलवे लाइन

1269. **श्री सीताराम केसरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुन्दुरेमुरवा में भारी मात्रा में पाये जाने वाले लौह अयस्क के भंडारों को निर्यात के लिये मंगलौर बन्दरगाह में भेजना पड़ेगा, सरकार का विचार हसन–मंगलौर रेलवे लाइन को पूर्व-निश्चित योजना से पहले पूरा करने का है ।

(ख) यदि हां, तो इस लाइन के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या इस बात को देखते हुए कि इस लाइन से बहुत प्रकार की वस्तुयें भेजी जायेंगी इसे बड़ी लाइन बनाने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) हसन-मंगलौर रेल सम्पर्क के निर्माण का काम मंगलूर पत्तन परियोजना के साथ-साथ पूरा किया जायेगा ;

(ग) जी नहीं । लेकिन इस लाइन पर पुलों के निचले ढांचे और सुरंगों के प्रोफाइल बड़ी लाइन के उपयुक्त बनाये जा रहे हैं ताकि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़े, तो उन्हें बड़ी लाइन में बदलने में सुविधा हो ।

बम्बई के एक चलचित्र अभिनेता को स्टेनलेस स्टील का आयात करने का लाइसेंस दिया जाना

1270. **श्री चार्ज फरनेन्डीज** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 24 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1895 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 मीट्रिक टन स्टेनलेस स्टील के आयात के लिये बम्बई के एक चलचित्र अभिनेता को लाइसेंस दिये जाने के बारे में जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस कब दिया गया था और उसके क्या कारण थे ;

(ग) इस चलचित्र अभिनेता ने कितने मूल्य के इस्पात का आयात किया ; और

(घ) इस इस्पात का निपटारा किस प्रकार किया गया ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चन्ना रेड्डी) :

(क) से (घ) 24 नवम्बर, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1895 के उत्तर में मैंने कहा था कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसमें समय लग रहा है क्योंकि न तो फिल्म

अभिनेता के नाम का और न ही कथित लाइसेंस देने की अवधि का पता है। लोहा और इस्पात नियन्त्रक से कहा गया है कि वह लगभग पिछले चार सालों की स्टेनलेस स्टील की चादरों के लिए दिए गए कोटे की आंबटन सूचियों की जांच-पड़ताल करे और फिल्म अभिनेता को आयात लाइसेंस देने के बारे में अपनी जांच के बारे में रिपोर्ट दें। उनकी जांच-पड़ताल का परिणाम प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी

1271. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5518 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई की क्षमता 6100 टन 1961 में उनके संयंत्र का समय तथा गति संबंधी अध्ययन करने के बाद निर्धारित की गई थी और उन्हें 1964-65 में मशीनों तथा कच्चे माल का नियतन उसी आधार पर किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो 1964 में उनकी क्षमता के पुनः आंके जाने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या उनकी क्षमता 1961में 61000 टन से 1964 में 14,538 टन उनके संयंत्र में कोई विशेष वृद्धि किये बिना बढ़ाई जा सकती थी ;

(घ) क्या उन्हें अपने संयंत्र में यह वृद्धि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत करने की अनुमति दी गई थी ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उनकी क्षमता 1961 में 6100 टन और 1964 में 14,538 टन निर्धारित करते समय संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके संयंत्र तथा मशीनों के मूल्यांकन के बारे में दिये गए विस्तृत प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) 1958 में इस फर्म को काम चलाने वाले लाइसेंस के अन्तर्गत मंजूर की गई क्षमता अस्थायी थी तथा उसे फिर से तय किया जाना था। सर्व प्रथम 1961 में 6,100 टन प्रतिवर्ष की क्षमता फर्म के संयंत्र तथा मशीनों के कार्य करने के अध्ययन के पश्चात् निश्चित की गई थी। 1964-65 के उत्तरार्ध में कच्चे माल का आवन्टन इस प्रकार आंकी गई क्षमता के अनुसार किया गया था। चूंकि इससे बाकी क्षमता 1961 के निरीक्षण के आधार पर निश्चित की गई थी और तेल के बैरल बनाने के एककों का निरीक्षण बाद में दिसम्बर, 1963 तथा फरवरी, 1964 के बीच किया गया था। इसके अनुसार इस एकक का 1964 में पुनः निरीक्षण करने का निर्णय किया गया था।

(ग) और (घ) 1964 में किये गए दूसरे निरीक्षण से पता चला की इस एकक की वास्तविक क्षमता 14,538 मी० टन प्रति वर्ष थी। इस प्रकार आंकी गई क्षमता कारखाने

की वास्तविक निर्माण क्षमता थी जो सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रख कर की गई थी--जैसे कारखाने की स्थिति, प्रबन्ध व्यवस्था, सुधार आधुनिकरण, और संयंत्र तथा मशीनरी में की गई वृद्धि आदि--जिनका लाभ उन सभी एककों को दिया गया था जिनका निरीक्षण पिछली अवधि में किया गया था ।

(ङ) जी, नहीं ।

हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

1272. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5496 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1959 में मैसर्स हिन्द गेलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के कारखाने का निरीक्षण विकास कक्ष के एक पदाधिकारी द्वारा किया गया था और यह सूचित किया गया था कि उनकी क्षमता केवल 5/10 गैलन क्षमता के छोटे ड्रमों के निर्माण की है और उनका 60/90 गैलन क्षमता वाला हैवी ड्यूटी बैरल निर्माण का प्लान्ट पूरा नहीं हुआ था;

(ख) क्या यह सच है कि देश में ही मशीनों की खरीद करके उन्होंने 40/45 गैलन तेल के ढोलों की क्षमता बनाई और विकसित तरीके के तेल बैरलों का निर्माण आरम्भ किया और बाद में सरकार से अनुमति प्राप्त किये बिना ही फ्रांसिस क्लिन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता से और मशीनें खरीदीं ;

(ग) क्या यह सच है कि इन बैरलों का निर्माण करने की रिपोर्ट उन्होंने अपने इस्पात तैयार करने के विवरणों को जनवरी, 1962 में ही दे दी थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने इन तेल बैरलों के निर्माण के लिये आवश्यक अनुमति और कच्चा माल सरकार से प्राप्त कर लिया था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) कारखाने का निरीक्षण 1959 में किया गया था और बताया गया है कि कारखने के पास 5/10 गैलन के छोटे ड्रम बनाने के लिए मशीनें हैं । इसके अतिरिक्त उनके पास 45/90 गैलन के भारी ड्रम बनाने के लिए उपयुक्त मशीनें भी थी किन्तु निरीक्षण के समय ये मशीनें काम करती नहीं देखी गई ।

(ख) कारखाने के 1963 में किए गए दूसरे निरीक्षण से यह पता लगा कि विद्यमान मशीनों में कुछ सुधार करने से कारखाने के लिए तेल के बैरल बनाना सम्भव हो सकता था और यह भी देखा गया कि फर्म ने पुराने आयातकर्ता से खरीदकर अपनी मशीनों में पर्याप्त वृद्धि कर ली थी। चूंकि तेल के बैरल निर्माण करने वाले सभी एककों की क्षमता आंकते

समय, स्थापित अतिरिक्त मशीनों को भी ध्यान में रखा गया था और वही इस फर्म की क्षमता आंकते समय भी किया गया था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) 1964 में अनुमति तथा कच्चा माल दिया गया था ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

1275. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कार्य की स्थिति और बिगड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो 1967–68 में कितनी हानि होने की सम्भावना है ;

(ग) इस संयंत्र के कार्य की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) क्या पाण्डेय समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) जी, नहीं । पिछले छः महीनों का कुल उत्पादन पहले की इस अवधि के समान रहा है ।

(ख) अप्रैल-दिसम्बर 1967 की अवधि में, जिसके आंकड़े उपलब्ध है, कारखाने को लगभग 126.4 मिलियन रुपये की हानि हुई है ।

(ग) और (घ) कारखाना के संचालन में सुधार करने के लिए पाण्डेय समिति की सिफारिशों के अनुसार उपाय किये जा रहे हैं । बाह्य स्थिति में सुधार होने से अनुशासनिक नियंत्रण को कड़ा किया जा रहा है ताकि उत्पादन की सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके ।

औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

1276. **श्री श्रीधरन :** **श्री क० लकप्पा :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 के दौरान कितने नये औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये ;

(ख) जिन प्रार्थियों को लाइसेंस दिये गये हैं उनके नाम क्या हैं ;

(ग) नये लाइसेंसों के लिये अस्वीकार किये गये आवेदनों की संख्या कितनी है ; और

(घ) जिन प्रार्थियों के आवेदन अस्वीकार किये गये हैं, उनके नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर दिये गये लाइसेंसों का विवरण "बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज

ऐण्ड एक्स्पोर्ट लाइसेंसेज" तथा "इण्डियन ट्रेड जर्नल" में, जो दोनों ही साप्ताहिक हैं, तथा "जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड-ट्रेड" नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित होता है । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) 235.

(घ) एक विवरण (अंग्रेजी उत्तर के साथ) नत्थी है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 157/68]

सदर्न एक्सप्रेस रेलगाड़ी के नाम में परिवर्तन

1277. **श्री विश्वनाथन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सदर्न एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम बदल कर दक्षिण एक्सप्रेस किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न रेलों द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये अनेक प्रेस नोटों से उत्पन्न हुई अव्यवस्था का पता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) 1.1.1968 से पुरानी 15/16 जी० टी० एक्सप्रेस डीजल इंजन से चलायी जा रही है और इस गाड़ी के अधिकतर डिब्बों का मार्ग बदलकर उन्हें हैदराबाद तक ले जाया जा रहा है । इस कारण इस गाड़ी के स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ, उसके अनुरूप ही इसका नाम बदलकर "दक्षिण एक्सप्रेस" रखा गया । इसी तरीख से पुरानी 21/22 सदर्न एक्सप्रेस का नाम भी बदलकर 'ग्रेंड ट्रंक एक्सप्रेस" कर दिया गया ।

(ख) और (ग) सरकार को इस तरह की भ्रांति की जानकारी नहीं है ।

व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन

1278. **श्री विश्वनाथन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं और उनका चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरैशी) :

(क) जी, हां ।

(ख) पुनर्गठित व्यापार बोर्ड के सदस्यों की एक सूची संलग्न है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 158/68]

चुने गये सदस्य वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा श्रमिक संगठनों, सरकारी क्षेत्र के उप-

फर्मों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी विभागों के प्रतिनिधि तथा प्रमुख अर्थशास्त्री, उद्योगपति और निर्यातक, जिनका सहयोग बोर्ड के लिये उपयोगी समझा गया है, हैं।

Expenditure on UNCTAD

1297. **Shri S. C. Samanta** **Shri Valmiki Chaudhary**) :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the proportionate expenditure borne by the Government of India, the United Nations Orgaisations and other countries, respectively, in conection with the preparations for UNCTAD Conference, reception of its delegates and other allied items ;

(b) the expenditure incurred by the Delhi Administration on decorating the city, repairs to roads, etc. and constructing new structures in this connection ; and

(c) the details of expenditure incurred on the shows etc. arranged for the entertainment of the delegates of the Conference and taking them round the places of cultural interest and other important places ?

The Minister of Commerce (**Shri Dinesh Singh**) : (a) to (c) Information will be available only after the conclusion of the Conference.

प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें

1280. **श्री बे० कु० दास चौधरी :** **श्री जुगल मंडल :**

क्या वाणिज्य मंत्री 24 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 268 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशुल्क आयोग की कार्य-प्रणाली संबंधी सिफारिशों को इस बीच स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) तथा (ख) सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

विदेशी सहयोग सम्बन्धी करार

1281. **श्री ब० कु० दास चौधरी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में कोई ऐसे मामले हुए है, जिनमें भारतीय पक्षों द्वारा विदेशी सहयोग करारों का उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ऐसी भारतीय फर्मों के नाम काली-सूची में रखे गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) विदेशी सहयोग के ऐसे करारों के बारे में, जो तय तो हो गये थे किन्तु

पार्टियों के कारण वास्तव में फलीभूत नहीं हुए, जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

केन्या में कागज बनाने का कारखाना

1282. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्या में कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स की परियोजना को मन्जूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में कितनी भारतीय पूंजी लगाये जाने की सम्भावना है तथा इस पूंजी में कितनी साम्य पूंजी होगी तथा कितनी मशीनों में लगेगी ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) तथा (ख) बिड़ला ब्रदर्स द्वारा केन्या सरकार के सहयोग से केन्या में लुग्दी तथा कागज बनाने के एक कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। परियोजना की वित्तीय रूपरेखा को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

ओलावाकोट के कर्मचारियों का ज्ञापन-पत्र

1283. श्री नायनार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ओलावाकोट (केरल राज्य) से ई० एल० आर० नामक कर्मचारियों से कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हाँ ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

Government-owned Companies in Delhi

1284. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number and names of fully or partly Government-owned Companies running in Delhi at present ;

(b) the amount of foreign exchange earned by these Companies ; and

(c) the amount of foreign exchange allotted to them during the last three years ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakrhuddin Ali Ahmed) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Decentralisation on North Eastern Railway

1285. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce decentralisation (Divisional system) on the North Eastern Railway ;

(b) if so, details thereof ?

(c) whether it a fact that the emloyees and the poeple of Varanasi have submitted a number of applications for setting up a Divisional Office there ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) The question of introduction of Divisional System on the North Eastern Railway is under consideration.

(b) The details have not yet been finalised.

(c) Representations have been received from a Branch Union of the employees through some Members of Parliament.

(d) The representations will be accorded due consideration in arriving at the final decision.

Construction of Sonai Station (N.E. Railway)

1286. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some representations for the construction of Sonai station on the Mathura-Hathras Metre Guage line on the Eastern Railway were submitted to his Ministry in 1967 ;

(b) whether it is also a fact that the Tobacco Dealer's Association of that area has put forth its demand that arrangements for the booking of goods should also be made ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) A representation from the residents of Sonai village has been received, inter alia, for the conversion of Sonai station, which is a flag station situated on the Mathura-Hathras section of the North Eastern Railway, into a crossing station.

(b) Yes.

(c) The proposal for the conversion of Sonai into a crorssig station has not been found feasible form the Operating point of view as the crossing station at Sonai will be less than 5 kilometres form the adjoining block station at Mursan and more than 10 kilometres from the other adjoining station Raya. The provision of a crossing station at a more suitale site which will be quidistant from Raya and Mursan is under consideration.

The proposal for provision of arrangements for booking of goods at Sonai has not been found feasible for want of traffic justification.

Supply of Raw Material to Industrial Units

1287. **Shri Nihal Singh** : Will the **Minister of Industrial Development and**

Company Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question no. 262 on the 24th November, 1967 and state :

(a) the names and locations of the industrial houses aganist whom complaints were received for not supplyingraw material of pure quality in time ;

(b) the details of the complaints received against these industrial houses ; and

(c) the action taken by Government against them ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A Ahmed) :

(a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Manufacture of Leather Tanning Material

1288. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1856 on the 24th November, 1967 and state :

(a) the number of firms which applied for the manufacture of material forl eather tanning;

(b) the name of the firm which was granted the licence ; and

(c) the financial assistance given by Government to this firm ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) Six firms had applied for the manufacture of material for leather tanning—one for Blended Tanning Extracts and five for synthetic tanning materials.

(b) the following firms were given licences under the I. (D and R) Act, 1951.

1. M/s. Tan India Wattle Extract Co. Ltd., Madras.
2. M/s. BASF (India) Ltd., Bombay.
3. M/s. Allied Resins and Chemicals P. Ltd., Calcutta.
4. M/s. Indofil Chemicals Ltd., Bombay.

(c) M/s. Tan India Wattle Extract Co. Ltd. were granted a loan of Rs. 13.2 lakhs for import of the Capital Equipment by I. C. I. C. I. Other firms did not seek financial assistance from the Government.

भारत–रूस औद्योगिक उपक्रम

1289. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी अधिकारियों की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत-रूस औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के प्रश्न पर उनके साथ विचार-विमर्श किया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) भारत-रूस औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी । बातचीत रूसी सहायता से स्थापित परियोजनाओं की उत्पादिता बढ़ाने तथा स्थापित क्षमता

का और अधिक प्रयोग करने तथा इन परियोजनाओं को रूसी उद्योगों से जोड़ने की सम्भावनाओं के बारे में हुई थी। रूसी विशेषज्ञों के दो दल हाल ही में भारत आये हैं जिसमें से एक हरिद्वार स्थित भारी विद्युत संयंत्र की समस्याओं का अध्ययन करेगा और दूसरा राँची स्थित भारी मशीन निर्माण संयंत्र तथा दुर्गापुर के कोयला खनन मशीनरी संयंत्र की समस्याओं का अध्ययन करेगा।

टायर कार्ड बाजार

1290. **श्री मणिभाई जे० पटेल:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व टायर कार्ड बाजार में इस समय काफी माल जमा हो गया है और उसका काफी हिस्सा बहुत दिनों से भारत में पड़ा है जिसकी निकासी नहीं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकार को विश्व टायर कार्ड बाजार में माल के जमाव के बारे में कुछ मालूम नहीं है, यद्यपि टायर कार्ड निर्माण करने की कुछ देशी क्षमता कुछ समय से बेकार पड़ी होने की सूचना मिली है।

(ख) मोटर गाड़ियों आदि की क्षमता और फलतः टायर का उत्पादन आशा से कम होने के कारण टायर कार्ड की माँग पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किये गये हैं :—

1. टायर निर्माण करने के अतिरिक्त क्षमता के लिए लायसेंस दिये जा रहे हैं.
2. नायलोन टायर कार्ड (जो रेयन टायर कार्ड के साथ कुछ सीमा तक परस्पर-परिवर्तनीय हो सकता है) को लायसेंस देना प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इसी प्रकार नायलोन टायर कार्ड के आयात को भी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित कर दिया गया है।
3. रेयन टायर कार्ड की निर्यात करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
4. रेयन टायर कार्ड को फ्लेक्स होज़ नलों, निर्यात किये जाने वाले माल की पैकिंग के लिये फीतों, जालीदार थैलों जैसी वस्तुओं के निर्माण में उपयोग करके उसके प्रयोग में विविधता लाने की सम्भावनाओं तथा सम्भाव्यताओं का पता लगाया जा रहा है।

National Coal Development Corporation

1291. **Shri Bhogendra Jha**: Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3677-G on the 8th December, 1967 and state :

(a) whether it is a fact that the Mines Department have issued orders to all other Departments and particularly to all the Industries in the public sector for giving first priority to the National Coal Development Corporation in purchasing coal ; and

(b) if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बिहार में भारतीय अभ्रक कम्पनियां

1292. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 719 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन माइका सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, लखीमपुर (बिहार) तथा कुछ अन्य अभ्रक कम्पनियों के पट्टे समाप्त किये जाने के बारे में बिहार सरकार से इस बीच कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने अपने आदेशों का पालन कराने के लिए क्या कार्यवाही की है और अपने आदेशों का पालन न करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चन्ना रैड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) राज्य सरकार ने कहा है कि रोधनादेश को कार्यान्वित करने के प्रश्न की, राज्य सरकार के विधि विशेषज्ञों के परामर्श से, परीक्षा की जा चुकी है । उन्होंने प्रज्ञापित किया है कि केन्द्रीय सरकार के रोधनादेश का और यथापूर्व व्यवस्था रखने का अर्थ पूर्वास्थिति रखना नहीं है बल्कि केवल उस तिथि को जबकि रोधनादेश राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया था यथापूर्व व्यवस्था रखना है । जिस दिन भारत सरकार का रोधनादेश प्राप्त हुआ था, पट्टे रद्द ही नहीं कर दिये गये थे बल्कि अभ्रक खनिकों के लाइसेन्सों में से हटा भी दिए गए थे । इस स्थिति के कारण रोधनादेश को प्रभावी बनाना असम्भव हो गया था ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

बिड़ला सार्थ समूह

1293. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या औद्योगिक विकासतथा समवाय-कार्य मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4440 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिड़ला बन्धुओं की फर्मों और सार्थों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

सरकार ने बिड़ला वर्ग की अथवा उनके स्वामित्व की फर्मों और कम्पनियों की कोई भी सूची औपचारिक रूप से प्रकाशित नहीं की है। फिर भी, जैसा कि 15 दिसम्बर, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4440 के उत्तर में बताया जा चुका है, एकाधिकार जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुछ फर्मों/कम्पनियों को बिड़ला ग्रूप की बताया गया है । डा० आर० के० हजारी ने "दि स्ट्रक्चर आफ दि कारपोरेट प्राइवेट सेक्टर–ए स्टडी आफ कन्सेंट्रेशन, ओनरशिप

एण्ड कंट्रोल" नामक अपनी रिपोर्ट, में जो उन्होंने योजना आयोग को प्रस्तुत की है, उन फर्मों तथा कम्पनियों की सूची दी है जिन्हें बिड़ला फर्मों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है ।

निलम्बित रेलवे कर्मचारियों की बहाली

1294. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेलवे मंत्री चिकित्सीय अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे अस्पताल, समस्तीपुर के कार्यालय में कुछ कर्मचारियों के निलम्बन के बारे में 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4533 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय मामला किस स्थिति में है ?

रेल मंत्री (श्री सो० एम० पुनाचा) :

अनुशासन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है ।

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड

1295. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5494 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड को अपने कब्जे में लेने का निर्णय इस बीच कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समय यह मामला किस अवस्था में है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे में प्रथम श्रेणी के ठेकेदार

1296. **श्री क० लकप्पा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में प्रथम श्रेणी के कितने ठेकेदार काम कर रहे हैं ;

(ख) भारत में रेलवे में ठेके देने से पहले सरकार ठेकेदारों के लिए क्या अपेक्षित शर्तें तथा मार्गदर्शी हिदायतें देती है ; और

(ग) ठेकेदारों द्वारा गलती करने पर सरकार ने कितने मामलों में उनके नाम काली-सूची में दर्ज किए हैं , और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क), (ख) और (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Memorandum to Divisional Superintendent, Danapur Division

1297. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a few months back passengers residing in area adjoining Patna-Gaya Railway line of the Eastern Railway, sent an application to the Divisional Superintendent Danapur Division requesting for the removal of certain grievances of the passengers travelling on this route; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to remove them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) No such representation appears to have been received by the Divisional Suprintendent, Danapur, Eastern Railway.

(b) Does not arise.

Causal labourers on N. E. and Eastern Railways

+1298. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) the number of casual labourers who have fulfilled the coditition of one year's continuous service i.e. attendance of 200 days in a caldendar year on the North Eastern and Eastern Railways, separately, as required under section 25-B of the Industrial Labour Disputes Act ;

(b) the jobs entrusted to such causal labourers ;

(c) the basis on which the causal labourers are broughton regular establishment and the amount of wages paid to them and mode of its payment ; and

(d) the steps Government propose to take for curbing corruption and bribery prevailing on the Railways on account of this system ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Grade I and Grade II Clerks in Railway Accounts Department

1299. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there are Grade I and Grade II Clerks in the Accounts Department of the Railways ;

(b) whether it is a fact that Grade II Clerks are promoted to Grade I only after they have passed Appendix II Examination ;

(c) whether the nature of duties in both the Grades are indentical ;

(d) if so, the justification for the difference between the pay scales for the two grades of clerks;

(e) whether Government propose to remove the difference between the two pay scales ;

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Yes.

(b) No. 25 percent of vacancies of Clerks Grade I are filled by promotion of Clerks Grade II who have not passed Appendix II Examination, on the basis of seniority-cum-suitability.

(c) No.

(d), (e) and (f) Do not arise.

Hindustan Steel Limited

1300. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the management of the Hindustan Steel Limited have decided to retrench about 1,234 technical employees of the Works Department soon ;

(b) whether it is also a fact that the Hindustan Steel Limited have refused to agree to the

request made to them by the Labour Minister of Orissa for not retrenching the employees concerned on the plea that the jobs on which they were engaged were temporary ;

(c) whether it is further a fact that the Rourkela Labour Conference, while protesting against the proposed retrenchment of the said employees, have declared it dangerous for the law and order ;

(d) if so, whether Government propose to provide some alternative jobs to these employees ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister for State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P.C. Sethi):

(a) , (d) and (e) There is not proposal to retrench technical employees of the Work' Department but, with the coming to a close of the construction/expansion work of the Rourkela Steel Plant, employees in the Construction Department of the Plant will be rendered surplus in near future. Efforts are beig made to absorb as many of them as possible in the regular establishment of the Company and to find alternative employment for them in other Public Sector Undertakings and through State Government agencies.

(b) and (c) Hindustan Steel Limited have not received any such specific request from the Laour Minister of Orissa nor is Government aware of any protest in the matter by Rourkela Labour Conference.

रलवे बुकिंग एजेन्टों को मान्यता

1301. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेलों में रेलवे बुकिंग एजेन्ट के रूप में मान्यता देने के लिए कोई नियम बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि यात्रा एजेन्टों द्वारा इनमें से कुछ नियमों का विरोध किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यात्रा एजेन्ट, परिवहन और नागरिक विमानन मन्त्रालय के पर्यटन-विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं । यदि इस तरह की मान्यता प्राप्त करने के बाद कोई यात्रा एजेन्ट रेलवे टिकटों की बिक्री के लिए आवेदन-पत्र भेजता है, तो फर्म की वित्तीय स्थिति और उसके साधनों की पर्याप्तता तथा इस प्रकार की एजेन्सियों के लिए रेलवे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उस पर विचार किया जाता है । यदि प्रार्थी को एजेन्ट नियुक्त किया जाता है, तो वह रेलवे के साथ करार-निष्पादित करता है ।

(ख) और (ग) जो शर्तें यात्रा एजेन्टों की नियुक्ति से सम्बद्ध हैं और जिन्हें उन्होंने मान लिया है, यात्रा एजेन्टों द्वारा उनमें से किसी शर्त का विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

वे समय-समय पर कुछ शर्तों को उदार बनाने के लिए अभ्यावेदन अवश्य देते रहते हैं और ऐसे अभ्यावेदनों पर बहुत सावधानी से विचार किया जाता है ।

पशुओं की हड्डी के चूरे का निर्यात

1302. **श्री द० रा० परमार :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों को पशुओं की हड्डी के चूरे का निर्यात किया जाता है ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक देश को ऐसे चूरे का कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ; और

(ग) किस राज्य ने सबसे अधिक मात्रा में इसका निर्यात किया ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) तथा (ख) संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में पशुओं की हड्डी के चूरे को अलग से वर्गीकृत नहीं किया जाता । फिर भी 1964–65, 1965–66, 1966–67 तथा अप्रैल-अक्तूबर, 1967 की अवधि में हड्डी के चूरे तथा हड्डी की बजरी का प्रत्येक देश को हुआ निर्यात दिखलाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 159/68]

(ग) निर्यात आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते ।

दिल्ली और अहमदाबाद के बीच रेलगाड़ियों के चलने के समय में कटौती

1303. **श्री द० रा परमार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से अहमदाबाद तक चलने वाली रेलगाड़ियों के इस दूरी को तय करने में लगने वाले वर्तमान समय को छः से आठ घन्टे तक कम करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या एक तेज गाड़ी चलाकर या वर्तमान एक्सप्रेस तथा डाक-गाड़ियों की वर्तमान गति बढ़ा कर यह समय कम किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

खड़गपुर तथा खुरदा रोड स्टेशनों के बीच यात्री सुविधायें

1304. **श्री स० कुन्दू :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने गत वित्तीय वर्ष में दक्षिण-पूर्व रेलवे पर खड़गपुर और खुरदा रोड रेलवे स्टेशनों के बीच यात्री-सुविधाओं में सुधार करने के लिए कोई योजना आरम्भ की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या आने वाले वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए कोई व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौर क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हां ।

(ख) 1966–67 में यात्री-सुविधा के जो विभिन्न काम किये गये हैं उसका ब्यौरा संलग्न

विवरण "क" में दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 160/68]

(ग) जी हां । 1967–68 और 1968–69 में यात्री सुविधा के विभिन्न प्रस्तावित कामों का ब्यौरा विवरण "ख" में दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 160/68]

रुपये में भुगतान का करार

1305. **श्री सव कुन्दू :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1967 में किये गये विदेशी व्यापार की रुपयों में राशि कितनी है और अवमूल्यन से पहले के मूल्यों के आधार पर इस व्यापार के अंकित आंकड़े वर्ष 1964, 1965 और 1966 के तुलनात्मक आंकड़ों से कितने कम या अधिक हैं;

(ख) क्या पहले के तीन वर्षों की तुलना में 1967 में विदेशी व्यापार में कमी हुई है ;

(ग) यदि हाँ, तो किन-किन वस्तुओं के व्यापार में कमी हुई है और उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) भारत द्वारा पूर्व यूरोपीय देशों के साथ, जिनके साथ रुपया भुगतान करार है वर्ष 1967 में और 1964, 1965 तथा 1966 में किये गये अवमूल्यन के पूर्व के रुपये के हिसाब से विदेशी व्यापार की राशि संलग्न विवरण में दी जाती है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 161/68]

(ख) इस विवरण से यह देखा जा सकता है कि रुपया भुगतान वाले देशों के साथ हमारे विदेशी व्यापार में कुछ गिरावट आई है । यह गिरावट इसलिये आई कि हमारे आयात कम हुए हैं परन्तु हमारे निर्यात के आंकड़ों में कोई कमी नहीं हुई है ।

(ग) जिन मदों के आयात में गिरावट आई उनमें प्रमुखतः मशीनें, परिवहन उपकरण और पैट्रोलियम उत्पादन शामिल हैं । आयातों के घटने का कारण भारत में बढ़ती हुई औद्योगिक आत्म-निर्भरता है जो उन परियोजनाओं से प्राप्त हुई है जो पूर्व योरोपीय देशों के, प्रमुखतः सोवियत रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित की गयी हैं ।

(घ) रुपया भुगतान वाले देशों के साथ भारत के व्यापार का सरकार द्वारा सतत् पर्यवेक्षण किया जाता है और जो उपाय किये गये उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

1. पूर्व यूरोपीय देशों में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भारत अधिकाधिक भाग लेता है ।
2. मास्को में स्थायी प्रदर्शन कक्ष खोला गया है और अन्य देशों की राजधानियों में ऐसे ही प्रदर्शन कक्ष खोलने का विचार है ।

3. व्यवसायी, तकनीकी विक्रेता और निर्यात सम्बर्द्धन परिषदों के प्रतिनिधि-मण्डल को विक्रय के उद्देश्य से इन देशों के बार-बार दौरे करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है ।

4. इन देशों में वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व को सबल बनाया गया है और अब उनमें सरकारी क्षेत्र के व्यापारिक संगठनों के अधिकारी भी शामिल हैं ।

5. औद्योगिक सहयोग के सम्वर्धन के लिये कुछ देशों में संयुक्त आयोगों की स्थापना की गयी है और त्रिपक्षीय औद्योगिक सहयोग योजनाएं आरम्भ की गयी हैं।

6. उच्च स्तर पर की गयी वार्त्ताओं ने विशेषज्ञ दलों के आदान-प्रदान की विशेषतः भारत और सोवियत रूस के मध्य, संभावनाओं को पैदा किया है ।

Discontinuance of Train Service on Narrow Guage Lines

1306. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it a fact that Goverment have decided to discontinue train services on certain narrow-gauge lines ;

(b) if so, the reasons therefor and the extent of loss sufferred annually on the said lines;

(c) the lines among the narrow gauge lines on which double fare is being charged at present;

(d) whether train services on any such railway line have been discontinued in Rajasthan; and

(e) the names of States which have registered their protests in this regard ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) No such decision has yet been taken. Certain railway lines have been running at a loss or yielding a very poor return. Examination of the working of these lines is in progress with a view to determining which of them may be closed down without detriment to public interest.

(b) In view of the answer to (a) , this does not arise.

(c) Double fare is not being charged on any narrow-gauge lines on the Indian Railways. However, on Neral-Matheran section of the Central Railway and on Kalka-Simla section of the Northern Railway, passenger fares are charged at three times the actual distance. On Pathankot Jogindernagar section of the Northern Railway, passenger fares are charged at $1\frac{1}{2}$ times the actual distance.On Darjeeling-Himalyan section of the N. F. Railway, a special higher basis of fares is in force. All these lines are however, hill sections.

(d) No, Sir.

(e) So far as narrow gauge lines are concerned, we have so far had a reply only from Maharashtra.The State Government have, in effect, agreed to the Neral Matheran line being closed but have requested that the Central Government bear a substantial part of the expenses of building a road from Badlapur to Neral, to conect Bombay to Neral by road and of widening the embankment of this railway line so as to accommodate a 24' wide road between Neral and Matheran.

Diesel Engines

1307. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it s a fact that diesel locomotives are bing manufactured in India ;

(b) if so, when self-sufficiency in this regard is likely to be achieved ; and

(c) the percentage of foreign components being used at present ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b)The production of Broad Guage Diesel Locomotives has been established and the production capacity is gradually being increased. The production of Metre Guage and Narrow Gauge Diesel Locomotives is also being developed.It is expected that by the end of the 4th Plan (1970-71) it would be possible to meet the requirement of Diesel Locomotives for Indian Railways by production in India.

(c) Approximately 24 per cent.

Railway Guards

1308. **Shri Onkar Lal Berwa. Shri Sarjoo Pandey :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 40 members of the railway saff, including the railway Guards, presented a charter of demands to him on the 24th December, 1967 ;

(b) if so, the nature of the demands made ; and

(c) the demands accepted by Government so far ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a), (b) and(c). A large number of representations from staff are received daily. In the absence of particulars regarding categories of staff and their grievances it is not possible to connect the representation in question.

Factories in Rajasthan

1309. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it a fact that some firms of Calcutta propose to set up factories in Rajasthan ;

(b) if so, the number of applications received so far ; and

(c) the decision taken by Government thereon ?

The Minister of Industrial Deveolpment and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a), (b) and(c) : Details of applications received under the Industries (Development and Regulation) Act, from Calcutta firms for starting industries in Rajasthan during 1965 to 1967 are given below :

Year	No. of applicatins	Remarks
1965	6	Licence granted -1 Licence rejected-3 Delicensed item-2
1966	1	Rejcted
1967	Nil	Nil

Railway Officers working in Higher Posts in The Ajmer Division

1310. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 5446 on the 22nd December, 1967 and state :

(a) the number of officers who have been working on higher posts for more than three years in the Amjer Division of the Western Railway ;

(b) whether it is a fact that the existing rules do not permit an officer to remain at a particular place for more than three years ; and

(c) if so, the reasons for continuing these officers there ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Five

(b) No.

(c) Does not arise.

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

1311. **श्री लषण लाल कपूर :** **श्री राम चरण :**

क्या औद्योगिक विकास क्या समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने सीमेंट बेचने सम्बन्धी अपनी नीति का पुनरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सीमेंट विक्रेता एजेंटों को लाइसेंस देने के क्या तरीके हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

1312. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या सरकार को इसके बारे में किसी सरकारी निकाय से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो विद्युतीकरण योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) एरणाकुलम-तिरुवनंतपुरम खण्ड के विद्युतीकरण की व्यावहारिकता का प्रश्न नवम्बर, 1966 में नयी दिल्ली में अनौपचारिक संसदीय परामर्श समिति की बैठक में उठाया गया था । प्रारम्भिक जांच से मालूम हुआ है कि इस खंड पर जितना आयात होता है, उसके लिए विद्युतीकरण पर होने वाले अपेक्षाकृत अधिक पूंजी परिव्यय का औचित्य नहीं है । इसलिए वित्तीय दृष्टि से विद्युतीकरण की योजना अत्यधिक अलाभप्रद होगी ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, कालमेसरी

1313. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, कालमेसरी (केरल) के कर्मचारियों ने दो महीने पहले हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन की मांगे क्या थीं ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) केरल के कलामासेरी स्थित हिन्दुतान मशीन टूल्स कारखाने के मजदूरों ने 9 सितम्बर, 1967 को अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी। यह हड़ताल लाभ में हिस्से और बोनस का तत्काल भुगतान तथा अन्तिरिम सहायता और विशेष अग्रिम का भुगतान किये जाने के मामले को लेकर की गई थी, सुलह के लिए हुई लम्बी चौड़ी बैठकों तथा अन्तोगत्वा, केरल सरकार के श्रम मंत्री द्वारा बुलाई गई अन्तिम बैठक के पश्चात् कारखाने के व्यवस्थापकों और मजदूरों के बीच एक समझौता हो गया और कारखाना 23 अक्तूबर, 1967 से चालू हो गया। समझौते की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार थीं :

(1) प्रबन्धकों और मजदूरों ने यह सुझाव मान लिया कि 1963-64 से लेकर चार वर्षों का बोनस सम्बन्धी मामला न्याय-निर्णय के लिए एक औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाय। कलामासेरी समेत हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के मजदूरों का लाभ में हिस्सा देने और बोनस का भुगतान करने सम्बन्धी प्रश्न अब न्याय निर्णयन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता को भेज दिया गया है।

(2) मजदूरों को एक मास की मजूरी दी जायगी जो वसूल किये जाने वाले अग्रिम के रूप में होगी और इसका समायोजन न्यायाधिकरण को अन्तिम निर्णय के पश्चात् किया जा सकेगा।

(3) हकदार कर्मचारियों को मकान-भत्ता दिया जायगा जिन्होंने 1 अप्रेल, 1966 के पश्चात् कम्पनी में काम करना शुरू किया था।

(4) व्यवस्थापकों ने मजदूरों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई-भत्ता देना मंजूर कर लिया है।

(5) व्यवस्थापकों ने सभी हकदार व्यक्तियों को तत्काल ही पहली पदोन्नति देना स्वीकार कर लिया है।

(6) कर्मचारियों को 1967 के अन्त तक वर्दी तथा मार्च, 1968 के अन्त तक जूते दिये जायेंगे।

कम्पनी समझौते की शर्तों को अमल में लाने के लिए कार्यवाही कर रही है।

कोचीन में चाय बोर्ड के कर्मचारी

1314. श्री विश्वनाथ मेनन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन में चाय बोर्ड के कर्मचारियों को गणतन्त्र-दिवस के बारे में त्यौहार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों ने उसके लिये आवेदन किया था;

(ग) उन्हें अग्रिम राशि न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन कर्मचारियों के त्यौहार की अग्रिम राशि पिछले काफी वर्षों से नहीं मिल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले में कोई जांच कराने का विचार है, और इस भूल के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) तथा (घ) जी, नहीं।

(ख), (ग) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

Extension to Class I Officers

1315. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Class I Officers in his Ministry who would retire in 1968 after completing 58 years of age ;

(b) whether it is proposel to grant extension to any class I officer on completion of 58 years of age; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Commpany Affairs (Shri F.A. Ahmed) :

(a) Nine.

(b) No.

(c) Does not arise.

Cement Corporation of India Ltd.

1316. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of officers of his Ministry who had been taken on deputation in the Cement Corporation of India Ltd., and

(b) whether such officers have also been taken who had been incharge of the cement department and who were involved in the C. A. C. O. scandal ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed):

(a) 2 (Two)

(b) No, Sir.

Common Art and Chart Room in the Commerce Ministry

1317. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme for a Common Art and Chart Room in his Ministry ; and

(b) if so, the number of artists working under that scheme ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) It has been decided to display charts on matters of industrial andcommercial importance on panels provided in the Committee Room at Udyog Bhavan.

(b) Two artists, one from each Ministry, are working part time on the preparation of these charts among their other duties.

भारतीय माल का पुनः निर्यात

1318. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित उपभोक्ता माल का रूस तथा यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों द्वारा पश्चिमी जर्मनी को पुनः निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन पुनः निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का वास्तविक मूल्य उसी तरह की उन वस्तुओं से कम होता है जो नियमित निर्यात व्यापार से पश्चिमी जर्मनी पहुंचती हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) भारत में निर्मित उपभोक्ता माल का सोवियत रूस से पश्चिमी जर्मनी को पुनः निर्यात दिये जाने की कोई सूचना नहीं है। जहां तक यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों का सम्बन्ध है ऐसी सूचनाएं पिछले दिनों सरकार को मिलती रही हैं परन्तु कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं है जिसकी पुष्टि हो सके।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उत्पादकता आन्दोलन

1319. **श्री लोलाधर कटकी :** **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्यमियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिये सरकार का विचार बड़े पैमाने पर एक उत्पादकता आन्दोलन आरम्भ करने का है ताकि भारत अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हाथ-करघा कपड़ा

1320. **श्री सम्बन्धन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं कि हथकरघों द्वारा बनाये गये कुछ किस्मों के कपड़े के उत्पादन में आरक्षण योजना क्रियान्वित नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्रियान्विति कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हां।

(ख) जहां तक विद्युतचालित करघा क्षेत्र का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों को आरक्षण योजना का प्रवर्तन करने के लिये कहा गया है, जब कि वस्त्र आयुक्त का निरीक्षण अमला मिल क्षेत्र द्वारा किये गये उल्लंघन की जांच करता है।

अरकोनम में रेलवे वर्कशॉप

1321. श्री सम्बन्धन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरकोनम की वर्कशाप को मरम्मत वर्कशाप माना गया है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है और कितने कर्मचारियों को पदावनत किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) अरकोणम् के इंजीनियरिंग कारखाने में काम का भार कम हो जाने के कारण 50 अर्धकुशल कर्मचारियों को अकुशल कोटि में प्रत्यावर्तित कर किया गया है और 135 अकुशल कर्मचारी स्थानान्तरित कर दिये गये हैं । कोई छंटनी नहीं हुई ।

खेत्री तांबा परियोजना

1322. श्री श्रीगोपाल साबू श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में खेत्री के स्थान पर 78 करोड़ रुपये की लागत से एक परियोजना बन रही है ;

(ख) क्या तांबे और सल्फ्युरिक एसिड के अतिरिक्त वहाँ पर कुछ अन्य उपोत्पाद भी उपलब्ध होंगे ;

(ग) उस क्षेत्र में शुरू किये जाने वाले छोटे, मध्य तथा बड़े पैमाने के प्रस्तावित उद्योगों के नाम क्या हैं और उन उद्योगों को शुरू करने के लिये लगभग कितने धन की आवश्यकता है ; और

(घ) क्या इन उद्योगों को शुरू करने के लिये, उद्यमियों को आकर्षित करने के लिये, सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : खेत्री तांबा परियोजना में 31,000 टन वार्षिक विद्युदांशिक तांबा (21,000 टन खेत्री खान के अयस्क से और 10,000 टन कलिहन के पास वाली खान से) उत्पादन हो सकेगा। 600 टन प्रति दिन शुल्वारिक अम्ल उप-पदार्थ का उत्पादन होगा जोकि 2,14,500 टन वार्षिक ट्रिपल सुपर फौस्फेट के उत्पादन करने में प्रयोग होगा । परियोजना पर 85.93 करोड़ रुपये व्यय हो जाने का अनुमान है ।

(ख) तांबा, शुल्वारिक अम्ल अतिरिक्त सोना, चांदी, जिप्सम, सिलेनियम, ताम्रशुल्बीय और निकल भी उप-पदार्थ के रूप में प्राप्त होंगे ।

(ग) और (घ) पूर्ण खेत्री तांबा परियोजना में खान के अतिरिक्त शुल्वारिक अम्ल संयंत्र और उर्वरक संयंत्र भी सम्मिलित हैं । परियोजना अभी निर्माणावस्था में है और 1970-

71 तक चालू हो जाने की तथा 1972-73 तक पूर्ण उत्पादन प्राप्त हो जाने की आशा है । इस क्षेत्र में दूसरे छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग स्थापितकरने का प्रश्न तत्पश्चात् ही उठ सकता है ।

जमलापुर रेलवे वर्कशाप

1323. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमालपुर रेलवे वर्कशॉप में 1952,1957,1962,1967 में कितने कुशल तथा अकुशल कर्मचारी काम करते थे और उनको कुल कितनी मजूरी दी जाती थी ;

(ख) उक्त अवधि में क्रमशः कितना तथा कितने मूल्य का उत्पादन हुआ ;

(ग) उक्त अवधि में इंजीनियरों और फोरमैनों सहित कुल कितने कुशल कर्मचारी काम करते थे तथा उनको कितनी उपलब्धियां मिलती थीं ?

(घ) उक्त वर्कशॉप में कितनी पूंजी लगी हुई हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि उक्त वर्कशाप में इस समय कोई काम नहीं है और अर्हता-प्राप्त कर्मचारी अधिकांशतः बेकार हैं ; और

(च) यदि हां ; तो इस वर्कशॉप को पुनः तेज करने और इसकी पूंजी और जनशक्ति का देश के लाभ के लिए उपयोग करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री च० मु० पुनाचा) :

(क) से (च) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय चाय का निर्यात

1324. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका के रुपये के अवमूल्यन से भारतीय चाय के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना और इसे निष्प्रभावी करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) अभी यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि श्रीलंका के रुपये के अवमूल्यन से भारतीय चाय के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं और यदि पड़ेगा तो किस हद तक ।

(ख) सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है और उनसे इस सम्बन्ध में पहले से कार्यवाही करनी शुरू कर दी है जैसे श्रीलंका के साथ अन्तः सरकारी स्तर पर बातचीत, निर्यात शुल्क में कुछ समंजन और निर्यात बाजारों में भारतीय चाय की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये संवर्धनात्मक उपायों को तीव्र करना ।

भारतीय चाय का निर्यात

1325. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिटेन

के पौण्ड के अवमूल्यन के बाद श्रीलंका की चाय के निर्यात की तुलना में ब्रिटेन तथा यूरोप की अन्य मंडियों में भारतीय चाय के निर्यात की क्या सम्भावना है ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

सरकार का विचार है कि पौण्ड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के बाद ब्रिटेन तथा यूरोप की अन्य मंडियों में भारतीय चाय के निर्यात की सम्भावनाओं में, कम से कम निकट भविष्य में, कोई सारवान परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर भी वह स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है और इन मंडियों में भारतीय चाय की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उपाय कर रही है जैसे हाल में चाय की कुछ किस्मों पर से निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है।

भारत में विदेशी कम्पनियां

1326. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भारतीय कम्पनियों के सहयोग से अथवा अपने सहारे से इस समय कितनी विदेशी कम्पनियां काम कर रही हैं ;

(ख) इन कम्पनियों की अलग-अलग प्रदत्त पूंजी कितनी है ;

(ग) इन कम्पनियों ने 1967 में विदेश को कितना मुनाफा भेजा है ;

(घ) ये कम्पनियां भारत में किन शर्तों पर काम कर रही है ; और

(ङ) क्या इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो कब ?

औद्योगिक विकास एवं कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क), (ख), (ग) तथा (घ) सूचना संग्रह की जा रही है, व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ङ) नहीं, श्रीमान्।

गैर-सरकारी क्षेत्र का इस्पात उद्योग

1327. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात उद्योग ने अपने विस्तार कार्यक्रमों पर लाभ की कितनी राशि विनियोजित की ;

(ख) उक्त अवधि में सरकार ने उसे क्या-क्या नई सुविधायें प्रदान कीं ;

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र में लोहा तथा इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चन्ना रैड्डी) : (क) और (ख) टाटा आॅयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड से सूचना प्राप्त की जा रही है। प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

मैसूर राज्य में रेलवे लाइनें

1328. श्री क० लकप्पा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962 से ले कर आज तक मैसूर सरकार ने कितनी नई रेलवे लाइनें बिछाने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इन सभी लाइनों की मंजूरी दे दी है ;

(ग) यदि नहीं, तो मैसूर राज्य में किजनी नई रेलवे लाइनें अब तक मंजूर की गई हैं ; और

(घ) शेष रेल लाइनों के बारे में क्या स्थिति है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) मैसूर सरकार ने तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में जिन नयी लाइनों के बनाने की सिफारिश की है उनकी एक सूची संलग्न है । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 162/68]

(ख) जी नहीं ।

(ग) निम्नलिखित रेलवे लाइनों का निर्माण-कार्य जिनके लिए राज्य सरकार ने सिफारिश की है, शुरू कर दिया गया है और काम जारी है :—

(i) मंगलूर — हसन
(ii) बैंगलूरे — सेलम

(घ) राज्य सरकार ने जिन अन्य लाइनों के बारे में सिफारिश की है, धन की कमी के कारण उनके निर्माण पर विचार करना सम्भव नहीं हुआ है ।

Abolition of Duty on Jute and Cotton

1329. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Government of Pakistan have abolished export duty on jute and cotton with a view to counteract the after-affects of the devaluation of the pound ; and

(b) if so, the consequential affect thereof on the production and prices of jute and cotton in India ?

The Deputy Minister of Commerce (**Shri Mohammad Shafi Qureshi**) : (a) and (b) Abolition of export duty on raw jute and cotton by Pakistan is unlikely to have any effect on production and prices of jute and cotton in India, more so by the subsequent reduction in export duty on certain varieties of jute goods by Government of India.

Doubling of Railway Lines Between Jhansi and Gwalior and Bina and Jhansi

†1330. **Shri Y.S. Kushwah** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state when the work of doubling of railway lines between Jhansi and Gwalior and Bina and Jhansi is likely to be completed ?

The Minister for Railways (**Shri C.M. Poncaha**) : Of the 249 KM long section between Gwalior-Jhansi-Bina, double line to the extent of 31 KM is already available and the

work on 89 KM doubling is in progress at various stages and is expected to be completed by 1970. Further programme of doubling the remainng 126 K M single line portions will depend on the way traffic develops from time to time and the availability of resources.

Production of Narrow-Gauge Locomotives and Carriages

1331. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the places where narrow-gauge locomotives and carriage are manufactured in the country and the annual production thereof :

(b) whether the demands of narrow-gauge Railways are satisfactorily met by the current rate of production and if not, the arrangements made by Government therefor;

(c) whether any Master Plan has been prepared to convert all the narrow-gauge lines into broad-gauge or metre-gauge railway lines ; and

(d) if not, when such a plan would be ready ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) The capacity for manufacture of Narrow-Gauge Locomotives has not so far been developed in the country and steps are currently being taken to develop capacity for production of such locomotives in the Kharagpur Workshops of the South-Eastern Railway.

Narrow-Gauge coaches have been manufactured in certain Railway Workshops to meet the requirments of Indian Railways from time to time. No fixed production capacity has been created but the Railway Workshops are in a position to meet the requirements of such coaches for Indian Railways.

(b) The small number of Narrow-Gauge Locomotives required for Indian Railways from time to time has hitherto been met by import.

The demands of Indian Railways for limited number of Narrow-Gauge coaches have been satisfactorily met from time to time by production in Railway Workshops.

(c) No Master Plan for the wholsale conversion of Narrow-Gauge lines to Broad-Gauge or Metre Gauge has been prepared.

(d) No such conversion is envisaged at present.

Cooperative Cotton Mill in Ujjain

1332. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have permitted to set up the establishment of a co-operative cotton mill in Ujjain ;

(b) if so, its proposed capacity and the amount of expenditure involved ;

(c) the number of Government shares and also the number of shares allowed to be purchased by workers and general public; and

(d) when the construction of the mill is likely to start ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) No Sir.

(b) to (d) Do not arise.

संयुक्त राष्ट्र विकास तथा व्यापार सम्मेलन के लिये नियुक्तियां

1333. **श्री श्रीचन्द्र गोयल:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र विकास तथा व्यापार सम्मेलन के लिए अधिकं

वेतन वाले कुछ पदों का विज्ञापन नहीं दिया गया था और उन पदों पर कुछ ऐसी लड़कियों को नियुक्त किया गया है जो मैट्रिक पास भी नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) तथा (ख) अंकटाड सचिवालय में केवल दो उच्च वेतन वाले पद हैं। इनमें से एक पद, सेवा निवृत्ति से पूर्व की छुट्टी से बुलाकर एक अधिकार द्वारा भरा गया है तथा दूसरा पद सरकारी सेवा में एक प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा भरा गया है।

सम्मेलन के लिए प्रबन्ध करने हेतु पदों में से प्रथम श्रेणी के दो को छोड़कर शेष सभी पद प्रतिनियुक्ति पर बुलाये गये अधिकारियों द्वारा भरे गये हैं। इन दो पदों के लिये नियुक्तियां अनुभव तथा योग्यता के आधार पर की गई थीं। समय की कमी, अल्पावधि जिसके लिये अधिकारी रखे जाने थे तथा विशिष्ट प्रकार की आवश्यकता को देखते हुए इन पदों के लिए विज्ञापन देना आवश्यक नहीं समझा गया था।

इन पदों में से किसी पर भी कोई ऐसी लड़की नियुक्त नहीं की गई जो मैट्रिक पास न हो।

दिल्ली और भटिण्डा के बीच रेलगाड़ी सेवा

1334. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली से भटिण्डा और भटिण्डा से दिल्ली के बीच एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने के लिये इस क्षेत्र के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हां।

(ख) यातायात सम्बन्धी औचित्य के अलावा अपेक्षित चल-स्टाक की कमी के कारण भी इस समय दिल्ली और भटिण्डा के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

Use of Foreign made equipment on Railways

1335. **Shri Maharaj Singh Bharati** : **Shri Ram Sewak Yadav**:
Shri Inder J. Malhotra:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 80 percent of the equipment, being used in the Research, Designs and Standards Organisation is of foreign make ; and

(b) if so, the efforts being made to manufacture it in India ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha)

(a) and (b)The percentage of foreign made equipment being used in the Research, Designs and Standards Organisation is approximately 70% and consists largely of instruments and

equipment of an analytical nature for testing purposes. The manufacture of such equipment in the country is being progressively established and efforts continued for manufacturing maximum equipment within the country. Import is only resorted to in inescapable cases and restriced to minimum import content whenever feasible.

Import of Television Sets

1336. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of television sets imported last year and the amount of foreign exchange spent thereon ;

(b) the number of television sets proposed to be imported during the year 1968-69 and the amount of foreign exchange likely to be incurred thereon ; and

(c) the reasons for expending the television service by depending on imports rather than manufacturing them in the country ?

The Deputy Minister of Commerce (**Shri Mohd. Shafi Qureshi**) : (a) No Television sets were imported in 1967.

(b) There is no proposal for the present to import TV Sets during the year 1968-69.

(c) No commercial imports have been made since 1967 in view of the possibility of manufacturing the sets within the country.

Import of Tin Cans

1337. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tin required for packing preserved and tinned fruit and fish is not manufactured in the country and that the tin cans which are imported for the purpose cost more than the international price of tin including fish ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to manufacture tin and cans in the country;

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) and (b)Tinplate of suitable grade ad quality required for the manufacture of sanitary cans for packing and preservation of processed food, like fruit,fish etc.is not produced in the country. Sanitary cans required for the purpose are not imported but being manufactured in the country from imported tinplate. Steps are being taken to develop production of suitable grade of indigenous tinplate for the manufacture of these cans.

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये उर्दू स्कूलों को अनुदान

1338. **श्री मोहिसिन** : : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये उर्दू स्कूलों को दो वर्ष से अधिक समय से अनुदान नहीं दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) दक्षिण-मध्य तथा दक्षिण रेलवे पर कौन-कौन सी अन्य शिक्षा संस्थाओं को ऐसी सहायता मिलती है और इनमें से प्रत्येक संस्था को कितना अनुदान दिया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय दक्षिण-मध्य और दक्षिण रेलों में

उर्दू स्कूलों से है । दक्षिण रेलवे के सम्बन्ध में उत्तर नकारात्मक है । दक्षिण-मध्य रेलवे में 1966–67 के लिए अनुदान के सम्बन्ध में एक स्कूल का आवेदन-पत्र विचाराधीन है ।

(ग) जो शिक्षा संस्थाएं आर्थिक सहायता पा रही हैं और उन्हें जितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

रेलवे	संस्था का नाम	अनुदान की राशि
दक्षिण-मध्य	जैक एण्ड जिल्ल नर्सरी स्कूल, विजयवाड़ा	रु० 240/-
दक्षिण	रेलवे कौलोनी ऐडेड् स्कूल्स, अयनावरम, मद्रास	रु० 3,588/-
दक्षिण	पेनन्तहोप रेलवे कोलोनी ऐडेड् स्कूल्स, अयनावरम, मद्रास ।	रु० 4,137/-

गुजरात में एल्यूमिनियम संयंत्र

1339. श्री यशपाल सिंह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री 28 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1448 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच गुजरात के एक अल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय के कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चन्ना रैड्डी) :

(क) और (ख) चालू और पंचम योजना के प्रारम्भिक वर्षों की पूर्वधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन के लिये पर्याप्त क्षमता को पहले ही लाइसेन्स दिया जा चुका है/अनुमोदित किया जा चुका है । तथापि भारत सरकार ने गुजरात सरकार की, राज्य में तत्पश्चात् एक प्रद्रावक स्थापित करने की, योजना को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है ।

भारत द्वारा निर्यात

1340. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पुनर्विलोकन किया है कि रुपये के अवमूल्यन के बाद भारत द्वारा कितना निर्यात किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हां ।

(ख) जून, 1966 में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् के पहले कुछ महीनों में निर्यात में काफी गिरावट आई । अवमूल्यन के बाद के वर्ष की अवधि में (जून, 1966 से मई, 1967 तक) 152.00 करोड़ डालर का निर्यात जिसमें पुनः निर्यात शामिल है किया गया जो गत वर्ष की उसी अवधि के 12 महीनों में अर्थात जून, 1965 से मई, 1966 तक,

हुए निर्यात से 11 1% कम था । फिर भी, चालू वित्तीत वर्ष में निर्यात में कुछ वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है ; 1967 के 8 महीनों की अवधि में (अप्रैल-नवम्बर) 106.2 करोड़ डालर का निर्यात हुआ जब कि 1966 की उसी अवधि में 99.3 करोड़ डालर का निर्यात हुआ था । कृषि उत्पादन की अधिक संभावना तथा निर्यात में वृद्धि के लिये सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों तथा भारत द्वारा किये गये अधिक मूल्य के अनेक संविदाओं से 1968-69 की अवधि में निर्यात के काफी बढ़ने की आशा है ।

रेलवे के लकड़ी के स्लीपर

1341. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को सप्लाई किये गये लकड़ी के स्लीपरों के लिये कुछ राज्यों द्वारा की गई अधिक मूल्य की मांग पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां ,तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :(क) भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय के वन विभाग के केन्द्रीय बोर्ड की उप-समिति, जो इस सम्बन्ध में निर्णय करने की समर्थ प्राधिकारी है, अभी इस मामले पर विचार कर रही है । राज्यों के वन विभाग भी इस समिति के अंग हैं । फिर भी, रेलों का विचार है कि कीमतों में और वृद्धि करने का औचित्य नहीं है क्योंकि वन विभाग के केन्द्रीय बोर्ड ने 1962 और 1965 में आयोजित दो बैठकों में जो सिफारिशें की थीं, उनके फलस्वरूप 1962 की कीमतों में 31·1/3 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है । इसके अलावा कीमतों को स्थिर रखने की आवश्यकता को देखते हुए भी कीमतों में और वृद्धि नहीं की जानी चाहिए ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Export of Onions

1342. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the demand of onions in the country has been substantially met as a result of increased production of onions in Maharashtra ;

(b) whether any arrangements have been made to export onions to Burma, Ceylon, Indonesia and Malasia to ensure fair price to the farmers ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) Yes, Sir. After meeting the demands of the country, India has been exporting onions to other countries.

(b) and (c) : Export of oninion is licensed freely to all categories of exporters and there is no bar for the farmers to enter the export trade directly or through their co-operative societies. Burma and Indonesia are not buyers of Indian onions. Ceylon and Malaysia are already major importers from India. Exports are subject to floor prices, which can ensure a fair return to the farmers.

Thana Railway Station

1343. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether funds are allocated in the Railway Budget for 1967-68 for the reconstruction of Thana railway station in the Bombay Division of the Central Railway ;

(b) if so, when the work is likely to start ; and

(c) the expenditure incurred so far and when the project is likely to be completed ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Yes.An amount of R. 1 lakh has been allocated during 1967-68 for the work of remodelling of the station building at Thana. The estimated cost of the work is Rs.6.89 lakhs.

(b) The work is expected to be commenced early in 1968-69.

(c) No expenditure has been incurred so far on the work. The work is expected to be completed by December, 1969.

Running of Shuttle Train between Bombay Central and Dahanu Road on Western Railways.

1344. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no adequate transport facility for University students and office-goers going to Bombay on the Bombay Central Dahanu Road line ; and

(b) if so, whether it is porposed to run a shuttle train between Bombay Central and Dahanu Road on the Western Railway similar to the train between Bombay-Kasara and Bombay-Karjat on the Central Railway ?

The Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) No. Nos. 13 Dn. 14 Up Bombay-Surat Expresses and 21 Dn./22 Up Flying RaneeTrains provide two pairs of convenient morning and evening services for students and office goers on Bombay Central—Dahanu Road Section.

(b) Does not arise.

Additional Train between Nasik and Bombay

1345. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a request hasbeen received from the public to run an additional train between Nasik and Bombay ; and

(b) if so, whether Government propose to introduce Nasik Road-Bombay train from the Ist April, 1968 when new Time-Table would come into force ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) No. Introduction of a train on Nasik Road-Bombay section is not feasible at present for want of requsite resources by way of line capacity and rolling stock.

Small-Scale Industries in Bombay

1346. **Shri Baswant:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 70 small-scale industries,investment in which amounts o about Rs.15 crores, are being shifted from Bombay city ad its suburbs to Gujarat State ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed)

(a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Collision near Charbagh Railway Station (N.E. Rly.)

1347. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several passengers were seriously injured as a result of a collision

between 32 Down passenger train and a stationery Express train on the night of 18th January, 1968 near Charbagh Railway Station in the North Eastern Railway;

(b) if so, the causes thereof ;

(c) the number of persons killed or injured ; and

(d) the extent of loss of railway property as a result thereof ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes.

(b) The Additional Commissioner of Railway Safety, Lucknow has held the statutory enquiry into this accident. According to his provisional finding the accident was due to the driver of 32 Down passing the Outer and Home signals at danger.

(c) In this accident no one was killed. However, 15 persons, including 6 railway employees, sustained injuries. Of these, 4 were hurt grievously.

(d) The cost of damage to railway property has been estimated at approximately Rs.61,425.

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

1348. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 जनवरी, 1968 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में जब कर्मचारी श्रम-कल्याण दिवस मनाना चाहते थे, तो पुलिस ने उन पर गोलियां चला दीं ; और

(ख) यदि हां, तो हताहतों की संख्या क्या है और कारखाने के परिसर में पुलिस ने किस कारण गोलियां चलाईं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों पर पुलिस ने गोली नहीं चलाई ।

अडोनी स्टेशन पर विश्राम-कक्ष

1349. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर वर्ष 1967-68 में कितने विश्राम-कक्ष खोलने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार ने अडोनी में विश्राम-कक्ष बनाये जाने की आवश्यकता पर विचार कर लिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार बम्बई तथा अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर विश्राम-कक्ष का प्रयोग करने के लिये प्रति व्यक्ति 10 रुपये लेता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि प्रति व्यक्ति दर में 5 रुपये से बढ़ा कर 10 रुपये करने के पश्चात् बम्बई में विश्राम-कक्षों का प्रयोग कम हो गया है ; और

(ङ) 1966-67 में कुल कितने दिन तक विश्राम-कक्ष खाली रखे गये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) 38

(ख) अदोनी स्टेशन पर विश्रामालय बनाने के सम्बन्ध में फिलहाल कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। लेकिन गुन्तकल्ल मण्डल की मण्डल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति ने इस स्टेशन पर तीन विश्रामालय बनाने का सुझाव दिया है और दक्षिण रेल प्रशासन उस पर विचार कर रहा है।

(ग) जी हां, आगरा छावनी, इलाहाबाद, अहमदाबाद, भोपाल, बम्बई सेन्ट्रल, बम्बई वी० टी० और पूना-जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कुछ विश्रामालयों के लिए 10 रुपये प्रति बिस्तर की दर से प्रभार लिया जाता है।

(घ) बम्बई वी० टी० के विश्रामालयों के उपयोग में कुछ गिरावट हुई है लेकिन बम्बई सेन्ट्रल में ऐसी कोई गिरावट नहीं हुई है ?

(ङ) यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी की जा रही है। इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

निर्यात में वृद्धि के लिये तकनीकी सहायता

1350. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात की वृद्धि के सम्बन्ध में तकनीकी सहायता देने के लिये सरकार ने कोई हाल ही में कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या निर्यात की वृद्धि के उद्देश्य से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिये इस कार्यक्रम के आधार पर कुछ उन्नत देशों से बातचीत की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धित देशों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हां।

(ख), (ग) तथा (घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से अनुरोध किया गया है कि वह (1) उद्योग के निजी तथा सरकारी क्षेत्र के 120 विक्रेताओं के लिये विकसित देशों में अपनाई गयी विशिष्ट तकनीकी में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करें जिसमें विक्रय संवर्धन पर बल दिया जाये और (2) निर्यात उत्पादन के लिये स्वदेशी इल्मेनाइट के उपयोग के लिये भारत में टाइटेनियम उत्पाद उद्योग कम प्लेक्स की स्थापना की सम्भाव्यता का पता लगाने में परामर्श के रूप में सहायता प्रदान करें।

संयुक्त राष्ट्र प्राधिकारी इन दो अनुरोधों पर विचार कर रहे हैं।

2. अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण से प्रख्यात भारतीय गवेषणा संगठनों के माध्यम से निम्नलिखित वस्तुओं के व्यापक वस्तु सर्वेक्षण कराने की व्यवस्था करने हेतु अनुरोध किया गया है ताकि इन वस्तुओं में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर और विश्व व्यापार में भारत के वर्तमान तथा सम्भाव्य व्यापार के सम्बन्ध में विचार हो सके :—

(1) वस्त्र तथा तैयार परिधान,

(2) मशीनी औजार,

(3) मसाले,

(4) फल तथा सब्जियां (ताजे तथा साधित)

(5) समुद्री उत्पाद ।

1968 के मध्य तक इन सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

3. गत वर्ष मई / जून में भारतीय औद्योगिक कारखानों के 14 अभ्यर्थी और वाणिज्य मन्त्रालय का एक अधिकारी भारत-फ्रांस तकनीकी सहयोग करार के अन्तर्गत निर्यात सम्वर्धन की आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण का एक सघन पाठ्यक्रम पूरा करने फ्रांस भेजे गये ।

4. 28 मार्च, 1966 के भारत-जर्मन तकनीकी सहयोग करार के एक अनुपूरक करार पर 14 दिसम्बर, 1967 को हस्ताक्षर हुए । इस करार के अनुसार पश्चिम जर्मनी की सरकार इंजीनियरी माल के लिये जर्मन तथा अन्य पश्चिम यूरोपीय बाजारों में भारत का अधिकाधिक भाग सुनिश्चित करने में सहायता कर रही है । इस अनुपूरक करार की प्रतियां पहले ही संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी हैं ।

5. कोलम्बो योजना के अन्तर्गत वाणिज्य मन्त्रालय ने विगत छमाही में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु 15 अभ्यर्थी प्रायोजित करके कनाडा, ब्रिटेन तथा जापान भेजे ।

बल्लारपुर स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिये पुल

1351. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बल्लारपुर बस्ती को रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिये पैदल चलने वालों के लिये कोई उपरि पुल नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि बस्ती के लिये रेलवे स्टेशन के बहुत निकट होने के कारण लोगों को रेलवे का बड़ा यार्ड पार करना पड़ता है जिससे दुर्घटनायें होती हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश महा प्रबन्धक ने स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद यह कहा था कि पैदल चलने वालों के लिये बल्लारपुर स्टेशन में एक उपरि पुल की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) रेलवे की लागत पर दी जाने वाली सुविधा के रूप में रेलवे लाइन के ऊपर पैदल-पुल उसी हालत में बनाये जाते हैं जब रेल उपयोगकर्ताओं या रेल कर्मचारियों के लिए इन पुलों की आवश्यकता हो । जब रेलवे लाइन को पार करने के लिए क्षेत्र की स्थानीय जनता के लिए ऊपरी पैदल-पुलों की आवश्यकता होती है, तो अन्यथा व्यावहारिक होने पर,

राज्य सरकार/सिविल प्राधिकारियों की मांग और उनकी लागत पर इनका निर्माण किया जा सकता है। अभी तक इस सम्बन्ध में रेलवे को न तो राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मिला है न और नगरपालिका प्राधिकारियों की ओर से। यदि राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी ऊपरी पैदल पुल की पूरी लागत देने को राजी हों, तो उनसे प्रस्ताव मिलते ही रेलवे काम शुरू कर देगी।

महाराष्ट्र में कच्चे लोहे का कारखाना

1352. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के चन्दा जिले में कच्चे लोहे का एक कारखाना लगाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक लगने की संभावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सूडानी रुई का आयात करने के लिये लाइसेंस

1353. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूडानी रुई का आयात करने के लाइसेंस पहले की भांति पृथक मिलों को न देकर एकमात्र राज्य व्यापार निगम को दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) परिवर्तित प्रणाली के परिणामस्वरूप उन मिलों द्वारा देय बिक्री-कर को किस प्रकार वसूल करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) तथा (ख) जी, हां। यह परिवर्तन, अर्थात आयात लाइसेंसों से मिल के नाम का लोप, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात के अनुसरण में किया गया है कि राज्य व्यापार निगम को आयात (नियन्त्रण) आदेश 1955 के, खंड (5) के उप-खंड (3) की शर्त (1) तथा (2) से, उस आदेश का संशोधन करके, विमुक्त कर दिया गया है। व्यवहार में इससे मिल / आयातक की स्थिति नहीं बदलती क्योंकि उसे अभी भी पहले की भांति एक प्राधिकार-पत्र मिलता है।

(ग) आयात नियन्त्रण आदेश संशोधित उपबन्धों को देखते हुए बिक्री कर के दायित्व का प्रश्न नहीं उठता।

प्रोत्साहनों के लिये दावे

1354. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रोत्साहनों के लिये दावों को निपटाने में विलम्ब होने के कारण भारतीय निर्यातकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) इस समय कितने दावे निपटाये जाने शेष हैं ; और

(ग) कब तक उनके निपटाये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 6-6-1966 से 31-12-67 की अवधि में पंजीयित निर्यातकों से प्राप्त पुनर्भरण ल इसेंसों के आवेदन-पत्रों की संख्या 17,863 थी । इनमें से 31-12-67 को 2,292 आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े थे जिनमें 1813 आवेदन-पत्र दिसम्बर, 1967 में समाप्त दो तिमाहियों में किये गये निर्यातों से सम्बन्धित थे । 6-6-66 से 30-12-67 की अवधि में नकद-सहायता के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या 8,495 थी । इनमें से 30-12-67 को 1,021 आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े थे जिनमें 706 आवेदन-पत्र दिसम्बर, 1967 में समाप्त दो तिमाहियों में किये गये निर्यातों से सम्बन्धित थे ।

(ग) इन आवेदन-पत्रों के अनिर्णीत रहने का मुख्य कारण यह है कि पंजीयित निर्यातकों ने क्रियाविधि सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं का पालन नहीं किया तथा निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये अथवा उन्होंने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये थे वे दोषयुक्त थे । ज्यों ही पंजीयित निर्यातक कमियों को पूरा कर देंगे, त्योंही लाइसेंस प्राधिकारी उनके आवेदन-पत्रों पर अंतिम निर्णय कर देंगे ।

माल-डिब्बों का निर्माण

1355. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई वर्षों से मालडिब्बा-निर्माता रेलवे द्वारा दिये गये क्रयादेशों को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रति वर्षों, कितने-कितने माल-डिब्बों का क्रयादेश दिया गया और कितने माल-डिब्बे सप्लाई किये गये; और

(ग) पिछले छः मास में कितने माल-डिब्बों का क्रयादेश दिया गया और क्रयादेशों के अनुसार माल-डिब्बे सप्लाई करने की कितनी अवधि निर्धारित थी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 163/68] ।

(ग) निजी क्षेत्र को चौपहियों के हिसाब से 16,000 माल-डिब्बों के आर्डर देने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है । इनमें से चौपहियों के हिसाब से अब तक 12,300 माल डिब्बों के आर्डर दिये जा चुके हैं । बाकी मालडिब्बों के आर्डर फर्मों से स्वीकृति मिलने पर दिये जायेंगे । आर्डरों में दी गयी शर्तों के अनुसार डिलीवरी 30-6-1969 तक पूरी हो जानी चाहिए ।

व्यापार संबंधी सलाहकार परिषद्

1356. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** **श्री लोबो प्रभु :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात आयात सलाहकार परिषद्, जिसका नाम बदलकर व्यापार संबंधी सलाहकार परिषद् रख दिया गया है, के कार्यकरण में कोई परिवर्तन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन से हमारी निर्यात आय में किस प्रकार से वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) निर्यात-आयात सलाहकार परिषद् समाप्त कर दी गई है । एक नई सलाहकार परिषद् बनाई गई है जिसका नाम व्यापार सलाहकार परिषद् है। वाणिज्य मंत्रालय संकल्प संख्या 3 (1)/67-बी० ओ० टी०/पी० एण्ड पी०, दिनांक 13 जनवरी, 1968 प्रकाशित कर दिया गया है जिसमें इस परिषद् का उद्देश्य बताया गया है । व्यापार सलाहकार परिषद् न केवल आयात तथा निर्यात की समस्याओं अपितु आंतरिक व्यापार की समस्याओं के बारे में भी कार्यवाही करेगी । यह देश की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उसके वाणिज्यिक पहलुओं में समीक्षा करेगी, निर्यात विस्तार, आयात संबंध, आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण की क्रिया, निर्यात विपणन तथा निर्यात सहायता के विशेष संदर्भ में वाणिज्यिक सेवाओं के कार्यचालन, अर्थव्यवस्था के निर्यात क्षेत्र का संगठन एवं विस्तार और अत्यावश्यक वस्तुओं की प्राप्ति, विक्रय तथा वितरण के विशेष संदर्भ में आंतरिक व्यापार संबंधी प्रबंधों पर विचार करेगी ।

(ख) व्यापार सलाहकार परिषद् के व्यापक कार्यक्षेत्र से वह देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में कुल मिलाकर निर्यात प्रयत्नों पर विचार करने में निर्यात-आयात सलाहकार परिषद् की अपेक्षा एक अधिक उपयुक्त निकाय बन गया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्यात हमारी अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग रहेंगे, यह समझा गया कि भूतपूर्व निर्यात-आयात सलाहकार परिषद् जैसे निकाय के कार्य काफी सीमित होकर रह गये थे । व्यापारियों तथा उद्योगपतियों द्वारा संसाधनों को निर्यात में लगाने में इस नये निकाय द्वारा सभी कार्यकारी पहलुओं के संबंध में व्यापक पैमाने पर सहायता की जायेगी ।

बिजली के कम्प्यूटर

1357. **डा० रानेन सेन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों के विरोध के बावजूद कलकत्ता के दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्य कार्यालय में रेलवे सुरक्षा दल तथा सशस्त्र पुलिस की सहायता से इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगा दिये गये हैं ; और

(ख) क्या कम्प्यूटर के कमरे में विस्फोट हुआ है जिसके परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारियों को गम्भीर चोटें आई हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में एक संगणक लगाया गया है । चूंकि कुछ कर्मचारियों ने संगणक

लगाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये थे और प्रदर्शन किया था, इसलिए उपस्कर को अन्दर ले जाते और लगाते समय सुरक्षा सम्बन्धी उपाय किये गये थे ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पाये ।

(ख) जी नहीं ।

कलकत्ता में रेलगाड़ियों से चावल की तस्करी

1358. डा० रानेन सेन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी डाक अथवा यात्री रेलगाड़ियों में रेलवे पुलिस दल अथवा राज्य पुलिस की सांठगांठ अथवा सहमति से वृहत कलकत्ता को चावल की तस्करी होती है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों से इन तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) उपनगरों से चावल की तस्करी विभिन्न माध्यमों से होती है । तस्करी से कलकत्ता चावल ले जाने के माध्यमों में से एक माध्यम सवारी गाड़ियां भी हैं । इस बात की जानकारी नहीं है कि यह तस्करी रेलवे पुलिस या राज्य पुलिस की अनदेखी या मौन सहमति से होती है ।

(ख) चावल की तस्करी को रोकने और तस्करों तथा तस्करी के चावल को पकड़ने के लिए राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल के उन स्टेशनों पर पुलिस तैनात कर दी है जहां तस्करी की संभावनाएं अधिक हैं ।

कार्मिक संघों को मान्यता देना

1359. डा० रानेन सेन : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीन उपक्रमों के मजदूर संघ को मान्यता देने के प्रश्न पर उनके मंत्रालय के प्रतिनिधियों की केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बात-चीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) और (ख) जी हां । अभी अन्वेषणात्मक और प्रारम्भिक बात चीत ही हुई है और कोई निर्णय नहीं लिए गये हैं । शीघ्र ही आगे बातचीत करने का प्रस्ताव है ।

निजामुद्दीन स्टेशन के पास शवों का पाया जाना

1360. श्री यशपाल सिंह : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 जनवरी, 1968 को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास रेल की पटरी के पास तीन शव पाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या मृतकों की शनाख्त हो गयी थी ;

(ग) क्या किसी सुराग का पता लगा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) और (घ) जांच से मालूम हुआ है तीन व्यक्ति निजामुद्दीन से हरी नगर आश्रम की ओर रेलवे लाइनों के बीच से जा रहे थे और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के निकट सिगनल के पास वे एक इंजन से कुचल गये ।

विदेशी सहयोग से वाणिज्यिक समझौते

1361. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967 के अन्तिम तीन महीनों में सरकार ने विदेशी फर्मों के साथ किन्हीं सहयोग समझौतों पर मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) अक्तूबर से दिसम्बर, 1967 की अवधि में 29 मामलों में विदेशी सहयोग की मंजूरी दी गई थी ।

(ख) इन मामलों का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण (अंग्रेजी उत्तर के साथ) नत्थी है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 164/68]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों की पदोन्नति

1362. **श्री देवेन सेन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1963 से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत क्लर्कों की तकनीकी कर्मचारियों के रूप में पदोन्नति बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आयोग में क्लर्कों की तकनीकी कर्मचारियों के रूप में पदोन्नति करने की प्रणाली को पुनः चालू करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)

(क) जी, हां । परन्तु यह निर्णय मई, 1964 में किया गया था ।

(ख) आयोग के संचालन में तकनीकी, सेवा सम्बन्धी, बैंकिंग, व्यापारिक तथा अनुसचिवीय कार्य निहित हैं । इसलिये आयोग के लिये संवर्गों का क्रमबद्ध करना आवश्यक हो गया । अतः मई, 1964 में आयोग ने अनुसचिवीय तथा तकनीकी अमले के लिये अलग-अलग संवर्ग बनाने का निर्णय किया । विभिन्न कार्यों के स्वरूप में अन्तर को देखते हुए एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में पदोन्नति की सामान्यतः अनुमति नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उपदान का भुगतान

1363. **श्री देवेन सेन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को उपादन देने की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हां ।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 (जिसके द्वारा आयोग के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें शासित हैं) की धारा 27 अंतर्गत बनाये गये विनियमों में उपदान देने की व्यवस्था नहीं है तथा केवल अंशदायी भविष्य-निधि लाभों की व्यवस्था है ।

(ग) मामला खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के विचाराधीन है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

1364. **श्री देवेन सेन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्य संचालन की जांच करने के लिये नियुक्त की गई मेहता-समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार प्रतिवेदन की एक प्रति कब सभा-पटल पर रखने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) फरवरी, 1968 के अन्त में समिति के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर होने तथा उसके शीघ्र बाद ही इसके सरकार को प्रस्तुत किये जाने की आशा है ; प्रतिवेदन की छपी हुई प्रतियां यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेंगी ।

सोमपुर रेलवे स्टेशन पर क्वार्टर

1365. **श्री अगाड़ी** : क्या रेलवे मंत्री 24 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1962 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे में गाडग-हास्पेट सेक्सन पर सोमपुर रेलवे स्टेशन पर क्वार्टरों के दोषपूर्ण निर्माण के बारे में की गई जांच का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) कितने क्वार्टर रिहायश के लिये अनुपयुक्त पाये गये हैं और खाली कर दिये गये हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) विस्तृत जांच से पता चला है कि 1961–62 में इन क्वार्टरों की 15 फुट से अधिक गहरी नींव डाली गयी थी जो घटिया किस्म की काली मिट्टी पर थी। भू-तल से 3 फुट 5 इंच नीचे अनुमोदित टाइप की रेल पटरी की फर्शी नींव डाली गई थी। वर्ष की विभिन्न ऋतुओं के दौरान मिट्टी में नमी की मात्रा में घटा-बढ़ी के कारण नींव कहीं अधिक और कम बैठ गयी थी, जिसकी वजह से दीवारों में कुछ दरारें पड़ गयीं।

(ख) नौ।

(ग) इन क्वार्टरों की अच्छी तरह मरम्मत कर दी गयी है और कर्मचारी इन क्वार्टरों में फिर रह रहे हैं।

अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के लिये हुबली से सिकन्दराबाद तक विशेष रेलगाड़ी

1366. श्री अगाड़ी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन, 1968 के लिये हुबली से सिकन्दराबाद तक विशेष रेलगाड़ी चलायी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रत्येक श्रेणी के कितने-कितने डिब्बे लगाये गये थे और सिकन्दराबाद तक विभिन्न स्टेशनों से विशेष रेलगाड़ी के लिये प्रत्येक श्रेणी के कितने-कितने डिब्बे लगाये गये और कितने यात्रियों की बुकिंग की गई ;

(ग) क्या स्थानीय समाचार-पत्रों में विशेष रेलगाड़ी के संबंध में पहले से कोई घोषणा की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो हुबली से विशेष गाड़ी के चलने से कितने दिन अथवा घंटे पूर्व उसके चलने की घोषणा की जाती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

1367. श्री नायनार : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 और 1967 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में उत्पादन बढ़ा है या कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उत्पादन कम हुआ है तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) 1965, 1966 और 1967 में उत्पादन निम्न प्रकार हुआ था :

1965	9.62 करोड़ रु०
1966	11.01 करोड़ रु०—वृद्धि

1967 9.98 करोड़ रु०—कमी

(ग) 1967 में उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण औद्योगिक मंदी के फलस्वरूप मशीनी औजारों की अत्यधिक मांग गिर जाना था ।

रेलवे पर कम्प्यूटर

1368. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में "लेखों" का सरलीकरण लागू करने के लिए रेलवे-वार किराया-खरीद के आधार पर लिये गये कम्प्यूटर के लिए रेलवे प्रति मास कितनी राशि दे रही है ; और

(ख) इस योजना के लागू होने से कितनी जन-शक्ति की बचत होगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलों में स्थापित 5 संगणकों में से प्रत्येक के लिए प्रतिमास लगभग 48 हजार रुपये किराया दिया जा रहा है ।

(ख) ये संगणक यूनिट अभिलेखन उपस्कर के बदले लगाये गये हैं और इनसे शुरू में केवल वे काम किये जा रहे हैं जो पहले यूनिट अभिलेखन उपस्कर से किये जाते थे । इस परिवर्तन के फलस्वरूप कर्मचारियों में तत्काल बिल्कुल मामूली बचत हुई है । लेकिन अगले दो-एक वर्षों में जब इन संगणकों से अन्य प्रकार के काम भी किये जाने लगेंगे, तो उस समय कर्मचारियों की बचत होगी ।

रेलवे में कार्ड टिकटों की छपाई

1369. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि " रेलवे के लेखों का सरलीकरण" लागू करने के कारण छपे हुए कार्ड टिकटों की श्रेणियों में आठ गुना वृद्धि हो गई है और बिना टिकट की कापियों में पाँच गुना वृद्धि हो गयी है और इस प्रकार बुकिंग क्लर्कों का कार्य बहुत बढ़ गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि छपे हुए कार्ड टिकट की लगभग 400 श्रेणियों और 160 बिना भरी टिकट की कापियों का प्रभार लेने, लेखा बन्द करने और विवरण तैयार करने के लिये बुकिंग क्लर्कों को केवल आध घण्टे का समय दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रभार लेने के लिए बुकिंग क्लर्कों को अधिक समय देने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) लेखों के सरलीकरण के किसी उपाय के कारण छपे कार्ड टिकटों और कोरे पर्ची-टिकटों की श्रेणियों में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन कुछ अन्य कारणों से छपे कार्ड टिकटों की श्रेणी में 2 से 3 गुनी और कोरे पर्ची–टिकटों की श्रेणी में 4 से 5 गुनी वृद्धि हुई है । इससे टिकट-बाबुओं पर काम के भार में कोई वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि काम के भार का सम्बन्ध बेचे गए टिकटों की संख्या से होता है ।

(ख) टिकट-बाबुओं के लिए सप्ताह में काम के कुल रोस्टर्ड घंटों का हिसाब लगाते

समय कार्य-भार सम्हालने और कार्य-भार सौंपने के लिए हर रोज आध घंटे या विशेष रूप से बड़े स्टेशनों पर एक घंटे की छूट दी जाती है । लेखा बंद करने के लिए निर्दिष्ट रूप से कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता। आम तौर पर टिकट-बाबू काम के घंटों के दौरान ही टिकट की बिक्री का हिसाब पूरा कर लेते हैं। जहां तक विवरणियां तैयार करने का सम्बन्ध है, उन्हें महीने में एक बार तैयार करना होता है । कुछ बड़े स्टेशनों पर विवरणियां तैयार करने के लिए अलग कर्मचारियों की व्यवस्था है ।

एक टिकट बाबू को टिकटों की कितनी श्रेणियों का काम सम्हालना पड़ता है, उनकी संख्या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर, वास्तव में एक ही स्टेशन की एक खिड़की से दूसरी खिड़की पर अलग-अलग होती है ।

(ग) यदि किसी व्यक्तिगत मामले में ड्यूटी रोस्टर की समीक्षा करने का औचित्य हुआ तो उस पर विचार किया जा सकता है । जब स्थान-स्थान पर परिस्थितियां भिन्न हों, तो कोई समान माप-दण्ड निर्धारित करने की बात ही नहीं उठती ।

सोनीपत से दिल्ली के लिये डीलक्स गाड़ियों का देरी से चलना

1370. श्री अब्दुल गनी दार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोनीपत से दिल्ली आने में डीलक्स तथा अन्य एक्सप्रेस गाड़ियों को डेढ़ घंटे का समय लगता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत वर्ष डीलक्स गाड़ी कितने दिन देरी से पहुँची है तथा कितने घंटे देरी से पहुंची है ; और

(घ) इस गाड़ी के निर्धारित समय के अनुसार चलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) 1967 में अमृतसर-नयी दिल्ली वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ी 139 बार चली, जिनमें से 122 बार यह गाड़ी ठीक समय पर, 14 बार 30 मिनट तक देर से और 3 बार 30 मिनट से अधिक देर से नई दिल्ली पहुंची । नयी दिल्ली से अमृतसर जाने वाली वातानुकूल गाड़ी 1967 में 136 बार चली, जिनमें से 41 बार ठीक समय पर, 45 बार 30 मिनट तक देर से और 50 बार 30 मिनट से अधिक देर से पहुंची ।

(घ) वातानुकूल और अन्य गाड़ियों के चालन पर विशेष ध्यान रखा जाता है और गाड़ियों के लेट होने के परिहार्य कारणों की पूरी-पूरी छानबीन की जाती है ताकि वे फिर लेट न हों ।

Halt of Pathankot Express at Budni

1371. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the residents of Budni and nearby areas have requested for a halt to be provided for the Pathankot Express at Budni Station, Central Railway as in the past ;

(b) whether Government propose to provide this halt with effect from the Ist April, 1968 when the new Time-Table comes into force ;

(c) whether the public has also requested to raise the level of the platform of Bundi Station and

(d) if so, so when this work is likely to start ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Yes.

(b) No.

(c) Yes.

(d) As the work is not included in Railway's Works Programme upto 68-69, it is not possible to indicate the likely date of the start of the work at this stage.

Running of an Express Train from Moradabad

1372. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that foreign traders visiting Moradabad have to face great inconvenience in the absence of any suitable Railway train service from Moradabad to Delhi in the morning ; and

(b) if so, whether Government propose to start an Express train service in the morning from Moradabad to Delhi for the convenience of utensil traders ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No. IMD Moradabad-Delhi Passenger which leaves Moradabad at 4.35 hours and arrives Delhi at 9.50 hours provides a convenient morning service from Moradabad to Delhi.

(b) Does not arise.

Mechanised Slaughter Houses

1373. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of beef and hides obtained from bovine cattle exported to the different countries, separately, from 1962 to 1967 ;

(b) whether Government propose to set up mechanised slaughter houses for stepping up export of these products and

(c) if so, the places where such slaughter houses are proposed to be opened and the cost involved thereon ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) Statistics of export of meat of bovine cattle and hides is given in Statements 'A' and 'B'. **(Placed in Library See. L.T. No. 165/68)** :

(b) and (c) The Government of India has no proposal for setting up mechanised slaughter houses for stepping up export of beef and hides. For the production of wholesome meat, however, and for conserving the salughter house wastes and bye-products and to improve the quantity of hides and skins a scheme has been included in the draft IV Plan proposals for modernising slaughter houses and meat markets in the country at a total cost of Rs.7.53 cores. In these salughter houses, humane methods of slaughter will be istroduced.

Second Class Compartment attached to Frontier Mail

1374. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only one Second Class compartment is attached to the Bombay-Amritsar Frontier Mail and that too is reserved for sitting and sleeping accommodation which causes great inconvenience to the other passengers ;

(b) if so, whether Government propose to provide another unreserved Second Class Compartment in the Frontier Mail ;

(c) if not, whether Government propose to convert the present compartment into an unreserved one so that all passengers might get seating accommodation ; and

(d) if not, whether Government propose to arrange to sell tickets to as many passengers as there are Second Class seats available in the compartment, as is done in the case of First Class ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) A Second class sleeper coach consisting of two compartments, one providing only seating accommodation for 32 passengers, and the other having seating accommodation for 30 passengers during day and sleeping accommodation for 22 during night, is running by Frontier Mail ex. Bombay Central with effect from 29-9-67 and ex. Amritsar with effect from 1-10-'1967. Some complaints have been received about inconvenience to passengers from Bombay side due to the absence of unreserved accommodation in this coach .

(b) No.

(c) The compartment with sitting accommodation is open to all passengers ex. Amritsar and no seat reservation is done. In the reverse direction ex. Bombay Central, it has been decided to convert the compartment of 32 seats into an unreserved one with effect from 1-3-1968.

(d) Does not arise in view of (c) above.

Prices of Cotton

1375. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a steep fall in the prices of cotton recently in comparison to the prices prevalent in November and December, 1967 ;

(b) whether it is a fact that cotton growers have requested for raising the floor and support prices of cotton ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) There has been some but not steep fall in the prices of cotton recently in comparison to the unsually high prices prevalent in November and December, 1967. However, even now the prices are well above not only the support price for the current season but also the ceiling prices for 1966-67.

(b) No, Sir.—For the current season there is no floor but a support price.

(c) Does not arise.

Theft of boxes containing Military Arms from running Train on Northern Railway

1376. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some boxes containing military arms were stolen from the goods train running from Moradabad to Dhampur on the Northern Railway recently ;

(b) whether those boxes could be recovered after conducting a search in this regard; and

(c) if so, the number of persons arrested in this connection ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Yes.

(b) Yes, as a result of prompt action taken by the State Police assisted by the Railway Protection Force, 3 stolen ammunition packages containing 1390 cartridges against a total loss of 1690 have been recovered.

(c) Two.

Explosion of Bomb at Bhagalpur Railway Station

1377. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a bomb exploded on Bhagalpur Railway Station at the time of arrival of Horwah-Barauni UP train on the 21st December, 1967 ;

(b) if so, whether any enquiry has been conducted into the accident ; and

(c) the causes of the explosion and the number of persons killed or injured thereby ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Yes.

(b) and (c) Yes. Th cause of explosion is not yet known. Government Railway Police Bhagalpur have registered a case on Crime No. 9 dated 21-12-1967 under Section 307 Indian Penal Code and3/4 Explosive Substance Act and took up investigation. As a result of explosion 1 passenger was injured and removed to hospital. No one is reported to have been killed. No damage to railway property has been reported due to this incident. The case is still under police investigation.

व्यापार सम्बन्धी सलाहकार परिषद्

1378 **श्री च० चु० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में व्यापार सम्बन्धी एक सलाहकार परिषद् का गठन किया है जिसमें चार संसद सदस्यों को नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इनका चयन किस आधार पर किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हां ।

(ख) चयन की प्रमुख कसौटी यह रही है कि क्या सदस्य का सहयोग परिषद् की कार्यवाही में उपयोगी होगा ।

उत्तर रेलवे के यातायात प्रशिक्षु

1379 **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री उत्तर रेलवे में यातायात प्रशिक्षुओं के बारे में 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5470 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात प्रशिक्षुओं की मांगों को इस बीच पूरा कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

गुजरात में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

1380. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में वीरमगाम से परे वर्तमान मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या रेलवे ने सौराष्ट्र में यात्री तथा माल यातायात में वृद्धि की संभावनाओं पर विचार किया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क), (ख), (ग) और (घ) सौराष्ट्र में वीरमगाम से पोरबन्दर अथवा ओखा तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का औचित्य निर्धारित करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे इस समय जांच कर रही है । जांच का परिणाम मालूम हो जाने के बाद इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जायेगा ।

चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति

1381. **श्री देवेन सेन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को वेतन आयोग के सूत्र के अनुसार उनके चिकित्सा-व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है, यद्यपि वेतन आयोग की सिफारिशें उन पर लागू होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) तथा (ख) चूंकि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग खादी तथा ग्रामोद्योग-आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है अतः इसके कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं हैं और वेतन आयोग की सिफारिशें स्वतः ही उन पर लागू नहीं होतीं । पर उनके चिकित्सा सम्बन्धी खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिये, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (चिकित्सकीय व्यवस्था) विनियमों, जो आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत बनाये गये हैं, में व्यवस्था है ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

निर्यात-प्रधान एल्यूमिना कारखाने

1382. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्युमिना का निर्यात करने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार पत्तनों के भीतरी क्षेत्रों में बाक्साइट्स पर आधारित कुछ निर्यात-प्रधान अल्यूमिना कारखानों की स्थापना करने के प्रश्न पर काफी समय से विचार करती रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाले अन्य देशों की तुलना में भारत में एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिनियम के अन्य उप-पदार्थों की उत्पादन-लागत कितनी कम अथवा अधिक है ; और

(घ) देश में एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिना की कुल कितनी अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रैड्डी):

(क) हां, महोदय ।

(ख) सम्भावनाओं पर अन्वेषण किया जा रहा है ।

(ग) एल्यूमिनियम और दूसरे एल्यूमिनियम के उप-पदार्थों की भारत की और दूसरे एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाले देशों की तुलनात्मक उत्पादन लागत की ठीक सूचना प्राप्त नहीं है ।

(घ) एल्यूमिनियम धातु की, आधारी एल्यूमीना सुविधाओं सहित, वर्तमान उत्पादन क्षमता 115,800 टन वार्षिक के लगभग है । एल्यूमिनियम की अतिरिक्त क्षमता, जिसका लाइसेन्स दिया जा चुका है/अनुमोदन किया जा चुका है, 327,500 वार्षिक है । इस अतिरिक्त प्रद्रावक क्षमता को एल्यूमिना के उत्पादन के लिये उपयुक्त सुविधाएं प्राप्त होंगी । इसके अतिरिक्त, गुजरात में 150,000 टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना, जिसके उत्पादन का कुछ भाग निर्यात किया जा सकता है, विचाराधीन है ।

पन्ना हीरा परियोजना

1383. श्री क० प्र० सिंहदेव : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में उससे पिछले वर्ष की तुलना में पन्ना हीरा परियोजना से कितनी मात्रा में हीरों की प्राप्ति हुई ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में निर्यात किये गये हीरों का तुलनात्मक मूल्य क्या है ; और

(ग) प्राप्ति की वर्तमान गति के हिसाब ने इस परियोजना में वाणिज्य स्तर पर उत्पादन होने की क्या सम्भावनायें हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) 1966-67 में पन्ना में हीरा निकालने की परियोजना में 2407 कैरट हीरे निकाले गये, जब कि इसकी तुलना में 1965-66 में 2798 कैरट निकाले गये ।

(ख) गत पांच वर्षों में भारत से हीरे निर्यात करने के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	मूल्य लाख रुपयों में
1963-64	243.43
1964-65	276.79

1965-66	474.95
1966-67	1106.65
अप्रैल, 67 से अक्तूबर, 67 तक	1167.40

(ग) पन्ना हीरा परियोजना अभी वाणिज्य उत्पादन स्तर तक नहीं पहुंची । तथापि पूर्वेक्षण और परीक्षाकर्म करते समय हीरे निकाले जाते हैं । सरकार ने वाणिज्य स्तर पर उत्पादन क्षमता स्थापना करने के लिये दो योजनाएं (1) रामखरिया खान से 11,250 कैरट वार्षिक, और (2) मझगावन खान से 12,000 कैरट वार्षिक, दिसम्बर 1967 में स्वीकार की हैं । यह योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और पूर्वानुमान के अनुसार 1969 तक इन दोनों खानों से 23250 कैरट वार्षिक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ।

मलयेशिया में लघु उद्योगों का विकास

1384. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलयेशिया की सरकार ने मलयेशिया में लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों के विकास के लिये तकनीकी सहायता की प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है ;

(ग) क्या सरकार मलयेशिया सरकार द्वारा मांगी गई सहायता देने के लिये तैयार हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो मलयेशिया को कितनी सहायता दिये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां ।

(ख) मलेशिया चाहता है कि मलेशिया के लोगों के लिये भारत में औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था की जाय । वह भारतीय विशेषज्ञ संस्थाओं जैसे केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान आदि से घनिष्ठ सम्पर्क तथा समन्वय स्थापित कर औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना चाहता है । उनके द्वारा चुने गये उद्योगों की सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की समस्याओं के बारे में परामर्श के लिए विशेषज्ञ, और तकनीकी जानकारी तथा प्रलेख के गठन के लिए एक अधिकारी चाहते हैं । उसकी यह भी इच्छा है कि प्रबन्धक पक्ष में कुछ प्रशिक्षकों को मलयेशिया के प्रबन्ध अधिकारियों का संवर्ग तैयार करने के लिए मलयेशिया भेजा जाय । वह चाहते हैं कि उनके दो अधिकारियों को नीलोखेड़ी तथा सीत हैदराबाद स्थित हमारे संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाय ।

(ग) जी हां, सिद्धांत रूप में ।

(घ) इसे अभी तय किया जाना है । हाल ही में एक शिष्टमण्डल ने मलयेशिया का दौरा किया तथा उसके फलस्वरूप जो निष्कर्ष निकले उनका इस मन्त्रालय तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में अध्ययन किया जा रहा है ।

चेकोस्लोवाकिया को निर्यात

1385. श्री क० प्र० सिंह देव: क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेकोस्लोवाकिया सरकार ने भारत में औद्योगिक मन्दी को दूर करने के लिये भारत से बहुत सी तैयार वस्तुएं खरीदने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चेकोस्लोवाकिया सरकार ने भारत पर विदेशी मुद्रा का दबाव कम करने के उद्देश्य से कच्चे माल तथा पुर्जों की खरीद के लिये अप्रयुक्त ऋण का उपयोग करने की अनुमति दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक मन्दी में क्या राहत मिलने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) भारत तथा चेकोस्लोवकिया के बीच औद्योगिक सहयोग सम्बन्धी कार्यकारी दल ने हाल ही में जो विचार-विमर्श किया था उसके आधार पर चेकोस्लोवाकिया सरकार ने इन्जीनियरी की परम्परागत वस्तुओं के आयात, जो कि व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत हैं, के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं के आयात की सम्भावनाओं की खोज करने की पेशकश की है । वह चेक सहायता से स्थापित सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में स्थापित संयंत्रों की क्षमता के पूर्ण उपयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए राजी हो गए हैं और रांची, हैदराबाद तथा तिरुची के एककों में निर्मित उत्पादों जैसे मशीनी औजार बायलरों के हिस्से तथा वाल्वों के निर्यात में सहायता करने के लिए भी राजी हो गए हैं ।

(ख) और (ग) जहां तक दूसरे चेक ऋण का सम्बन्ध है जिसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, चेक अधिकारियों ने अप्रैल, 1968 में एक कार्यकारी दल भेजने की इच्छा प्रकट की है जो इसके शीघ्र उपयोग करने के बारे में बातचीत करेगा । उन्होंने इसका संकेत दिया है कि वह चेक सहायता से स्थापित सरकारी परियोजनाओं के लिए मशीनों आदि की खरीद के लिए दूसरे चेक ऋण की राशि को बढ़ाने में शायद कोई कठिनाई न हो परन्तु वह इस ऋण को कच्चे माल की खरीद तथा दूसरे अदृश्य व्यय के लिए प्रयोग करने के लिए राजी नहीं हुए । उनका यह मत था कि इन वस्तुओं को व्यापारिक समझौतों के अन्तर्गत ही पूरा किया जाय ।

(घ) जहां इन प्रस्तावों पर चलने से कुछ उद्योगों को मन्दी से कुछ राहतें मिलेंगी अभी यह ठीक-ठीक बता सकना सम्भव नहीं है कि इससे कहां तक राहत मिलेगी ।

माल डिब्बों से कपड़े के गट्ठों का गुम होना

1386. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1967 में बनारस के निकट मण्डुआडीह के लिये वाडीबन्दर (बम्बई) से बुक की गई 9 लाख रुपये की कपड़े की गट्ठें बाद में माल डिब्बों से गुम पाई गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, लेकिन कपड़े की गांठों का वास्तविक मूल्य अभी तक मालूम नहीं हुआ है ।

(ख) जी हां, रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो और पंजाब रेलवे पुलिस की अपराध अन्वेषक एजेन्सी ने इस मामले की जांच की है ।

अब तक 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । 18 गांठें और कुछ खुदरा कपड़े जिनका मूल्य लगभग 32 हजार रुपये है, और बिक्री के 19,600 रुपये (पांच-पांच हजार के तीन बैंक ड्राफ्ट और 4,600 रुपये नकद) बरामद किये गये हैं । तीन मोटर ट्रकें भी पकड़ी गयीं हैं ।

मनीपुर के लिए लोहे की नालीदार चादरों का नियतन

1387. श्री मेघचन्द्र : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में नियन्त्रण समाप्त किये जाने की अवधि तक मनीपुर के लिये कुल कितनी मात्रा में लोहे की वलीदार चादरों का नियतन किया गया था ; और

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1966–67 में मनीपुर की जनता के लिये दिया गया सारे का सारा कोटा घटिये दर्जे का तथा लोहे की काली नालीदार चादरों का था ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) स्पष्टतः संकेत नालीदार जस्ती चादरों के बारे में है । कमी के कारण वर्ष 1962-63 से लेकर वर्ष 1966-67 तक किसी भी राज्य को नालीदार जस्ती चादरों का निर्यात नहीं किया गया ।

(ख) वर्ष 1966–67 में मनीपुर को विशेष रूप से 3,000 टन काली नालीदार चादरों का नियतन किया गया ।

Mineral Wealth in Saugar and Domoh Districts

1388 **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Saugar and Domoh districts are abound in mineral wealth ;

(b) if so, whether any survey in this regard has been made so far ;

(c) whether Government propose to set up any factory there by exploiting these minerals to end unemployment and dacoities rampant in this area ; and

(d) if so, the nature of schemes prepared in this regard ?

The Minister of State, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) :

(a) and (b) : Preliminary mineral investigation of the districts of Damoh and Saugar has been completed by the Geological Survey of India. As a result thereof, a large deposit of high-grade limestone has been recorded near Barkhera Hatta, and Narsingarh in Damoh district.

Limestones have been recorded at Dhimnoh, Dhanora, Bandora, Semadhana, Mahuakhera, Mandri and Banoighatti in Saugar District. Further work is in progress.

(c) and (d) : It is reported by the Government of Madhya Pradesh that at present there is no proposal for the establishment of any factory.

Attaching of Two/Three-Tier Bogie to Trains from Sagar

1389. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

whether it is a fact that passengers bound for Delhi from Bina Junction via Jabalpur Katni, Damoh and Sagar have to wait at Bina stati on for a long time to get accommodation in third class ; and

(b) if so, whether Government propose to attach a two or three-tier bogie to trains on this route at Sagar ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) For the convenience of passenbers from Jabalpur, Katni, Damoh and Sagar stations travelling to and from New Delhi via Bina, the facility of through travel by way of two composite I and II Class coaches running beteen Jabalpur and New Delhi and Dongargarh and New Delhi (via Katni/Bina) by 5 Dn/6 UP Punjab Mail and 57 Dn/58 Up Pathankot Express and convenient connected trains, is already available. No complaints about passengers having to wait unduly at Bina, have been received.

(b) No.

विदेशी सहयोग

1390. **श्री लोबो प्रभु** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान औद्योगिक वस्तुओं के विनिर्माण करने के लिये सहयोग का आवेदन किया था और उन्हें या तो भारत में सहयोग की अनुमति नहीं दी गई या उनके आवेदनों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया ;

(ख) उनके आवेदन पत्रों को अस्वीकार किये जाने या उनका देरी से निपटारा किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा विदेशी उद्यमकर्त्ताओं के आवेदनों के निपटारे में विलम्ब किये जाने के परिमाणस्वरूप देश में विदेशी गैर-सरकारी पूंजी के अन्तर्वाह और औद्योगिक विकास में रुकावट आ रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

सूती कपड़ों के मिलों में तकुए तथा करघे

1391. **श्री नन्दकुमार सोमानी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन सूती कपड़े की मिलों ने अन्य उद्योगों में धन लगाया है उनकी संख्या क्या है ;

(ख) ऐसी सूती कपड़े की मिलों में कितने तकुए तथा करघे लगे हुए हैं और देश में लगे कुल तकुओं तथा करघों का ये कितने प्रतिशत हैं ;

(ग) उन मिलों की तुलना में, जिन्होंने अन्य उद्योगों में धन नहीं लगाया है, इन मिलों ने कैसा कार्य किया है ; और

(घ) इन मिलों में से कितने मिल बन्द हो गये हैं और कितनों की 1966 में हानि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केरल सरकार द्वारा जापान से चावल का आयात

1392. **श्री श्रीधरन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने जापान की इल्मेनाइट का निर्यात करके वहां से बदले में चावल का आयात करने की केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुमति दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) :

(क) से (ग) इल्मेनाइट के निर्यात तथा जापान से चावल के आयात के बारे में एक निजी पार्टी से एक वस्तु विनिमय प्रस्ताव केरल सरकार के माध्यम से प्राप्त हुआ था। मामला विचाराधीन है।

भिवानी एण्ड कम्पनी के पास रुई का स्टाक

1393. **श्री शशि भूषण बाजपेयी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा आयुक्त विभिन्न सूती कपड़ा मिलों के खातों में दिखाये गये स्टाक की जांच-पड़ताल किया करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने यह पता लगाने के लिये, कि भिवानी एन्ड कम्पनी के खातों में दिखाया गया स्टाक मिल में पड़ा हुआ है अथवा उसका निबटारा कर दिया गया है, कोई जांच की थी; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निमला ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वियतनाम को निर्यात

1394. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में भारत से वियतनाम को इस्पात का निर्यात कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वियतनाम को इस्पात के निर्यात में होने वाली प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : सम्भवतः प्रश्न दक्षिण वियतनाम से सम्बन्धित है।

(क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) दक्षिण वियतनाम में होने वाले आयात को दो वर्गों में बांटा हुआ है, जैसे (1) सं० रा० औद्योगिक विकास सहायता कार्यक्रम के अधीन आयात; तथा (2) दक्षिण वियतनाम के अपने विदेशी मुद्रा साधनों के बदले आयात। पहले, भारत दक्षिण वियतनाम को सं० रा० औद्योगिक विकास सहायता कार्यक्रम के अधीन अन्य चीजों के अलावा इस्पात एवं लौह तथा इस्पात उत्पादनों का निर्यात किया करता था। 1 दिसम्बर, 1966 तथा इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवश्यकताएं सं० रा० अमरीका अथवा भारत सहित कुछ विशिष्ट विकासशील देशों से प्राप्त की जा सकती थी। किन्तु 1 जनवरी, 1967 से सं० रा० अमरीका के.....।

कपड़ा निगम

1395. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह निगम कब स्थापित हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही निगम के स्थापित हो जाने की सम्भावना है।

लोह तथा मैंगनीज अयस्क के लिये रेल भाड़ा

1396. **श्री अगाड़ी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होस्पेट से मद्रास तक बरास्ता गुंटकुल तथा होस्पेट से मरमागोआ बन्दरगाह तक बरास्ते हुबली और लोंडा लौह तथा मैंगनीज अयस्क के लाने-ले जाने पर जो भाड़ा लिया जाता है, क्या सरकार ने उसके अन्तर का हिसाब लगाया है ;

(ख) मैसूर राज्य के बेलारी जिले के स्टेशनों से मद्रास, मरमागोआ तथा करवार बन्दरगाहों को 1960-61 से 1966-67 के बीच वर्षवार कुल कितना लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क भेजा गया है ; और

(ग) मद्रास बन्दरगाह के बजाय मरमागोआ बन्दरगाह को अयस्क भेजने से रेलवे भाड़े में कितनी बचत की जा सकती थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) से (ग) एक विवरण (अंग्रेजी में), संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 166/68]

Export Promotion Programme

1396-A. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri Shiva Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the Export Promotion Programme, which had been chalked out prior to the devaluation of pound sterling ;

(b) whether some other schemes for the current year are also under consideration ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) The Export Promotion programmes chalked out prior to the devaluation of pound sterling had succeeded in arresting the fall of exports and effecting a marginal increase as is evident from the following figures :

April-November, 1966	Rs.745 crores	$ 993 Million
April-November, 1967	Rs.797 crores	$ 1062 „

(b) and (c) Measures to promote exports are under constant review. Recently, export duties have been reduced or abolished in respect of jute manufactures, tea, coir products and leather. Other suggestions are also under consideration, but details in this regard have not yet been finalised.

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन

1396-ख. **श्री उमानाथ : श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री प० गोपालन : श्री राम मूर्ति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के लिये कोई धनराशि निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ;

(ग) सरकार को इस सम्मेलन के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से कुल कितनी सहायता मिली है ; और

(घ) इस सम्मेलन के लिये कितने भारतीय कर्मचारी प्रतिनियुक्त किये गये हैं तथा उन पर कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) से (घ) जनेवा में अंकटाड के प्रधान कार्यालय की बजाय नई दिल्ली में सम्मेलन के बुलाने से होने वाले अतिरिक्त खर्च की अदायगी, भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र के बीच हुए करार के अनुसार तथा संयुक्त राष्ट्र प्रथा के अनुरूप, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र को करेगी।

वर्ष 1967–68 के लिये प्रारम्भिक रूप में 25,00,000 रु० के बजट अनुदान की व्यवस्था की गई थी। 1967–68 के संशोधित आक्कलनों तथा 1968–69 के बजट आक्कलनों में क्रमशः 75,00,000 रुपये तथा 11,98,000 रुपये के लिये अब व्यवस्था की जा रही है।

जनवरी, 1968 के अन्त तक व्यय की गई कुल राशि 1,32,850 रुपये थी।

संयुक्त राष्ट्र से सम्मेलन के लिये भारत सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलनी है।

सम्मेलन में कार्य करने के लिये अंकटाड सचिवालय ने कर्मचारी वर्ग के भिन्न-भिन्न वर्गों में लगभग 500 भारतीयों को नियुक्त किया है।

छिद्रण करने वाले बर्मों और मशीनों के निर्माण के लिए कारखाना

1396–ग. श्री कं० हाल्दर : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के लिए अपेक्षित छिद्रण करने वाले बरमों तथा अन्य प्रकार की छिद्रण करने वाली मशीनों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) सुराख करने की मशीनें बनाने के लिए कोई नया संयंत्र लगाने का विचार नहीं है। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, रांची के भारी मशीनें बनाने वाले संयंत्र में तेल निकालने के भारी बरमें बनाने की व्यवस्था पहले ही कर ली गई है।

भारत-रूस व्यापार

1396–घ. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : डा० सूर्य प्रका
श्री रामजी राम : श्री शिव कुम
श्री रामावतार शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री रूस के साथ हाल में किये गये व्यापार-करार
कृपा करेंगे?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

चूंकि 10 जून, 1963 को दोनों देशों के बीच हुआ वर्तमान
दिसम्बर, 1970 तक वैध है अतः हाल ही में रूस के साथ कोई व्याप
है। 1968 की अवधि में भारत तथा रूस के बीच विनिमय की जाने वाल
दिसम्बर, 1967 को तैयार की गई। इसके अनुसार 1963 की अवधि में
300 करोड़ रु० का व्यापार होने की आशा है। 1968 की अवधि में
निर्यात होने वाली मुख्य मदों में अनेक प्रकार का निर्मित माल, चमड़े के जूते

बिस्तर की चादरें, ऊनी बुने हुए कपड़े, चश्मे के फ्रेम, तारों के लिए एनेमल, बेले हुए इस्पात उत्पाद, सचायक, मोटर गाड़ियों के टायर तथा ट्यूबें इत्यादि शामिल हैं । इनके अतिरिक्त चाय, काफी, मसाले, अभरक, तेल रहित खली आदि जैसी परम्परागत वस्तुएं हैं । रूसी उर्वरक, गन्धक वेल्लित इस्पात उत्पाद, टीन की चादरें, रासायनिक पदार्थ, मध्यवर्ती रंजब, कच्चा एस्बस्टोस, लकड़ी की लुग्दी, अखबारी कागज, मशीनरी तथा उपकरण, रूस से सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए पुर्जे तथा संघटक, ट्रेक्टर, मशीनों के औजार, गोलियां, बेलन तथा टेपर-वीयरिंग इत्यादि का संभरण करेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बनिहाल सुरंग के निकट हिमखन्ड के गिरने के कारण कई जवानों की मृत्यु तथा सैनिक वैगनों का नष्ट होना

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : यदि एक ही विषय पर पांच या पांच से अधिक सदस्यों ने नोटिस दिये हैं तो उन पर बैलट होता है । परन्तु उसमें दिये गये नोटिसों की सख्या पांच से कम है परन्तु मेरा नाम उसमें शामिल नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस 10.30 बजे बाद प्राप्त हुआ होगा ।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : I call the attention of the Home Minister on the following matter of Urgent Public Importance and request the Home Minister to make a statement on it :

"Death of Several Jawans and destruction of Military wagons due to avelanche near Banihal tunnel ".

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, लोक-सभा को सूचित करते हुए मुझे खेद होता है, कि 26/27 जनवरी, 1968 की रात को 164 गाड़ियों का एक कांवाय एक भारी बर्फानी तूफान और अवलांश में, बनिहाल और काजीकुंद के बीच, अर्थात् ठीक बनिहाल दर्रा पार करने क पश्चात् जम्मू-काश्मीर मार्ग पर घिर गया था। एक गाड़ी एक तंग स्थान पर खराब हो गई थी, और उसके पार्श्व से निकल कर अन्य गाड़ियों का जाना सभव न था । तदनुसार, उस गाड़ी ने अपने पीछे आने वाली गाड़ियों का आगे बढ़ पाना रोक दिया । वर्षा और हिमपात शुरू हो गया, जो तूफान का रूप धारण कर गया । तदनुसार, 21 गाड़ियां वह कर, तूफान और अवलांश की प्रचंड गति से, एक खड्ड में जा गिरीं ।

2. 164 में से 21 गाड़ियां खड्ड में गिर गई थीं । आज प्रातः तक इन 21 गाड़ियों

में से 4 गाड़ियां मिल पाई हैं, और शेष 17 की अभी तक तलाश है। आज 20 तारीख की प्रातः तक (एक जे० सी० ओ० और 12 ओ० आर्ज) कुल 13 लड़ाकू सैनिकों और एक असैनिक का शव प्राप्त हो पाया है। असैनिक का शव पुलिस को सौंप दिया गया है। एक जे० सी० ओ० और 20 ओ० आर्ज अभी तक लापता हैं।

3. तलाश की सम्पूर्ति के लिए फौरी कार्यवाही हस्तगत है। तदापि, निरन्तर खराब मौसम ने संक्रियाओं को अवरुद्ध कर रखा है। एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी संगठित कर दी गई है और प्रगतिशील है।

Shri Hardayal Devgun : Inspite of the seriousnes of the matter; the Defence Ministry has not thought it proper to supply a copy of the written statement to the Members so that they may study it and can ask supplementaries. Whether any information was not received when this convoy of 164 was caught in a heavy snow storm. I want to know when the information regarding the missing of this convoy was received by the Government What are the reasons for its delay ?

Shri L. N. Mishra : There is not doubt that the incident is very serious. Recovery measures were taken immediately after the accident . The information of the incident was immediately received and immediate action was taken in this regard. There is a special arrangement for safety in this area. Traffic posts have been established every where which have full provision of wireless etc.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): The hon. Minister has just told that investigations are being made in this regard. I want to know whether some sabotage expected this accident ?

Shri L. N. Mishra : Nobody has control on nature. It is a result of natural calamity.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

इन्सट्रूमेंटेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट और इसके कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के 1966–67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1966–67 के प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 138/68]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 20 जनवरी, 1968, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या जी० एस० आर० 130 में प्रकाशित हुए थे । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 139/68]

(3) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियमन, 1951 की धारा 18-क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 10 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस० ओ० 2297 ।

(दो) दिनांक 10 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस० ओ० संख्या 3688 ।

(तीन) दिनांक 10 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस० ओ० संख्या 216। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 140/68]

(4) उपरोक्त (3) की मद (एक) तथा (दो) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

अमोनियम के आयात के बारे में विवरण

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं श्री अशोक मेहता की ओर से उर्वरकों के उत्पादन के लिये अमोनिया के आयात के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी० 141/68]

स्टेनलैस स्टील के बर्तनों के निर्यात (निरीक्षण) नियम

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता, हूँ जो दिनांक 27 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० में प्रकाशित हुए थे । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 142/68]

हरियाणा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम 1967 के अन्तर्गत राष्ट्रपति का कार्य, तथा जीवन बीमा निगम का छटवां मूल्यांकन प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) हरयाणा राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय स्टाम्प (हरयाणा संशोधन) अधिनियम, 1967 (1967 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 7) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) हरयाणा भू-राजस्व (अतिरिक्त अधिभार) अधिनियम, 1967 (1967 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 8), जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पंजाब नगरीय अचल सम्पत्ति-कर (हरयाणा संशोधन) अधिनियम, 1967 (1967 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 10) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(चार) पंजाब यात्री तथा माल करारोपण (हरयाणा दूसरा संशोधन) अधिनियम 1967 (1967 का अधिनियम, संख्या 11), जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) पंजाब मनोरंजन-कर (सिनेमेटोग्राफ शोज) हरयाणा सशोधन अधिनियम, 1967 (1967 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 13), जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 143/68]

(2) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1967 को भारत के जीवन बीमा निगम के छठे मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 144/68]

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावन्कोर लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्य के संबन्ध में सरकार की समीक्षा

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम 1965 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड के वर्ष 1966-67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड के वर्ष 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 145/68]

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम समिति के बारे में सरकारी संकल्प

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

दिनांक 10 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सरकारी संकल्प संख्या सी 2-8 (7) / 67 को एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जिसके द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम-समिति के प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत किये जाने की अवधि बढ़ायी गई है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 146/68]

रबर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :--

रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रबड़ बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 231 में प्रकाशित हुए हैं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 147/68]

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य-सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूँ कि राज्य-सभा ने अपनी 13 फरवरी, 1968 की बैठक में धान कुटाई उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1968 को पारित कर दिया है।

धान कुटाई उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक

RICE-MILLING INDUSTRY, (REGULATION) AMENDMENT BILL

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में

सचिव : मैं धान कुटाई उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक सभा-पटल पर रखता हूँ।

गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णय के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT RE : AWARD OF INTERNATIONAL TRIBUNAL REGARDING INDO-PAKISTAN BORDER IN GUJRAT—EAST PAKISTAN AREA

Shri Madhu Limye : (Monghyr) : Before hearing the statement of the Prime Minister, please listen to me. An adjournment motion and a No-confidence Motion has also come with regard to the decision of the Kutch Agreement. Therefore we request that these motions should be taken first and then the Prime Minister should make the statement afterwards.

अध्यक्ष महोदय : उससे होने वाली हानि या लाभ के सम्बन्ध में आप विचार न करें।

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : I want to raise the following point of order:

"198 (1) A motion expressing want of confidence in the Council of Ministers may be made subject to the following restrictions, namely :

(a) leave to make the motion shall be asked for after question and before the list of business for the day is entered upon".

When the No-confidence motion itself is with regard to Kutch agreement and the Prime Minister is making a statement on that very subject it is not necessary for the Prime Minister to make a statement now. I, therefore, request you kindly to take No-confidence motion first.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्र पाड़ा) : इस सम्बन्ध में नियम बिलकुल स्पष्ट हैं कि जब भी कभी अविश्वास प्रस्ताव आयेगा उसको प्राथमिकता दी जायेगी । प्रश्नकाल के पश्चात् इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिये ।

दूसरे, अविश्वास प्रस्ताव भी उसी विषय पर है जिस विषय पर प्रधान मंत्री वक्तव्य देने वाली हैं । अतः यह उचित है कि अविश्वास प्रस्ताव पर पहले विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु नियम बिलकुल स्पष्ट हैं ।

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : विपक्षी सदस्यों के अनुरोध पर ही प्रधान मंत्री वक्तव्य देने के लिये तैयार हुई थीं । यदि अब वह उन्हें सुनना नहीं चाहते तो हम इसके लिये उत्सुक नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश 2 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव पर सबसे अन्त में चर्चा की जायेगी । परन्तु मुझे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मंत्री महोदय भी वक्तव्य देने के लिये उत्सुक नहीं हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : हमें पंचाट के विषय में पूरा विवरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : उन्हें पूरा विवरण प्राप्य नहीं हुआ है अतः वह कुछ प्रारम्भिक वक्तव्य ही देंगे । इस सम्बन्ध में अविश्वास प्रस्ताव भी है अतः उन्हें वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह वह स्वयं ही निर्णय करेंगी कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें अथवा नहीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम इस सम्बन्ध में वक्तव्य नहीं चाहते, परन्तु हम चाहते है कि सरकार इस सम्बन्ध में पूरा आश्वासन दे कि वह उस क्षेत्र पर पाकिस्तान को जबरदस्ती कब्जा नहीं करने देगी ।

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : यद्यपि आपने अपना निर्णय दे दिया है फिर भी हमें विश्वास है कि प्रधान मंत्री हमारे साधारण अनुरोध को स्वीकार करेंगी ।

*** **अध्यक्ष महोदय** : अब कुछ भी सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा। (अन्तर्बाधायें)

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान क्षेत्र में भारत पाकिस्तान की सीमा के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय

*** सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया ।
***Not Recorded :

न्यायाधिकरण ने कल जनेवा में अपना पंचाट दिया । सरकार को यह पंचाट अभी प्राप्त नहीं हुआ है । अतः मेरा वक्तव्य वाणिज्य दूतावास से प्राप्त संदेश के आधार पर ही आधारित है ।

न्यायाधिकरण का पंचाट देने का उद्देश्य भूतपूर्व कच्छ राज्य तथा सिंध प्रदेश के बीच विभाजन के समय की सीमा का निर्धारण करना है । हमारा मामला विभिन्न योग्य व्यक्तियों ने न्यायाधिकरण में प्रस्ताव किया । पाकिस्तान ने कच्छ क्षेत्र में लगभग 3500 वर्ग मील पर दावा किया था । हमारा दावा यह था कि समस्त रन आफ् कच्छ भारत का अंग है । मैं इस बात से सहमत हूँ कि यह बहुत गम्भीर मामला है । सरकार पूरे विवरण की प्रतीक्षा कर रही है जिसका अध्ययन किया जायेगा । तब ही हम ऐसी स्थिति में होंगे कि हमें इसका पूरा ब्यौरा दे सकें।

अध्यक्ष महोदय : अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा । मैं आपको यह सूचित करता हूँ कि यदि कोई महत्वपूर्ण मामला होगा तो मैं उसके सम्बन्ध में चर्चा करने की अनुमति दूंगा ।

अध्यापकों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: TEACHERS' STRIKE

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि दिल्ली के अध्यापकों ने इस आधार पर कि उनकी मांगें सरकार द्वारा नहीं मानी गई हैं, 19 फरवरी, 1968 से फिर से आम हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है । उनकी मुख्य मांग वेतन-मानों के संशोधन के बारे में थी । माननीय सदस्य मेरे 21 दिसम्बर, 1967 के वक्तव्य को देखेंगे जिसमें मैंने सभा को सूचित किया था कि देश के विभिन्न भागों के विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के वेतन मानों को ध्यान में रखते हुए और इस मामले से सम्बन्धित अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए, सरकार ने दिल्ली के अध्यापकों के वेतन-मानों को संशोधित करने का निर्णय किया है । इस घोषणा के बाद, सरकार ने मैट्रिक प्रशिक्षित प्राथमिक अध्यापकों के संशोधित वेतन-मान की अधिकतम राशि 250 रु० से 270 रु० बढ़ाकर उसे हायर सेकेण्डरी प्रशिक्षित प्राथमिक अध्यापकों के वेतनमान की अधिकतम राशि के बराबर कर दिया है । संशोधित वेतन-मान अनुबन्ध में दिये गये हैं । द्वितीय वेतन-आयोग की सिफारिशों के अनुसार जिन सिद्धान्तों के आधार पर केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के वेतन-मान संशोधित किये गये थे, उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर दिल्ली के अध्यापकों के वेतन-मान भी 1959 में संशोधित किये गये थे । इस स्थिति में कोई विशेष कारण नहीं कि केवल दिल्ली के ही अध्यापकों के वेतन-मान संशोधित किये जाते । देश की वर्तमान अत्यन्त कठिन वित्तीय हालत को देखते हुए यह समय ऐसे किसी भी कार्यक्रम पर विचार करने का नहीं था, चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, जिसमें काफी रकम खर्च होती हो । फिर भी एक बहुत ही विशेष मामले के तौर पर, सरकार ने

दिल्ली के अध्यापकों के वेतन-मान संशोधित करने का निर्णय किया और दिल्ली प्रशासन से इस निर्णय पर मूलभूत नियमों के अनुसार 21 दिसम्बर, 1967 से अमल करने के लिए कहा गया ।

2. संशोधित वेतन-मान सभी श्रेणियों के अध्यापकों के विद्यमान वेतन-मानों से अच्छे हैं, सभी वेतन-मानों के अधिकतम वेतनों में तो बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ न्यूनतम वेतन-मानों में भी आम वृद्धि हुई है । बहुत से मामलों में तो वार्षिक तरक्की की दर में भी सुधार हुआ है । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत अधिक महंगाई-भत्ते का पूरा पूरा लाभ भी दिल्ली के अध्यापकों को मिल रहा है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संशोधित वेतन-मानों के अधीन, दिल्ली के सभी श्रेणियों के अध्यापकों का कुल वेतन शिक्षा आयोग द्वारा सिफ़ारिश की गई और देश के अधिकांश भागों में उनके ही हम-पेशा अध्यापकों से आम-तौर पर ज्यादा है ।

3. यह सभी जानते हैं कि अध्यापकों की आर्थिक हालत सुधारने में मेरी कितनी सहानुभूति है । किन्तु यह एक ऐसा मामला है जिस पर विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से फिलहाल देश जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसमें आर्थिक साधनों की उपलब्धता को देखते हुए राष्ट्रीय आधार पर हल करना होगा । और न ही सारे देश के अध्यापकों के लिए वेतन-मानों की सामान्य पद्धिति को अलग रख कर केवल दिल्ली के अध्यापकों के वेतन-मान संशोधित करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है । यदि ऐसा हो भी, तो सरकार ने दिल्ली के अध्यापकों की मांगों को पूरा करने में, जहाँ तक वे व्यावहारिक हैं, यथासंभव प्रयास किये हैं । वास्तव में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, संशोधित वेतन-मानों के अन्तर्गत दिल्ली के सभी वर्गों के अध्यापकों की स्थिति पहले की अपेक्षा तथा देश के लगभग सभी अन्य भागों के अध्यापकों की अपेक्षा अच्छी होगी ।

4. दिल्ली के अध्यापकों की अन्य मांगें दिल्ली में शिक्षा का एकीकृत नियंत्रण तथा सेवा शर्तों में समानता के संबंध में हैं । ये मांगें मुख्यतः प्रशासनिक प्रकृति की हैं और पहले इनकी सभी पहलुओं से सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारियों, अर्थात् दिल्ली प्रशासन तथा अन्य स्थानीय निकायों द्वारा जांच की जानी है ।

5. इनमें से किसी भी मांग के लिए दिल्ली के अध्यापकों द्वारा जो आन्दोलनात्मक रवैया अपनाया गया है वह उचित नहीं है । मुझे विश्वास है कि उनकी इस कार्यवाही से विद्यार्थियों के आचरण तथा प्रगति पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उसे वे समझेंगे । देश अध्यापकों से आशा करता है कि वे ऐसा वातावरण तैयार करें जो अनुशासनप्रिय हो, जो राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत जरूरी है । इसलिए, मैं अध्यापकों से अपील करूंगा कि वे हड़ताल समाप्त कर दें और अपनी सभी शक्ति तथा अपना समय उन छात्रों की देखभाल में लगाएँ जिनकी जिम्मेदारी उन्हें दी गयी है । मैं सदन के माननीय सदस्यों से तथा छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों से भी अपील करता हूँ कि वे अपने सद्भाव का प्रयोग करके अध्यापकों को समझाने का प्रयत्न करें कि उनका छात्रों के प्रति यह कर्त्तव्य है कि वे ऐसे कार्य-कलापों में न लगें

जो उनके विद्यार्थियों के हितों को नुकसान पहुंचावें तथा जिनसे उन्हें भी कोई लाभ नहीं होता।

क्रम संख्या	अध्यापकों की श्रेणियां	वर्तमान वेतन-मान (रुपयों में)	पुनरीक्षित वेतन-मान (रुपयों में)
1	2	3	4
1	चौथी श्रेणी के अध्यापक (प्राइमरी कक्षाएं)	118-4-170-ई० बी०-5-200-ई० बी०-5-225.	118-4-150-5-160-8-200-ई० बी०-8-240-10-270. (मैट्रिक पास अध्यापकों के लिये)। 126-4-150-5-160-6-200-ई० बी०-8-240-10-270. (हायर सेकन्डरी पास अध्यापकों के लिये)।
2.	संगीत अध्यापक (श्रेणी दो)	118-4-170-ई० बी०-5-200-5-225.	126-4-150-5-160-8-200-ई० बी०-8-240-10-270.
3.	मुख्य अध्यापक / मुख्य-अध्यापिकाएं (प्राइमरी स्कूल)	150-5-160-8-240	160-8-240-ई० बी०-15-300.
4.	शिक्षित स्नातक, अध्यापक श्रेणी तीन तथा इसी वेतन मान के अन्य सब अध्यापक	160-8-256-ई० बी०-8-280-10-300.	175-8-215-ई० बी०-10-275-ई० बी०-15-350.
5.	शिक्षित स्नातक, अध्यापक श्रेणी दो तथा इसी वेतन मान के अन्य सब अध्यापक	170-10-290-ई० बी०-15-380.	190-10-290-ई० बी०-15-425.
6.	मुख्य अध्यापक / मुख्य अध्यापिकाएं (माध्यमिक स्कूल)	210-10-290-ई० बी०-15-395.	220-10-290-ई० बी०-15-425-ई० बी०-15-470.
7.	अध्यापक श्रेणी एक (स्नातकोत्तक अध्यापक)	250-10-290-15-380-ई० बी-15-470.	275-10-295-15-370-ई० बी०-15-490-ई० बी०-20-550.

8.	वाइस प्रिंसीपल	325-15-475-ई० बी०-20-575.	350-15-470-ई० बी०-20-650.
9.	प्रिंसीपल	425-25-500-30-680.	425-25-500-30-590-ई० बी०-30-800-ई० बी०-30-830-35-900.
10.	ड्राइंग अध्यापक (श्रेणी तीन) और अन्य अध्यापक इस वेतन मान में	130-5-160-8-200-ई० बी०-8-256-ई० बी०-8-280-10-300	140-5-160-8-200-ई० बी०-8-240-ई०-बी०-10-300-15-330.
11.	प्रयोगशाला सहायक	(i) 40-2-60-5/2-75-3-90.	
		(ii) 75-1-85-2-95.	110-3-131-4-155-ई०बी०-4-175-5-180. (विज्ञान के साथ मैट्रिक पास अध्यापकों के लिये)

*नोट :—उपरोक्त लिखित पुनरीक्षित वेतनमानों में मूल वेतनों के अतिरिक्त अध्यापकों को केन्द्रीय सरकार की दरों पर मंहगाई-भत्ता भी मिलेगा ।

निदेश 115 के अधीन सदस्य द्वारा वक्तव्य तथा मंत्री द्वारा उसका उत्तर

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 AND MINISTER'S REPLY THERETO

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, Some months ago I invited the attention of the Minister of Commerce, Shri Dinesh Singh to the inaccuracy in his statement made by him in response to Starred Question No. 993 on 7th July 1967. He said that those firms, which have illeglly sold their import licences for Nylon filament yarn to other firms, had been blacklisted. He misled the House by giving this wrong information. The fact is that they have still not been blacklisted. He did not take trouble to correct his mistake even after his attention was invited to it. So the House should reprimand him and he should apologize to the House.

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : The hon Member has said that I misled the House by the information given by me in reply to Starred Question No. 993 on 7th July 1967. While answering a supplementary question I said that "action is being taken to blacklist such firms, which was wrongly printed in Hindi version of the same. In place of Ho Rahi Hai (is being taken) Ho Gai Hai (has been taken) was prin ted. Shri Madhu Limaye wrote to me about it on 2nd August, 1967 but the Editor of Debates was already informed about it on 13th July 1967. I said that "action is being taken (or has been taken) in this matter". The action for blacklisting the firms was initiated even before I replied that question. So there is no question of misleading the House. In my reply I wrote to Shri Madhu Limaye stating all these facts. Thereafter he did not contact me and I took it as the closed chapter over this matter. It will make it clear that I never tried to mislead the House.

मंत्री परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे सर्वश्री बलराज मधोक और श्रीचन्द गोयल से मंत्री परिषद में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना मिली है । कच्छ मामले को उचित रूप से न लेना उसका कारण बताया गया है । जो सदस्य इसे अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं, वे अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें । चूंकि 50 से अधिक सदस्य खड़े हुए हैं इसलिये इसे अनुमति दी जाती है ।

संसदीय-कार्य तथा संचार-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): यदि आप अनुमति दें, तो इस प्रस्ताव पर अभी वाद-विवाद हो जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आज की कार्य सूची में बहुत सी बातें विचार-विनिमय के लिये हैं और उन सबको स्थगित नहीं किया जा सकता। मैं इसके लिये कोई सुविधापूर्ण समय नियत करूंगा ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय दो सदस्यों के आचरण सम्बन्धी प्रस्ताव

MOTION RE: CONDUCT OF TWO MEMBERS DURING PRESIDENT'S ADDRESS

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि इस प्रस्ताव पर सभा में विचार न किया जाये ।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णय के बारे में

RE : AWARD OF INTERNATIONAL TRIBUNAL REGARDING INDO-PAKISTAN BORDER

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : श्री सौंधी के इस कथन के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि कच्छ निर्णय के बारे में प्रचार किया जा रहा है। श्री सौंधी ने यह निष्कर्ष किस आधार पर निकाला है ? उन्हें अपने वक्तव्य की पुष्टि के लिये ठोस प्रमाण देने चाहिये । अन्यथा वह अपने शब्द वापस लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री नाथ पाई को बोलने के लिये कहा है ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : जो बात श्री सौंधी ने कही है, उस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये । कच्छ निर्णय सम्बन्धी दस्तावेज अभी हमारे पास नहीं हैं । हमने

अभी तक उनका अध्ययन नहीं किया । फिर ऐसी स्थिति में आकाशवाणी तथा अन्य प्रचार साधनों का प्रयोग इसके प्रचार के लिये क्यों किया जा रहा है ? रेडियो के सुनने से ऐसा आभास होता कि स्वतंत्रता से बाद में कच्छ निर्णय से अच्छी कोई बात भारत के लिये नहीं हुई । इस प्रकार से प्रचार करके सरकार उक्त निर्णय को स्वीकार किये जाने का वातावरण तैयार कर रही है । सरकार चाहती है कि संसद् इसे आसानी से स्वीकार कर ले । मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सरकार को ऐसा करने से रोकने की कृपा करें।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय दो सदस्यों के आचरण के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : CONDUCT OF TWO MEMBERS DURING THE PRESIDENT'S ADDRESS

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही ग्रहीत किया जा चुका है । यह आज की कार्य-सूची में है । वैसे आपको इस पर बोलने का अवसर दिया जायेगा ।

अब श्री वेंकटासुब्बया अपना प्रस्ताव पेश करें । (अन्तर्बाधाएं) यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति है, तो प्रस्ताव के पेश किये जाने के पश्चात् वह अपनी बात कह सकता है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि यह सभा सर्वश्री मौलाना इसहाक सांभली तथा ही० ना० मुकर्जी के आचरण का कड़ा निरनुमोदन करती है जिन्होंने 12 फरवरी, 1968 को संविधान के अनुच्छेद 87 के अन्तर्गत एक-साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय बाधा डाली तथा उनके प्रति असम्मान प्रदर्शित किया तथा उनके अवांछनीय, अभद्र एवं अनुचित व्यवहार के लिए उनकी भर्त्सना करती है ।"

श्री स० मो० बनर्जी : जो कार्य इस समय सभा के सामने है मेरा व्यवस्था का प्रश्न उससे सम्बद्ध है । मेरा निवेदन यह है कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसके अधीन उपरोक्त प्रस्ताव पेश किया जा सके । नियम 184 में यह व्यवस्था है कि सामान्य लोक महत्व के विषय पर सभा में अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किसी प्रस्ताव द्वारा चर्चा की जा सकती है । मेरा निवेदन यह है कि यह प्रस्ताव नहीं है और उसे ग्रहीत नहीं किया जा सकता । नियम 186 के अनुसार किसी भी प्रस्ताव में दोषारोपण, व्यंगात्मक अभिव्यक्तियां या अपमानजनक वक्तव्य नहीं होना चाहिये । परन्तु यह प्रस्ताव अपमानजनक है ।

प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्ध श्री ही० ना० मुकर्जी तथा श्री इशाक साम्भली के आचरण से सम्बन्ध है । परन्तु उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय क्या कहा था इसका कोई रिकार्ड नहीं मिलता । तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने अपमानजनक या अभद्र भाषा का

प्रयोग किया है । नियम 193 के अधीन यह प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता था परन्तु इसे नियम समिति में भेजा जाना चाहिए था तथा प्रस्ताव पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया जाना चाहिये था । यह प्रस्ताव न तो नियम समिति को भेजा गया और न कार्य मंत्रणा समिति को ही । अतः यह प्रस्ताव सभा में पेश नहीं किया जाना चाहिये था । मेरे विचार से आप सम्बन्धित सदस्यों की भर्त्सना कर सकते थे या उनके विरुद्ध कुछ और कार्यवाही कर सकते थे । पहले ऐसा प्रस्ताव कभी भी स्वीकार नहीं किया गया । नियमों के अधीन यह ग्रहीत नहीं किया जा सकता । दूसरे यह संविधान के भी विरुद्ध है । अनुच्छेद 19 के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है । प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति के सामने सरकार की त्रुटियों को लाने का अधिकार है । मेरे विचार से यह प्रस्ताव गलत है और इस पर सभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिये ।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : इस व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि यह प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है । यह नियम 185 के अनुसार ठीक है । इसके अनुसार किसी भी प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष को लिखित रूप में दी जानी चाहिए और फिर अध्यक्ष अपने विवेक से उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है । दूसरे इससे नियम 186 का उल्लंघन नहीं होता । यदि इस सभा में सदस्यों के दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता या विशेषाधिकार-हनन के मामलों को इस तर्क के आधार पर, कि वह व्यंगपूर्ण या अपमानजनक है, तो हम सभा में इस प्रकार की किसी भी बात पर चर्चा न कर सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह पहला अवसर नहीं है जब कि ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है । नियम और ऐसे पूर्व-उदाहरण भी मैंने ध्यानपूर्वक देखे हैं । इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मध्याह्न भोजन के पश्चात् श्री वेंकटासुब्बया अपना भाषण देंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक–सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at past Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटासुब्बया अपना भाषण आरम्भ करें ।

Shri Madhu Limaye : (Monghyr) Sir, I would like to raise another point of order.

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : जब कि मैं भाषण आरम्भ करने के लिये खड़ा हुआ हूँ उस समय क्या यह उचित है कि व्यवस्था के प्रश्न उठाये जायें ?

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि श्री मधु लिमये का एक नया व्यवस्था का प्रश्न है, इसलिये मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देता हूँ । अब वह अपना व्यवस्था का प्रश्न उठायें ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । वह यह कि व्यवस्था का प्रश्न ऐसे विषय पर उठाया जाता है जो सभा के सामने हो । अभी तक तो प्रस्तावक ने एक भी वाक्य नहीं बोला है । फिर व्यवस्था का प्रश्न किस सम्बन्ध में ? पहले प्रस्तावक को बोलने दीजिये फिर श्री मधु लिमये जी व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव किये जाने के तत्काल बाद व्यवस्था के प्रश्न उठाये जा सकते है क्योंकि सभा के सामने प्रस्ताव होता है, चाहे प्रस्तावक ने भाषण दिया हो अथवा नहीं । अब श्री लिमये अपना व्यवस्था का प्रश्न उठायें ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, you please control him. Much time has been wasted. Let us first go through the wordings of this resolution ; Mr. Venkatasubbaiah states.

"कि यह सभा सर्वश्री मौलाना इसहाक साम्भली और ही० ना० मुकर्जी के आचरण का कड़ा निरनुमोदन करती है जिन्होंने बाधा डाली तथा राष्ट्रपति के प्रति असम्मान प्रकट किया"

Now, Mr. Speaker, the question is about facts. I remember, and you might also remember that you were sitting near me and Shri Mukerjee was sitting beside me. The President's Address had not started when Shri Mukerjee got up. Then the President stopped, and allowed him to continue.

Only after this Mr. Mukerjee uttered a few sentences and while doing so he bowed before the President. So, the question relates to facts. He has said that—

"·····और राष्ट्रपति के प्रति असम्मान प्रदर्शित किया·····"

I am taking the facts, and am not going into the merits of the case. In view of the facts I beg to say that it is not a constitutional proceeding before the House. Place the one if any. I am objecting in regard to this very fact only. Ordinarily, the acts are determined on the basis of the report of the official proceedings of the House. In that joint session, or joint meeting, no official proceedings are available. Mr. Venkatsubbaiah can say it one time, but I can forcefully say that he (Mr. Mukerjee) was sitting beside me and while he walked out of the Chamber I followed him. He bowed before he left, and we too did the same. Therefore, the facts are absolutely wrong that Mr. Hiren Mukerjee either disrespected or insulted the President.

I have a fundamental objection about his tabling a motion on the event that never occurred. Further there is no official proceeding thereof. I therefore think, that Mr. Mukerjee and me never disrespected the President, but in fact we paid him due regards.

I had visited the President also and I had informed him that we may have to resolve a walk-out. I however wish to make it clear that we had no intention to insult him.
(interruption)

I may mention Rule No. 184 and say that according to the procedure, this resolution becomes a case of breach of privileges. Any contempt of the House can come within breach of of privlege and Mr. Ventakta subbaih's motion should have come under a breach of privilege, if the facts stated by him are correct. But I want to say that those are not correct. But even if if you consider them correct then still, I think that this should come within the purview of Rule 222 under the Procedure for breach of privilege. When someone speaks in between, you call it an interruption and its repitition is called obstructions ; but Mr. Mukerjee was not stopped by the President as he stopped Mr. Sambhali by raising his hand, rather the President appeared to be desirous of hearing Mr. Makerjee as was obvious from his (Presidents) facial indications. In view of this. I do not understand how a seniorMember like Mr. Venkatasubbaiah has brought this resolution. Mr. Speaker, for a ruling in this matter you may consider also the procedure contained in the 17th Edition of the May's Parliamentary Practice which forbids the use of

treasonable or seditious language ; reflections on the conduct of the sovereign, the heir of the throne, and which provides a scope of reading some Bill even before the Queen's speech is recorded. But Mr. Hiren Mukerjee has neither used a treasonable or seditious language nor has he uttered anything against the President. He has ofcourse said something before the President started his address, which does not amount to any disrespect or dishonour to the President. You please put your ruling on these of my three points and then the discussion will be resumed.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनकी बात सुनी है तथा मैं अपना निर्णय देना चाहता हूँ ।

श्री स० मो० बैनर्जी (कानपुर) : आपने केवल दो बातें सुनी हैं । मैं अपना भाषण नहीं देता ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठें ।

श्री स० मो० बैनर्जी : वे पत्र कहां हैं जिन पर यह उठाया गया है ; हम उन दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तीन बातें उठाई गयी हैं । यदि मैं चूकता नहीं हूँ तो ऐसी ही घटना सन् 1963 में हुई थी और एक समिति स्थापित की गई थी ।

श्री मधु लिमये : अवैध रूप से ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन ने उसके प्रतिवेदन का अनुमोदन किया था ।

श्री स० मो० बैनर्जी : मेरे पास प्रतिवेदन है.....

श्री वें० वेंकटासुब्बया : व्यवस्था के प्रश्न पर उन्होंने सदन की कार्यवाही के संदर्भ में "अवैध" शब्द का प्रयोग करके सारे सदन का अपमान किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ कि यह पूर्णतया वैध है । इन्होंने तीन बातें उठाई हैं । संयुक्त बैठक के संदर्भ में, मामला एक समिति में उठाया गया था । संयोगवश श्री ही० ना० मुकर्जी भी सदस्य थे, यद्यपि वे अन्त तक अनुपस्थित रहे थे । हर प्राप्य रिकार्ड स्वीकृत हुआ था तथा उसका कोई नियमित वृत्तान्त नहीं रखा गया था ।

Shri Madhu Limaye : Had I been there I would have never allowed such a Committee to be appointed.

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे सम्मुख पूर्व उदाहरण था । हम प्रस्ताव पर आगे बढ़ें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इसके प्रस्ताव का क्या आधार है ?

Shri Madhu Limaye : Give your ruling on all the three, one by one.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे रहा हूँ । जहां तक वृत्तान्त का सम्बन्ध है, तथ्य का सुनिश्चय हो गया था तथा वह स्वीकृत भी हो गया था ।

श्री स० मो० बैनर्जी : किसने सुनिश्चित व स्वीकृत किया ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह सहन नहीं करूँगा । उनका क्या अभिप्राय है ?

श्री स० मो० बैनर्जी : यह गलत प्रस्ताव है ।

उपाध्यक्ष महोदय: इसके बारे में वह कुछ भी समझें मैं अपने अधिकारों में रह कर निर्णय दे रहा हूँ। सदन द्वारा गठित समिति के पास जो भी रिकार्ड था वह स्वीकृत हुआ था। यद्यपि कोई नियमित रिकार्ड नहीं रखा गया था।

श्री चं० चु० देसाई : रिकार्ड रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री लिमिये सुनना नहीं चाहते तो मैं उनके व्यवस्था के प्रश्न को उड़ा दूँगा और प्रस्तावक को आगे बढ़ने को कहूँगा। तब रिकार्ड का प्रश्न निपट गया था। विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में···

Shri Madhu Limaye : I said it comes under Privilege.

उपाध्यक्ष महोदय : उस उपबन्ध से टकराता है। यह उचित नहीं है। संविधान के एक प्रादेशात्मक उपबन्ध के अनुसार दोनों सदनों के समक्ष भाषण देना राष्ट्रपति के लिये अनिवार्य है।

Shri Madhu Limaye : He had not stopped him (President).

उपाध्यक्ष महोदय : अतः विशेषाधिकार का प्रश्न इस संदर्भ में सम्बन्धित नहीं है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : श्री स० मो० बनर्जी तथा श्री मधु लिमये ने बहुत से व्यवस्था के प्रश्न उठाये हैं। आपने स्वयं उनको निपटा दिया है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है। मैं माननीय श्री मुकर्जी का बहुत आदर करता हूँ। हमें यहां पर महान संसदीय परम्पराएं स्थापित करनी हैं। इनसे देश के अन्य विधान मण्डलों को प्रेरणा मिलेगी। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं हो रही है। यह हमारा कर्तव्य है कि सभा में नियमों के अनुसार कार्य करें और यहां पर स्वस्थ परम्पराएं स्थापित करें। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के एक भाग हैं। उनका अपमान संसद् का अपमान है। इस प्रकार यह विषय संवैधानिक औचित्य का है। कोई भी सदस्य संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

यहां आपत्ति की गई है कि इस बारे में कोई नियम नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अध्यक्षपीठ का निदेश संख्या 124 (1) इस बारे में बहुत स्पष्ट है। सेन्ट्रल हाल तथा लाबी सभा-भवन का भाग हैं। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देते हैं। यह कार्य वह संविधान के अन्तर्गत करते हैं। जब राष्ट्रपति अभिभाषण दें उस समय सभा की गरिमा का ध्यान रखना सभी माननीय सदस्यों का कर्तव्य है। ऐसे अवसर पर राष्ट्रपति के प्रति मान न दिखाना अनुचित है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर प्रति वर्ष बड़ी गम्भीरता और गरिमा से कार्यक्रम का अनुसरण होता है। ऐसे अवसर पर किसी सदस्य को अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिये। इस बार इन सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय सदन त्याग करके अनुचित कार्य किया है और राष्ट्रपति का अपमान किया है। ऐसा करना संविधान का भी अपमान है। इस प्रकार यह एक बहुत गम्भीर विषय है।

1963 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी । उस समय अध्यक्ष महोदय ने एक समिति का गठन किया था और राष्ट्रपति के प्रति ऐसे व्यवहार पर खेद प्रकट किया गया था । सभा में बहुत से सदस्यों ने उस घटना की निन्दा की थी । उस समय जो समिति गठित की गई थी, उस समिति की सिफारिश संख्या 28 के अनुसार यदि भविष्य में कोई सदस्य गड़बड़ करेगा तो ऐसा प्रस्ताव लाया जायेगा । प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने भी उस समय सभा में कहा था कि भविष्य में इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिये । हमें उस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करनी चाहिये । राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव पर बोलते समय जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस घटना की निन्दा की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा सर्वश्री मौलाना इसहाक सांभली तथा ही० ना० मुकर्जी के आचरण का कड़ा निरनुमोदन करती है जिन्होंने 12 फरवरी, 1968 को संविधान के अनुच्छेद 87 के अन्तर्गत एक-साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय बाधा डाली तथा उनके प्रति असम्मान प्रदर्शित किया तथा उनके अवांछनीय, अभद्र एवं अनुचित व्यवहार के लिये उनकी भर्त्सना करती है ।"

श्री मधु लिमये (मुंघेर) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री चं० चू० देसाई (साबरकंठा) मुझे श्री वेंकटासुब्बया के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बहुत प्रसन्नता है । राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है । स्वतन्त्र पार्टी संसदीय शिष्टता में विश्वास रखती है । हमारे कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध विचार हो सकते हैं परन्तु इस प्रकार का ढंग अपनाना ठीक नहीं है । और फिर जब श्री हीरेन मुकर्जी जैसे वरिष्ठ सदस्य ने ऐसा कार्य किया हो ।

राष्ट्रपति हमारे राज्याध्यक्ष हैं । उनका अभिभाषण पूरी सरकार की ओर से माना जाता है ।

हमें भी सरकार के विरुद्ध शिकायतें हैं परन्तु ये शिकायतें संवैधानिक तरीकों से भी बतायी जा सकती हैं । हम इसी प्रयोजन से सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव रख रहे हैं । यही लोकतंत्रीय ढंग है । राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उठकर चला जाना या अवांछनीय नारे लगाना उचित नहीं है । इस प्रकार की घटना पहले भी हुई थी और इस मामले की जांच करने के लिये 1963 में एक समिति नियुक्ति की गयी थी । इस समिमित ने सिफारिश की थी कि यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भविष्य में किसी सदस्य ने अव्यवस्था पैदा की, तो उसे सभा से निलम्बित कर दिया जाये और निलम्बन की कालावधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है ।

हम इस सभा में अच्छी परम्पराएं स्थापित करना चाहते हैं । हम संसदीय प्रथाओं

और लोकतंत्रीय शिष्टाचार के पक्षपाती हैं । जिन सदस्यों ने गलती की है, यदि वे उस पर पश्चाताप नहीं करते और खेद व्यक्त नहीं करते तो मुझे आशा है कि सभा इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह प्रस्ताव केवल दो सदस्यों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है जबकि बहिर्गमन करने वालों की संख्या 70 से 80 सदस्य थी । क्या केवल दो सदस्यों को सजा देना और शेष सदस्यों को सजा न देना उचित है ? क्या कानून की दृटि से यह समानता है ? मैं इस सम्बन्ध में सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 14 की ओर दिलाता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य उन सभी सदस्यों के नाम इस सूची में सम्मिलित करना चाहते हैं तो उन्हें इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यदि केवल बहिर्गमन से ही सभा का विशेषाधिकार भंग होता है या राष्ट्रपति का अपमान होता है तो बहिर्गमन करने वाले हम सभी सदस्य एक-जैसे दोषी हैं । केवल दो सदस्यों को सजा नहीं दी जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प के प्रस्तावक ने स्वयं यह कहा है कि उन्होंने सभा के शिष्टाचार और सम्मान को ध्यान में रख कर यह संकल्प प्रस्तुत किया है। केवल सांकेतिक सजा के लिये दो नामों का उल्लेख किया गया है । इसलिए इस सूची में सभी नाम सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : I want to say that it is not necessary for us to follow the conventions of British Parliament strictly. I am also not of the view that we should take shelter of the Report of the Committee in which Shri H.N. Mukerjee was a Member. I think the situation has now been changed in the House. In my opinion there should be an all-party Committee to deal with such Resolutions. This Committee should consider this question seriously and take decision with regard to the matters which are considered to be an insult to the President. I agree that we should maintain the dignity of the House.In view of this, the matter should be referred to all-party Committee and thereafter a code of conduct should be evolved as to where a line should be drawn.

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा): मेरे विचार में एक आचार संहिता बनायी जानी चाहिये । संयुक्त समाजवादी पार्टी का आचरण भी काफी हद तक साम्यवादी पार्टी की तरह है । साम्यवादी दल की अन्य प्रदेशों की निष्ठा अधिक है, वे मास्को और पेकिंग से आदेश प्राप्त करते हैं परन्तु देश में अन्य दल भी हैं जो सत्ता को सम्भालना चाहते हैं । (व्यवधान) उन्हें देश की अखण्डता का ध्यान रखना चाहिये जिससे इसकी स्वतंत्रता बनी रहे । इसलिये यह मामला एक समिति को सौंप देना चाहिये जो इस सारे मामले की जांच करे ।

श्री कन्डप्पन (मैदूर) : इस संकल्प की भाषा बड़ी कठोर है और इसमें कहा गया है कि सम्बन्धित सदस्यों का आचरण अवांछनीय, अभद्र और अनुचित था । क्या कांग्रेस पार्टी

इस बात से इनकार कर सकती है कि 1967 के चुनावों के बाद राजनीतिक स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है? आधे से अधिक राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बन गयी हैं जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि देश में राजनीतिक ढांचे का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये। प्रो० मुकर्जी जैसे लोगों की भर्त्सना करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। प्रो० मुकर्जी सदा संयम से काम लेते हैं। उन्होंने सदा सभा के सम्मान का ध्यान रखा है। द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम पार्टी के सदस्य भी राष्ट्रपति के अभिभाषण सभा से अनुपस्थित थे और इस अनुपस्थिति को भी राष्ट्रपति का अपमान कहा जा सकता है। हमारा राष्ट्रपति के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हमने यह कार्यवाही केवल इसलिये क्योंकि किसी विशेष मामले में सरकार ने हमें संतुष्ट नहीं किया।

सभा में राष्ट्रपति के आने और अभिभाषण देने के बारे में संवैधानिक दायित्व की बात कही गयी है। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उपस्थित रहना और राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनना अनिवार्य है? (व्यवधान) नहीं, यह आवश्यक नहीं है।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूँ कि अब समय ऐसा आ गया है कि इस प्रकार भर्त्सना करने के स्थान पर कांग्रेस को ईमानदारी के साथ ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिसके अनुसार वे इस देश के नागरिकों के सहयोग से शासन करें।

यदि प्रो० मुकर्जी बंगाल की स्थिति के बारे में क्षुब्ध हुए हैं तो इसमें क्या गलत बात है? प्रो० मुकर्जी का सम्बन्ध पश्चिम बंगाल से है, अतः उन्होंने पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। यह हो सकता है कि प्रो० मुकर्जी का यह ढंग कांग्रेस के सदस्यों को अच्छा न लगा हो। परन्तु उन्होंने अपने निर्णय के अनुसार अपने क्रोध और भावनाओं को उस समय अभिव्यक्त कर दिया। यह अलग बात है कि हम इसका अनुमोदन करें या न करें। भिन्न-भिन्न राय हो सकती हैं परन्तु निश्चय ही यह भर्त्सना का मामला नहीं है। मैं श्री वेंकटासुब्बया से अनुरोध करता हूँ कि वह इस प्रस्ताव को वापिस ले लें। सभा में सभी सदस्य यह महसूसे करते हैं कि इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय अपने चेम्बर में सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलायें और वहां पर इसका निर्णय किया जाये। वर्ष 1963 की समिति के प्रतिवेदन के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि अब राजनीतिक स्थिति काफी बदल गयी है।

श्री रा० ढो० भन्डारे (बम्बई-मध्य) : श्री वेंकटासुब्बया ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत करके संसदीय संस्था के लिये बहुत बड़ा काम किया है। इसमे संवैधानिक औचित्य का प्रश्न है। राष्ट्रपति ने अभी अपना अभिभाषण आरम्भ किया ही था कि कुछ सदस्यों ने उठकर एक वक्तव्य दिया। क्या यदि यह राष्ट्रपति को बोलने से रोकना नहीं है तो और क्या है? मैं चाहता हूँ कि संसदीय संस्था की पवित्रता की रक्षा की जाये। इसीलिये यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो भी व्यक्ति संसदीय संस्था के संचालन में बाधा उपस्थित करने का प्रयत्न

करता है हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। यही इस प्रस्ताव का प्रयोजन है। सभा को इन दो सदस्यों की भर्त्सना करनी चाहिये।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : इस संकल्प को प्रस्तुत करने के पीछे क्या मनोवृत्ति काम कर रही है यह बात मुझे समझ में नहीं आयी। संविधान की पवित्रता की बात सब स्वीकार करते हैं। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं। परन्तु राज्य के अध्यक्ष बन जाने से वह अर्द्ध-ईश्वर तो नहीं बन जाते। इसलिये यदि कुछ लोग उन्हें यह बताते हैं कि उन्हें उनकी सरकार के क्रियाकलाप पसंद नहीं हैं और इसलिये वे उन्हें सुनना नहीं चाहते तो ऐसा कहने से राष्ट्रपति का अनादर हो जाता है, मुझे यह मनोवृत्ति समझ में नहीं आती। यदि संसद सदस्यों द्वारा निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति इस बात को भी सहन नहीं कर सकते, तो भारत के राष्ट्रपति को क्या समझना चाहिये ? फिर जहां तक बहिर्गमन का सम्बन्ध है वह केवल श्री मुकर्जी ने ही नहीं किया था, हममें से बहुत से अन्य सदस्यों ने भी बहिर्गमन किया था। इसलिये हम सब की भर्त्सना की जानी चाहिये। हमने बहिर्गमन का कारण राष्ट्रपति को बताया था। उनके अभिभाषण में कोई रुकावट नहीं डाली थी। यदि सरकार की कार्यवाही के विरुद्ध संसद् सदस्यों को राष्ट्रपति के सामने रोष प्रकट करने का अधिकार नहीं है तो यह संसदीय प्रणाली का अपमान है। मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ। संसद् सदस्यों पर लांछन लगाने की बात कोई साधारण बात नहीं है। यदि किसी संसद् सदस्य की भर्त्सना की जानी है तो इस प्रकार की कार्यवाही के लिये संसद् की सर्वसम्मति होनी चाहिये। केवल सभा में एक दल का बहुमत होने से उसकी भर्त्सना नहीं की जानी चाहिये। उन्हें इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार करना चाहिये।

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) : जिस मामले का सम्बन्ध सभी की गरिमा के साथ हो, उसके सम्बन्ध में सर्वसम्मत राय होनी चाहिये। इस प्रकार के संकल्प को बहुसंख्या द्वारा पास कर देने से कोई लाभ नहीं होगा। किसी एक या दो सदस्यों की भर्त्सना करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल की स्थिति के कारण यह बहिर्गमन हुआ था। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने वहां के मंत्रिमन्डल की सलाह न मानकर स्वेच्छा से कार्यवाही की थी। अब प्रश्न यह था कि क्या यह सरकार इस प्रकार के राज्यपालों का साथ देना चाहती है या जनता का साथ देना चाहती है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि सभा का कोई सदस्य किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार करे। परन्तु इसके साथ यह कहना कि केवल दो सदस्यों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था और इसलिये उनकी भर्त्सना की जानी चाहिये, यह केवल भेदभाव ही नहीं बल्कि सारे संसद् का उपहास करना है। हमें सभा की गरिमा बनाये रखनी चाहिये। इसमें केवल संविधान का प्रश्न नहीं है। हमें इस मामले पर शान्तिपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिये।

पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: PROCLAMATION IN RELATION TO WEST BENGAL

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त रावचव्हाण) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की एक अधिसूचना और एक आदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूँ। मैंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखी है जिसमें वहां की हाल की घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है। इससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा दल-परिवर्तन की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया था। जून, 1967 में विधान सभा के पांच सदस्यों ने, जो अब तक संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन कर रहे थे, दल बदल दिया था। संयुक्त मोर्चा सरकार केवल नाममात्र को संयुक्त थी और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब कोई न कोई मंत्री अपने सहयोगी की आलोचना नहीं करता था। सामूहिक उत्तरदायित्व नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। सभा को इस बात का पता है कि स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि 2 अक्तूबर, 1967 को श्री अजय मुकर्जी स्वयं त्यागपत्र देने की बात सोचने पर बाध्य हो गये थे। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि वहां पर कानून और व्यवस्था का इतना अधिक उल्लंघन होता था कि राज्य की औद्योगिक प्रगति में रुकावट पड़ गयी थी। यह ठीक है कि बाद में त्याग-पत्र न देने के लिए उन्हें सहमत कर लिया गया था। परन्तु इतना स्पष्ट था कि कुछ राजनीतिक दलों ने, और विशेषकर मार्क्सवादी साम्यवादी दल, जानबूझ कर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा कर रहे थे। डा० घोष ने यह महसूस किया कि वह अपने सहयोगियों के साथ कार्य नहीं कर सकेंगे क्योंकि संयुक्त मोर्चा सरकार बिल्कुल असंवैधानिक ढंग से कार्य कर रही थी। इसलिये डा० घोष ने 3 नवम्बर, 1967 को त्याग-पत्र दे दिया और एक नया दल बना लिया, जिसका नाम प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा रखा। जनवरी, 1968 के प्रथम सप्ताह में भूतपूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार के एक मंत्री जहांगीर कबीर ने राष्ट्रीय दल नामक एक और दल बना लिया। फिर श्री शंकर दास बनर्जी ने 11 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा नामक एक अन्य दल बना लिया। राज्यपाल ने बताया है कि इन परिस्थितियों में विभिन्न दलों के सदस्यों की सही संख्या का पता लगाना कठिन हो गया है। संक्षेप में यही कहा जायेगा कि वहां राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है।

राजनीतिक अस्थिरता के दो और कारण भी हैं। एक कारण यह कि हमारे कुछ राजनीतिक दल हमारे संविधान के लोकतांत्रिक तरीकों में अधिक विश्वास नहीं रखते और पश्चिम बंगाल की विधान सभा में कम से कम एक दल ऐसा है। वे लोग मार्च, 1967 से ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें लोकतंत्रीय विचारों एवं सिद्धांतों का व्यवहार करना असम्भव हो जाये। उनका उद्देश्य वैध शासन को समाप्त करके लोकतंत्र को

भी समाप्त करना है। वे विधान मंडल में समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते। नवम्बर, 1967 में जब डा० पी० सी० घोष और प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चे ने संयुक्त मोर्चे की सरकार का समर्थन करना बन्द कर दिया था तो राज्यपाल इस बात को आश्वस्त करना चाहते थे कि संयुक्त मोर्चा सरकार को बहुमत का समर्थन है या नहीं है। परन्तु वे लोग इसके लिये तैयार नहीं थे। जो लोग विधान सभा को संवैधानिक ढंग से कार्य नहीं करने देना चाहते थे, वे अध्यक्ष के साथ मिल गये। अध्यक्ष ने जो रवैया अपनाया था उससे स्थिति और बिगड़ गई। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अध्यक्ष की कार्यवाही असंवैधानिक थी। संविधान की व्याख्या करना या विधान सभा को अपना वैध कार्य करने से रोकना अध्यक्ष का काम नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On a point of order, Sir. In case we have to find fault with the action taken by the Speaker of West Bengal Assembly a substantive motion is required to be moved. I want your ruling on this particular issue.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : आपने यह स्पष्ट विनिर्णय दिया था कि किसी सदस्य को किसी अन्य विधान मंडल के अध्यक्ष के बारे में अपनी सभा में कोई उल्लेख नहीं करना चाहिये। गृह-कार्य मंत्री को भी इस नियम का पालन करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : केवल उल्लेख करने में कोई गलती नहीं है। हमें इस बात पर विचार करना है कि उस कथन में अध्यक्ष के विरुद्ध कोई अनादरपूर्ण बात तो नहीं कही गयी है। अध्यक्ष के नाम का उल्लेख मात्र करने में कोई अनादरपूर्ण बात नहीं है। गृह-मंत्री के वक्तव्य को मैं दोबारा पढ़ूंगा और यदि उसमें कोई अपकर्ष की बात हुई तो उस पर संवैधानिक दृष्टि से विचार करूंगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह अध्यक्ष की अध्यक्ष के रूप में आलोचना नहीं है परन्तु मुझे उन घटनाओं का उल्लेख तो करना ही है। कि जिनके कारण सरकार को यह कार्यवाही करनी पड़ी।

पुरानी राजनीतिक अस्थिरता और विधान सभा को कार्य न करने देने की कुछ राजनीतिक दलों की नीति तथा अध्यक्ष द्वारा विधान सभा के सत्र को बार-बार अनिश्चित कर देने की कार्यवाही से ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि सरकार को इस समस्या का समाधान करने वाले उपायों पर विचार करना पड़ा। यदि इस मामले का सम्बन्ध केवल अध्यक्ष के विनिर्णय का होता तो निःसंदेह उसका संवैधानिक हल ढूंढा जा सकता था। संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करके विधान सभा की कार्यवाही को फिर से चालू कराने के लिये संसद् उपयुक्त उपाय अपना सकती थी। यदि वहां पर स्थायी सरकार बन जाने की आशा होती तो ये उपाय किये जा सकते थे। परन्तु ऐसी कोई संभावना नहीं थी। इन परिस्थितियों में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाये। केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि प्रत्येक राज्य में संविधान के अनुसार सरकार चलाई जाए। जब संसदीय

लोकतंत्र को ही खतरा पैदा हो जाये तो केन्द्र सरकार उस स्थिति के बारे में उदासीन नहीं रह सकती ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): The House has been discussing the motion moved by the Home Minister. But there have been new developments and President's rule has been imposed in West Bengal and the Proclamation has been placed on the table. My submission is that there is no point in discussing the present motion. If we have to discuss this Proclamation then the Home Minister should amend his motion and move the Proclamation of President for discussion and the whole discussion should take place with regard to the Proclamation. If it is not possible then the discussion may be postponed at present. The Home Minister may introduce another motion formally on which the siutation in West Bengal may be discussed.

अध्यक्ष महोदय : उनका यह कहना है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा करने का अब कोई अर्थ नहीं है । यह तो स्वाभाविक ही है कि मंत्री महोदय के उद्घोषणा को सभा-पटल पर रखना था तभी उस पर चर्चा की जा सकती थी। परन्तु माननीय सदस्य की बात ठीक है और इसलिये मैं उनके सुझाव को स्वीकार करता हूँ । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय भी इस सुझाव से सहमत होंगे । हम इस पर चर्चा करने के लिये बाद में कोई समय निश्चित करेंगे ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय दो सदस्यों के आचरण के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE: CONDUCT OF TWO MEMBERS DURING PRESIDENT'S ADDRESS—CONTD.

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : भारतीय संसद् विश्व में सबसे बड़े लोकतन्त्र की संसद् है । उसे एक आदर्श के रूप में कार्य करना चाहिये । उसमें लोकतन्त्रीय ढंग से व्यवहार किया जाना चाहिये । जो अपमानजनक आचरण सदस्यों ने किया उसके लिये न केवल सम्बन्धित सदस्य बल्कि सरकार भी जिम्मेदार है । सरकार यदि देश में लोकतन्त्र को दृढ़ बनाना चाहती है, तो उसे संविधान का, उसकी भावना के अनुसार, पालन करना चाहिये । पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने संविधान की भाषा के अनुसार कार्य किया, उसकी भावना के अनुसार नहीं । उसे वहां मंत्रिमंडल को बर्खास्त नहीं करना चाहिये था । जो कुछ पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, बिहार और पंजाब में हुआ उससे मालूम होता है कि हमारे यहां लोकतंत्र ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है ।

प्रश्न केवल दो सदस्यों के आचरण का नहीं है । यह प्रश्न तो सब सदस्यों के आचरण से सम्बद्ध है । ऐसा व्यवहार केवल इन दो सदस्यों ने ही नहीं किया है बल्कि अनेक संसद् और विधान मंडलों के सदस्य ऐसा व्यवहार करते हैं । उपरोक्त दो सदस्यों की भर्त्सना करने मात्र से यह समस्या हल नहीं होगी । इसके लिये तो कोई स्थायी निदान ढूँढना चाहिये । ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि ऐसे आचरणों के मूल कारणों का गम्भीरतापूर्वक पता लगाया

जाये । यह नियम बनाने के लिये कि संसद् सदस्यों का आचरण कैसा हो, उन्हें किस ढंग से व्यवहार करना चाहिये ? हमें समिति के रूप में बैठना चहिये था तथा सभा में इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लाना चहिये । दोनों सदस्यों की भर्त्सना करने से कोई लाभ न होगा ।

Shri Sheo Narayan (Basti) : We all have taken an oath to act in accordance with the Constitution. We should maintain the dignity of the President and the Parliament. We should try to protect our democary. In 1963 Shri Mukerjee had himself condemned such a behaviour but this time he himself acted in such a manner. The Members who have shown disrespct to the President, should apologize to the House.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री वेंकटासुब्बया के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ । संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद् राष्ट्रपति, लोक-सभा और राज्य-सभा से मिल-कर बनती है । संविधान सर्वोपरि है । संसद संविधान द्वारा बनाई गई है । बहिर्गमन को सभा में स्वीकार किया जा चुका है । बहिर्गमन किये जाते हैं । बहिर्गमन से किसी का अपमान नहीं होता । आप संसदीय लोकतन्त्र के संरक्षक हैं । हम आपका सम्मान करते हैं, परन्तु फिर भी कभी-कभी सरकार के कार्यों पर रोष प्रकट करने के लिये हम स्वविवेक से बहिर्गमन करते हैं । इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आपका अपमान करते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 1 से 12 फरवरी, 1968 को बहिर्गमन करके सर्वश्री मुकर्जी और साम्मली ने राष्ट्रपति का अपमान नहीं किया है । दूसरे, उस दिन श्री मुकर्जी ने उन राज्य की जनता के उद्गारों को राष्ट्रपति के सामने रखा, जहां लोकतन्त्र की हत्या की जा रही है, जहां राज्यपाल ने लोकतन्त्रीय सरकार को समाप्त कर दिया है । मैं राष्ट्रपति को बधाई देता हूँ कि उन्होंने श्री मुकर्जी की बात धैर्यपूर्वक सुनी है । श्री मुकर्जी ने ऐसे शब्द नहीं कहे थे जो अपमानजनक और अशिष्टतापूर्ण हों ।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रस्ताव नियम 222 के अधीन विशेषाधिकार के प्रस्ताव के रूप में इस सभा के सामने लाया जाना चाहिये था । नियम 184 तथा 186 के ऐसा कोई भी विषय जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हो, प्रस्ताव के रूप में सभा के सामने नहीं लाया जा सकता । मैं सम्मानपूर्वक आप से यह पूछना चाहता हूँ कि उपरोक्त दोनों सदस्यों की भर्त्सना किस नियम के अधीन की जायेगी ?

श्री वेंकटासुब्बया ने संसदीय परम्पराओं का मजाक बनाया है । उन्होंने यह प्रस्ताव गलत रूप से किया है । मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इसे आत्मसम्मान का प्रश्न न बनायें और मेरा या श्री मधु लिमये का इस आशय का संशोधन मान लें कि उपरोक्त सदस्यों के आचरण पर विचार करने के पश्चात् सभा यह सिफारिश करती है कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाये । उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष कुछ समस्याएं रखी थीं क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान है । उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया । उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है । उनकी कर्त्तव्य पालन के लिये ही भर्त्सना की जा रही है ।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : I came to this House for the first time with the hope that I will learn many things from our national leaders, parliamentarians and other scholars

who assemble here in this House. But I am very much disappointed to see some Members behaveing in an undemocratic and unparliamentary manner. They often stage a walk-out. I was shocked when some Members staged a walk-out at the time of President's Address and they raised a slogan of shame ! shame ! It is not porper to behave in such a manner when the Head of the State or the symbol of 55 crores of poeple i.e. the President is ready to address the joint session of Parliament. Such incidents will not lay down good precedents. They will not produce good ideals before the younger generation.The Members concerned acted in such a maner with a view to gain cheap popularity and not to bring about the welfare for the people of the country. It is not the question of the behaviour of the Members concerned or the parties concerned, but it is a qustion of maintaining the dignity of the President, the dignity of the Constitution. With these words I support the motion moved by Shri Venktasubbaiah.

Shri George Fernandes (Bombay South) : The Presidet comes to address the Parliament once in a year and that is the opportune time for placing public grievances before him. As representatives of the people Sarvshri Mukerjee and Sambhali have availed of this opportunity and placed before the President the grievances of the public. They have done nothing wrong.

Members talk about the dignity of the President and this House. But they totally forget the 50 crores of people whose representatives they are. The dignity of the people should be maintained who are the utilimate sovereign. People are not getting enough food, clothing and shelter on the the one hand and the talks of dignity are being raised on the other hand which are meaningless. The dignity of the President and the nation ultimately rests in the masses, which are being ignored. I wish that the dignity of the people should be upheld first. Only then comes the question of dignity of the Prime Minister or Head of the State because the nation is above all.

As far as the rules are concerned, rules are for us and we are not for the rules. Please tell me whether the post of the Vice-President is less dignified than the President. As the ex-offico Chairman of Rajya Sabha he daily faces such a situation and as a speaker you also face similar situations in this House. It does not mean that they are daily shown disrespect. If such a Motion is discussed here, every day such Motions will be brought against one or the other Member, because all of us behave in this manner. At Zero Hour we daily violate rules and raise many points of order. You also hear us sympathetically. Sometimes rules are also waived. No question of the dignity of the Vice-President and the Speaker is raised. On the basis of these precedents such Motions will be brought daily.

Therefore, I request Shri Venkatasubbaiah to withdraw his Motion. If he feels shy to do so, he may accept the amendment proposed by Shri Madhu Limaye.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि राष्ट्रपति का अपमान किया जाये या राष्ट्रपति, जो देश का प्रधान है, के प्रति अशिष्टता प्रदर्शित की जाये । यह दलगत प्रश्न नहीं है इसलिये उस पर दलगत निष्ठा से ऊपर उठकर विचार करना चाहिये । राष्ट्रपति के प्रति अशिष्ट व्यवहार का भी उतना ही गम्भीर मामला है जितना कि लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति के प्रति अशिष्टता का मामला । परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिस संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण कर

रहे थे, क्या वह संसद् का संयुक्त अधिवेशन नहीं था और क्या हम वहां संसद्-सदस्य की हैसियत से नहीं बैठे थे, और क्या वहाँ हमें विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे ?

संसद्-सदस्यों को कुछ अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उन अधिकारों और विशेषाधिकारों की अभिव्यक्ति शिष्ट ढंग से की जानी चाहिये ।

हमारी संसद् और हाउस आफ कामन्स में अन्तर है। इंग्लैंड में राज्य का प्रधान राजा होता है जिसका इस पद पर जन्म से ही अधिकार होता है । उसे चुना नहीं जाता । वह संवैधानिक रबड़ की मोहर की भांति काम करता है । हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इसमें भेदभाव किया जाता है।

हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान निर्वाचित संसद् की हैसियत से बैठते हैं । हम केवल इसलिये अपने अधिकार और विशेषाधिकार नहीं छोड़ सकते कि राष्ट्रपति संयुक्त सत्र में अभिभाषण कर रहे हैं । सदस्यों के कुछ अन्तर्निहित अधिकार हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिये । अतः मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव वापस ले लिया जाना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : श्री वेंकटासुब्बया के प्रस्ताव से एक संवैधानिक मामला उठ खड़ा हुआ हैं। यह कहना कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की व्याख्या नहीं की गई है, संविधान की गलत व्याख्या करना है ।

हमे राष्ट्रपति के भाषण के दिन मौलाना इसहाक सांभली की टिप्पणी पर दुःख हुआ। सरकार के विरुद्ध अभियान की बात तो समझ में आती है लेकिन देश के विरुद्ध अभियान की बात समझ में नहीं आती । श्री नाथ पाई ने शीघ्र ही इसके विरुद्ध प्रतिक्रयात्मक कार्यवाही की ।

आज देश में संसदीय लोकतन्त्र को चुनौती दी जा रही है । अतः संसद्-सदस्यों को शानदार रवैया अपनाना चाहिये । यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम नवयुवकों को लोकतन्त्र को चुनौती देने के लिये कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। हमरा सबका यह कर्त्तव्य है कि हम ऐसी परम्परा स्थापित करें कि जिसका अनुसरण नवयुवक पीढ़ी कर सके।

केवल दो सदस्यों की भर्त्सना तथा समिति की सिफारिश कि ऐसी गलती करने वाले सदस्य को सदन् से एक वर्ष के लिये मुअत्तिल कर दिया जाये, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की समिति स्थापित की जानी चाहिये जो इस बात पर ध्यान दे कि ऐसी गलती संसद् में या विधान सभा में फिर से न हो ।

राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की प्रतिष्ठा तथा पद को चुनौती दी गई है और राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये इस समस्या की विस्तृत तौर पर जांच की जानी चाहिये ।

राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल संविधान की उपज हैं। ऐसा ब्रिटिश प्रक्रियाओं के आधार पर किया गया है । राष्ट्रपति द्वारा संसद् के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण की पुरानी

प्रक्रिया समाप्त की जानी चाहिये और यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I would have been pleased if the matter had been referred to you first instead of bringing it before the House.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

I want that this matter should be referred to the Speaker and amendment should be brought in this regard. The country is in great difficulty today. So we should face this difficulty with full co-operation. I was also present in the House at the time of that incident. In my view it was not an insult to the President. But if Sri Vankatsubbaiah feels that it was, he may leave the matter tot he Speaker. Speaker may take the opinions of both the members and then inform the House with their views.

It is another thing if some rule may be made that no member can speak in the House on the arrival of the President. I want that the Government should itself bring an amendment like that. I hope that the Government will look into the matter.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मैं मौलाना इसहाक सांभली तथा अन्य सदस्यों पर जिन्होंने सदन का एक साथ त्याग किया अनुचित और अशोभनीय आचरण का आरोप स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूँ ।

1963 में जो समिति स्थापित की गई थी इसके सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है । परन्तु उसके पश्चात् हमारे संसदीय और राजनीतिक जीवन में भारी अन्तर आ गया है । चौथी लोक-सभा पिछली लोक-सभाओं से भिन्न है । हमें यह महसूस करना चाहिये कि संसद् में जनता की आवाज को सुना जाना चाहिये ।

हममें से कुछ लोग 1963 में जो समिति स्थापित की गई थी उसकी सिफारिशों से सहमत नहीं हैं । इस समिति के निर्णयों का विरोध करने के लिये कुछ लोग जानबूझ कर इस समिति में उपस्थित नहीं रहे ।

कुछ लोग इस समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं हैं । यदि इस रिपोर्ट को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझ भी लिया जाये तो भी हमें यह समझना चाहिये कि स्थिति अब बहुत बदल चुकी है । क्या इस संसद् का उद्देश्य केवल कुछ उत्सव इत्यादि मनाना है ? यदि संसद् को इतना कमजोर बनाना है तो वह जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगी । यदि सत्ता के साथ गरिमा को भी बनाये रखा जाये तो हम संसद् में अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं । अतः इसी कारण हमने गरिमा के साथ काम किया और हमारा अधिक प्रभाव पड़ा ।

वास्तव में राष्ट्रपति ने हमारे काम को कभी गलत नहीं समझा । 1963 में राष्ट्रपति स्वयं इससे कुछ दुखी हुए थे और उन्होंने इसके बारे में तत्कालीन अध्यक्ष से बातचीत की थी । इसीलिये ही अध्यक्ष ने एक समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया । हमने जो कुछ

कार्य किया है उसका उद्देश्य राष्ट्रपति के प्रति अनादर प्रदर्शित करना नहीं था। यदि इसको किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार समझा जा रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता । राष्ट्रपति को कौन अनुचित शब्द कह सकता है ?

हमने राष्ट्रपति से यहां तक निवेदन किया था कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल को हटा दिया जाये । उनको भारत के राष्ट्रपति के समान अब सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हमने सरकार की नीति और कार्यक्रम के प्रति दुख और रोष प्रकट किया । जब तक देश में संसदीय प्रणाली कायम है हमें संसद् के निर्णय को अन्तिम मानना होगा। हम संसदीय अनुशासन को स्वीकार करेंगे । हमारे विरुद्ध सभा की गरिमा को घटाने का जो आरोप लगाया गया है, उसका तीव्र विरोध करते हैं । इसके विपरीत ऐसा उतनी गरिमा से किया जैसा सम्भव था । राष्ट्रपति ने उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की ।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना): इस विषय पर काफी चर्चा की जा चुकी है और यदि यह समझ लिया जाये कि प्रस्ताव पर चर्चा हुई है तो इससे ही प्रस्तावक का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब इस पर चर्चा समाप्त की जानी चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) सौभाग्य से इस प्रस्ताव पर चर्चा के समय श्री मुकर्जी उपस्थित थे। अतः उन्हें अपनी सफाई देने का अवसर प्राप्त हो गया । परन्तु श्री सांभली आज सदन् में उपस्थित नहीं हैं और उन्हें प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी कोई जानकारी नहीं । क्या उनकी अनुपस्थिति में हम कोई निर्णय ले सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होते तो मैं उनको सफाई देने का अवसर प्रदान कर सकता था । लेकिन चूंकि उनका प्रतिनिधित्व श्री मुकर्जी ने किया अतः मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जा सकता ।

श्री जी० भा० कृपालानी : प्रस्तावक को इसे वापस ले लेना चाहिये और यह समझना चाहिये कि इस पर चर्चा की जा चुकी है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मैं प्रस्ताव को वापस लेने के पक्ष में नहीं हूँ । मैंने माननीय सदस्यों के भाषण ध्यानपूर्वक सुने और उन्होंने अपने भाषणों में राज्यपाल पर भी आरोप लगाये। यह हमारा कर्त्तव्य है, चाहे हम कांग्रेस दल के हों या किसी और दल के, हम संसदीय लोकतन्त्र तथा संविधान की रक्षा करें। मैंने इसी भावना से यह प्रस्ताव सभा के सम्मुख रखा। विपक्षी दल के सदस्य लगभग प्रतिदिन कानून तथा संसदीय लोकतंत्र की अवहेलना कर रहे हैं । इससे संसद तथा अन्य लोकतंत्रिक संस्थाओं का अपमान होता है ।

Shri George Fernandes (Bombay - South) : I have to raise a point of order before division. Shri Sambhali is not present in the House. He must be listened first. He should be given an opportunity to defend himself. He was not aware that this motion was about to introduce. I do not think it proper to reprimand a member in his absence and it is against natural jus-

tice. If you want to take votes on the motion, he should first be given notice and should have opportunity to defend himself. I want a clear ruling on this matter.

श्री स० मो० बनर्जी—मैं इस सम्बन्ध में भूतपूर्व निर्णय का उल्लेख करूंगा। श्री मनीराम बागड़ी ने श्री हुमायून कबीर के विरुद्ध कोई आरोप लगाये थे। मामले को समिति को सौंपा गया था और अन्त में यह निर्णय लिया गया था कि श्री बागड़ी को माफी मांगनी चाहिये। उस विषय पर सभा में चर्चा की गई और श्री बागड़ी की सभा में भर्त्सना करने को कहा गया था। लेकिन श्री बागड़ी सभा में उपस्थित नहीं थे तो अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था कि यदि किसी सदस्य की सभा में निन्दा की जाती हो तो उसका सभा में उपस्थित होना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय—इस मामले में प्रश्न यह है कि सदन माननीय सदस्य के अनुचित व्यवहार की निन्दा करे। आरम्भ में जब श्री मधु लिमये ने इस पर आपत्ति की थी तो मैंने इस सम्बन्ध में विस्तार से ब्यौरा दिया था।

श्री जी० मा० कृपालानी—यह बहुत गम्भीर मामला है और इस पर केवल बहुमत द्वारा निर्णय नहीं किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय—श्री सांभली को प्रस्ताव के बारे में सूचना दी जा चुकी थी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

श्री च० चं० देसाई—मैं श्री कृपालानी के सुझाव का समर्थन करता हूँ कि प्रस्ताव पर चर्चा करने से प्रस्ताव का उद्देश्य पूरा हो गया है। प्रोफेसर मुकर्जी ने भी अपना वक्तव्य दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय—प्रस्ताव पर चर्चा की जा चुकी है। प्रस्ताव को वापस लेना या न लेने का निर्णय दल ने करना है। जब एक प्रस्ताव पर चर्चा की जा चुकी होती है तो सभापति को उस पर मतदान करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पर विचार करना तत्संगत है और वह यह कि प्रस्ताव में जिस सदस्य का उल्लेख किया है, यदि वह सदस्य अनुपस्थित है तो क्या उस पर मतदान किया जा सकता है? संबंधित सदस्य को नोटिस दिया गया था परन्तु वह फिर भी उपस्थित नहीं हैं। इस पर कभी भी मतदान किया जा सकता है। यदि सदन के नेता इस बात से सहमत हैं कि श्री सांभली को भी अपने आचार का स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये तो उन्हें अवसर दिया जा सकता है। अतः यह गम्भीर मामला है। मैं सदन के नेता से यह निवेदन करूंगा कि वह यह बतलायें कि क्या वह इस पर दो या तीन दिन बाद मतदान करने के लिये सहमत हैं?

प्रधानमंत्री अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)—इस संबंध में हमें प्रस्तावक से विचार-विमर्श करना होगा।

अध्यक्ष महोदय—मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ। अतः मेरा सुझाव है कि इस

प्रस्ताव पर आगे चर्चा किये बिना श्री सांभली को स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री वेंकटासुब्बबा—मैं इससे सहमत हूँ।

अध्यक्ष महोदय—अब मैं लोक-सभा को स्थगित करता हूँ।

सके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 21 फरवरी, 1968/ 2 फाल्गुन, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday the 21st February, 1968 /Phalguna 2, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, Swami Vivekanand Marg, Allahabad.